सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अधीन लोक प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित सूचना।

कार्यालय निबंधक फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

mRrjkpy

8ए, बंगाली मोहल्ला, करनपुर,देहरादून–248001

oc lkbV **gov.ua.nic.in\society**

euvy l[;k&01½

lxBu dh fof'kf"B;k] ÑR; vkj dÙkO;
(The particulars of its organisation, functions and duties)

- प्रत्येक लोक प्राधिकारी की कार्य–प्रणाली में पारदर्षिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिये लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना नागरिकों की पहुंच तक सुनिष्चित करने के लिए नागरिकों को सूचना का अधिकार की व्यवहारिक शषण पद्धति स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन करने और उससे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए भारतीय संविधान के अनुरूप **"lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005"** बनाया गया है। इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप निबंधक, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तरांचल के संगठन का स्वरूप, विषेषतायें और कर्तव्य की संरचना निम्नवत् हैः–

- उत्तर प्रदेष पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अधीन उत्तरांचल राज्य की स्थापना दिनांक 09–11–2000 को की गयी। जिसमें राज्य की विभिन्न कार्यकारी व्यवस्थाओं के अधीन उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग के अधीन निबंधक, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तरांचल के कार्यालय के सृजन का निर्णय लिया गया जो 8ए, बंगाली मोहल्ला, करनपुर, देहरादून में स्थापित है।

lxBu dh fof'kf"B;k¼
- संगठन का मौजूदा ढांचा निम्न प्रकार से हैः–

jkT; Lrjh; e[;ky; ngjknu

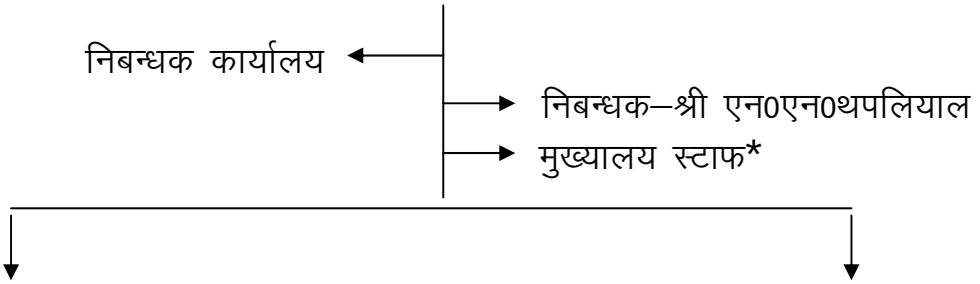

सहायक/उप निबंधक
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
क्षेत्रीय कार्यालय,
8–ए, बंगाली मोहल्ला,
करनपुर, देहरादून।
उप निबन्धक – श्रीमती प्रतिमा पैन्यूली

सहायक/उप निबंधक
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी
जिला नैनीताल।
उप निबन्धक – श्री मोहन चन्द जोशी

संस्थाओं व फर्मों के पंजीकरण, नवीनीकरण तथा चिट्स आदि से सम्बन्धित सभी कार्य क्षेत्रीय कार्यालयों में ही किया जाता है। गढवाल मण्डल के सभी सात जनपदों देहरादून, हरिद्वार, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी, टिहरी तथा उत्तरकाषी से सम्बन्धित संस्थाओं, फर्मों तथा चिट्स का पंजीकरण, नवीनीकरण तथा अन्य सभी कार्य क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में सम्पादित किये जाते हैं तथा कुमांऊ मण्डल के सभी छः जनपदों – उधमसिंह नगर, चम्पावत, पिथौरागढ, बागेश्वर, अल्मोडा तथा नैनीताल से सम्बन्धित संस्थाओं, फर्मों तथा चिट्स का पंजीकरण, नवीनीकरण तथा अन्य सभी कार्य क्षेत्रीय कार्यालय हलद्वानी जिला नैनीताल में सम्पादित किये जाते हैं।

¼ fucU/kd]QElZ lkslkbVh ,o fpV~l]mRrjk[k.M] ds vUrxZr lftr inks dk fooj.k½

d0 l0	inuke	fucU/kd dk;kZy;	{ks=h; dk;kZy; x<+oky e.My	{ks=h; dk;kZy; dqek;w e.My	osrueku
1	2	3	4	5	6
1&	निबन्धक	01	—	—	16400—20000
2&	उप निबन्धक	01	01	01	10000—15200
3&	प्रशासनिक अधिकारी–2	01	—	—	5000—8000
4&	मुख्य सहायक	01	01	01	4500—125—7000
5&	प्रवर सहायक	02	01	01	4000—100—6000
6&	चिट् ऑडिटर	—	01	01	4000—100—6000
7&	आषुलिपिक	—	01	01	4000—100—6000
8&	कनिष्ठ सहायक	—	03	03	3050—75—4590
9&	कार्यालय सहायक सह डाटा इन्ट्री	01	—	—	3050—75—4590
10&	ऑपरेटर	—	01	01	2550—55—2660—60—3200
11&	फोटो मशीन	—	03	02	2550—55—2660—60—3200
12&	ऑपरेटर अनुसेवक चौकीदार	01	01	01	2550—55—2660—60—3200
	;ksx&	08	13	12	

- निबन्धक संगठन के विभागाध्यक्ष तथा सूचना का अधिकार हेतु अपीलेंट अथारिटी हैं। वर्तमान समय में निबंधक तथा उप निबंधक क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का एकीकृत कार्यालय (Integrated Office) है जो 8ए, बंगाली मोहल्ला, करनपुर, देहरादून में स्थित है। उपनिबन्धक क्षेत्रीय कार्यालय कुमांऊ मण्डल का कार्यालय वर्तमान में कालाडुंगी रोड, आरा मषीन के पीछे, स्टेट बैंक के पास हल्द्वानी जनपद नैनीताल में स्थित है

laxBu ds Ñr; vkSj dÙkZO;

- यह संगठन सोसाइटीज रजिस्ट्रेषन एक्ट, 1860, इंडियन पार्टनरषिप एक्ट 1932 तथा चिट्स फण्ड एक्ट 1982 के अधिनियमों के अन्तर्गत अपने कार्यों का निर्वहन करता है। वर्तमान समय में, इस संगठन द्वारा उत्तरांचल राज्य में सोसाइटीज रजिस्ट्रेषन एक्ट 1860, इंडियन पार्टनरषिप एक्ट 1932 तथा चिट्स फण्ड एक्ट 1982 के प्राविधानों के अन्तर्गत ही संस्थाओ, फर्मों तथा चिट्स का पंजीकरण तथा नवीनीकरण किया जाता है।

- सोसाइटीज रजिस्ट्रेषन एक्ट, 1860 एक केन्द्रीय एक्ट है तथा इस एक्ट के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की चैरिटेबल एवं अब्यवसायिक संस्थायें पंजीकृत की जाती है। यह एक्ट पूरे भारतवर्ष में समान रूप से लागू है तथा इसमें समय–समय पर राज्यों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार संषोधन आदि किया जाता है । प्रत्येक राज्य की नियमावली भी अलग–अलग है। उत्तरांचल राज्य में भी पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश में प्रचलित नियमावली ही लागू है । इस अधिनियम के अन्तर्गत चैरिटेवल संस्थाओं का पंजीकरण होता है

जिनके उद्देश्य अधिनियम की धारा–20 में दिये गये उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिये । संस्था के गठन तथा पंजीकरण हेतु कम से कम सात सदस्य होने चाहिये। इन संस्थाओं के पंजीकरण हेतु आवष्यक मार्ग दर्षक निदष "संलग्नक–1" पद दिये गये हैं।

- इंडियन पार्टनरषिप एक्ट 1932 जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में लागू है । इंडियन पार्टनरषिप एक्ट, इंडियन कान्ट्रेक्ट एक्ट 1872 का एक भाग है। उत्तरांचल राज्य में में भी उत्तर प्रदेष में प्रचलित भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 ही लागू है। दो या दो से अधिक व्यक्ति भागीदार या पार्टनर कहलाते हैं तथा इन व्यक्तियों के समूह को "फर्म" कहते हैं । जिस नाम से व्यवसाय किया जाता है वह "फर्म का नाम" कहलाता है । किसी भी फर्म की अवधि निश्चित भी हो सकती है या अधिनियम की धारा 7 के अनुसार ऐच्छिक (At Will) भी हो सकती है अर्थात पार्टनरषिप डीड या आपसी समझौता होना आवश्यक है ।

mRrj izn'k lkslkbVh jftLVhdj.k fu;e] 1976

¼vf/klwpuk l0 y[kk&ijh{kk **6939/X-600(1)**-74] fnukd 6 tuojh] 1976] mRrj izn'k jkti=] vlk/kkj.k] e fnukd 9 tuojh] 1976 dk i0 10&18 ij izdkf'kr½

सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 21) की धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1975 का उ0 प्र0 अधिनियम सं0 52) द्वारा, उत्तर प्रदेश में इसके उपयोजन में, यथा संशोधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल महोदय निम्नलिखित नियमों की विरचना करते हैं–

1- lf{kIr uke} foLrkj vkj izkjEHk ¼/kkjk 33½& (1) इन नियमों को उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1976 कहा जाएगा।

(2) उनका विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) वे राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।.

2- ifjHkk"kk,¡ ¼/kkjk 33½& (1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, उत्तर प्रदेश में अपने उपयोजन के लिए यथा संशोधित रूप में;

(ख) ''प्रपत्र'' से अभिप्रेत है इन नियमों के साथ उपोगित एक प्रपत्र;

(ग) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की एक धारा;

(घ) ''सोसाइटी'' से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी;

(ड.) अधिनियम में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ और जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ रखेंगे जो अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

3- lxe Kkiu ¼/kkjk 2½& किसी सोसाइटी के संगम ज्ञापन में धारा 2 द्वारा अपेक्षित विशिष्टियाँ शामिल की जाएंगी और धारा 1 में सन्दर्भित सभी सात अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम, पते और हस्ताक्षर रहेंगे। उसे दिनांकित भी किया जाएगा।

4- fu;e vkj fofu;e ¼/kkjk 2½& किसी सोसाइटी के नियमों और विनियमों में निम्नलिखित विषय के सम्बन्ध में उपबन्ध किए जा सकते हैं–

(क) सोसाइटी की सदस्यता के लिए देयता की शर्तें;

(ख) शर्तें, जिनके अधीन सोसाइटी की सदस्यता समाप्त की जाएगी;

(ग) प्रतिश्रुतियों, यदि कोई हों, की अदायगी न किए जाने का परिणाम;

(घ) सोसाइटी की सदस्यता से त्यागपत्र अथवा हटाया जाना;

(ड.) यदि सोसाइटी एक न्यास है, तो न्यासियों की नियुक्ति और निराकरण और उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य;

(च) सोसाइटी की वार्षिक साधारण बैठक और अन्य बैठकों से सम्बन्धित प्रावधान और उनका समय और स्थान;

(छ) ऐसी बैठकों को पूर्व नोटिस दिए जाने की रीति;

(ज) सोसाइटी की बैठकों में कामकाज के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति;

(झ) नियमों और विनियमों को बनाने, परिवर्तित करने और विखण्डित करने की रीति;

(ञ) निधियों का निवेश, लेखा का रख रखाव, तुलन पत्र को तैयार किया जाना

और उनकी वार्षिक अथवा आवधिक लेखा–परीक्षा;
(ट) सोसाइटी को विघटित करने की प्रक्रिया;
(ठ) विघटित सोसाइटी की सम्पत्ति का व्यवस्थापन;
(ड) उपविधि की, यदि कोई हो, विरचना करने की रीति और उनमें उपबन्धित किऐ जाने वाले विषय;
(ढ) ऐसे अन्य विषय जिन्हें सोसाइटी की प्रकृति और उद्देश्यों पर ध्यान रखते हुए समीचीन समझा जाए।

5- nLrkost nkf[ky fd, tkus dh izfØ;k& (1) अधिनियम के उपबन्धों और इन नियमों के अधीन दाखिल किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक दस्तावेज रजिस्ट्रार को भेजे जाएंगे अथवा वैयक्तिक रूप से दिए जाएंगे अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे जाएंगे।

(2) उपनियम (1) में संदर्भित दस्तावेज, कागज के केवल एक तरफ साफ–साफ टंकित, मुद्रित अथवा साइक्लोस्टाइल किए जाएंगे और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर दस्तावेज के हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा आद्यक्षरित किया जाएगा। दस्तावेजों में की गई कटिंग पर एक हस्ताक्षरकर्ता द्वारा आद्यक्षरित किया जाएगा।

6- jftLVªkj }kjk jftLVjksa dk vuqj{k.k fd;k tkuk& रजिस्ट्रार निम्नलिखित रजिस्टरों का अनुरक्षण करेगा, अर्थात्–
(क) सोसाइटियों का रजिस्टर, प्रपत्र I में;
(ख) नवीकरणों का रजिस्टर, प्रपत्र II में;
(ग) दैनिक प्राप्तियों का रजिस्टर, प्रपत्र III में;
(घ) रसीद बही; प्रपत्र IV में;
(ड.) निरीक्षणों का रजिस्टर, प्रपत्र V में;
(च) जारी की गई प्रतियों का रजिस्टर, प्रपत्र VI में;
(छ) निक्षेपों के सत्यापन का रजिस्टर, प्रपत्र VII में;
(ज) कोई अन्य रजिस्टर, जिसे रजिस्ट्रार उचित समझता है अथवा जिसके लिए राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

7- jftLVhdj.k ds fy, vkosnu& (1) किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन को नियम 6(क) में संदर्भित रजिस्टर में तत्काल रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(2) जब सोसाइटी को अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है, तो प्रपत्र III में एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा और उक्त रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाएंगी।

8- uohuhdj.k ds fy, vkosnu& (1) धारा 3–क अधीन प्राप्त किया गया रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण से सम्बन्धित प्रत्येक आवेदन नियम 6(ख) में सन्दर्भित रजिस्टर में तुरन्त प्रविष्ट कर दिया जाएगा।

(2) यदि आवेदन पूरी तरह से ठीक है, तो प्रपत्र IX में एक नवीनीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा और प्रत्येक ऐसे नवीनीकरण को नियम 6 के खण्ड (क) और (ख) में सन्दर्भित रजिस्टर में अभिलेख किया जाएगा।

9- Qhl dh vnk;xh dju dk rjhdk& (1) अधिनियम के उपबन्धों अथवा इन नियमों के अधीन देय सभी फीस रजिस्ट्रार को नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा पोस्टल आर्डर के माध्यम से अदा अथवा विप्रेषित की जाएगी।

परन्तु यह कि कोई फीस पोस्टल मनीआर्डर द्वारा अथवा विप्रेषित नहीं की जाएगी।

(2) जहाँ फीस वैयक्तिक रूप से रजिस्ट्रार के कार्यालय में या तो नकद रूप में और या तो बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर के माध्यम से अदा की जाती है, वहाँ रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित करके प्रपत्र सं0 IV में रसीद सम्बन्धित व्यक्ति को जारी की जायेगी।

(3) जहाँ फीस का विप्रेषण बैंक ड्राफ्ट अथवा पोस्टल आर्डर के माध्यम से किया जाता है, वहाँ प्रेषक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा बैंक ड्राफ्ट अथवा पोस्टल आर्डर सम्यक् रूप से रेखित किया गया है और सोसाइटी रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को देय किया गया है।

(4) उप नियम (1) से (3) के अधीन अथवा अन्यथा उगाही गई सभी फीस नियम 6(ग) में सन्दर्भित रजिस्टर में प्रविष्ट कर दी जाएगी।

(5) प्रत्येक दिन की समाप्ति पर, रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त की गई राशि का योग किया जाएगा और कुल राशि नियम 6(ग) में सन्दर्भित रजिस्टर में रजिस्ट्रार द्वारा अपनी लिखावट में शब्दों और अंकों में भी प्रविष्टि की जाएगी और उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित भी किया जाएगा।

(6) ऐसी पूरी राशि, ड्राफ्ट और पोस्टल आर्डर बिना अप्रत्याशित विलम्ब किए और अधिकतम अगले कार्य दिवस को तीन प्रतियों में खजाना चालान के माध्यम से शीर्ष ''104–अन्य साधारण आर्थिक सेवाएँ (क) अन्य कारबार उपक्रमों का विनियमन– (ii) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रशासन के प्राप्तियाँ'' के अधीन भारतीय स्टेट बैंक में जमा कर दी जाएगी। फीस जमा करने में विलम्ब होने की स्थिति में, रजिस्ट्रार अपनी लिखावट में दैनिक प्राप्तियों के रजिस्टर में विलम्ब के कारणों को अभिलेख करेगा। चालान की निक्षेपक की प्रति और साथ में विभागीय प्रति, जिसे सम्बन्धित खजाने के अभिलेख से सम्यक् रूप से सत्यापित किया गया हो, फीस की अदायगी के सबूत के रूप में सम्बन्धित सोसाइटी के फाइल में रखी जाएगी;

परन्तु यह कि जहाँ चालान के माध्यम से एक से अधिक राशि का निक्षेप किया जाता है, तो उनसे उद्धरण लेकर, रजिस्ट्रार द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित कराके उसे सम्बन्धित फाइल में रखा जा सकता है।

(7) रजिस्ट्रार प्रपत्र VII में निक्षेपों के सत्यापन का एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा जिसमें खजाना चालान की विभागीय प्रतियों में दर्शाई गई राशि दैनंदिन आधार पर प्रविष्ट की जाएगी, और प्रत्येक माह के अन्त में, खजाने के अभिलेख और प्रपत्र III में दैनिक प्राप्तियों के रजिस्टर के साथ रजिस्टर के निक्षेपों का समुचित मिलान किया जाएगा।

10- fujh{k.k dh fy, vkonu& (1) किसी दस्तावेज के निरीक्षण के लिए धारा 19 के अधीन प्रत्येक आवेदन को नियम 6((ड.) में सन्दर्भित रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा।

[1][''(2) आवेदन–पत्र के साथ पचास रूपये फीस दी जायेगी; जो प्रत्येक सोसाइटी के सम्बन्ध में निरीक्षण के प्रत्येक दिवस या उसके भाग के लिए देय होगी।''

11- izekf.kr izfr dh fy, vkonu& (1) किसी दस्तावेज अथवा उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रति अथवा उद्धरण के लिए धारा 19 के अधीन प्रत्येक आवेदन को नियम 6(च) में सन्दर्भित रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा।

(2) आवेदन में उस दस्तावेज अथवा दस्तावेजों का सुस्पष्ट विनिर्देश किया जाना चाहिए जिनकी प्रति अथवा उद्धरण अपेक्षित किया गया है।

[1][''(3) (नियम 7 के उपनियम (2) या नियम 8 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रमाण–पत्र की प्रति के लिए आवेदन–पत्र ..... पचास रूपये।

किसी अन्य दस्तावेज या उसके भाग की प्रति या उसके उद्धरण के लिये आवेदन–पत्र ..... प्रति एक सौ शब्द या उसके भाग के लिए दस रूपये।''

(4) यदि प्रति अथवा उद्धरण रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा मँगाया गया है तो साथ में एक अपना पता लिखा डाक लिफाफा, अपेक्षित डाक टिकट लगाकर निरपवाद रूप से भेजा जाना चाहिए।

(5) यदि रजिस्ट्रार यह पाता है कि आवेदन द्वारा अदा की गई फीस अपर्याप्त है, तो रजिस्ट्रार आवेदक को सूचित करेगा कि वह उस कमी को विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूरा करे। ऊपर सन्दर्भित रजिस्ट्रीकृत लिफाफा इस प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाएगा।

(6) आवेदक रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर फीस की राशि की कमी पूरा करेगा। वह उपनियम (4) द्वारा यथा अपेक्षित एक नया लिफाफा भी भेजेगा।

(7) जहां आवेदक रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर कमी को पूरा नहीं कर पाता तो आवेदन नामंजूर कर दिया जाएगा।

12- lkslkbVh d uke dk ifjorZu& (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी ने धारा 12 के अधीन अपने उद्देश्यों का धारा 12–क के अधीन अपने नाम का परिवर्तन किया है, वहाँ धारा 12–ख(1) के अधीन ऐसा परिवर्तन का नोटिस, संकल्प की तिथि से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजेगी।

(2) सोसाइटी के उद्देश्य अथवा नाम का परिवर्तन करने वाले संकल्प की प्रति के साथ उक्त नोटिस और ऐसी बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति निरपवाद रूप से भेजी जाएगी।

(3) जहाँ रजिस्ट्रार यह सन्तुष्ट होता है कि सोसाइटी के उद्देश्यों अथवा नाम में परिवर्तन से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा इन नियमों का अनुपालन किया गया है, तो वह नियम 6(क) में सन्दर्भित रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियाँ करेगा।

(4) जहाँ किसी सोसाइटी के नाम में कोई परिवर्तन उपनियम (3) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया गया है, वहाँ प्रपत्र X में एक ताजा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।

(5) उपनियम (4) में सन्दर्भित ताजा प्रमाण–पत्र जारी करने से पहले, रजिस्ट्रार मूल रजिस्ट्रीकृत प्रमाण–पत्र मँगाएगा और उसे रद्द कर देगा।

13- ukfVl dk rkehy fd;k tkuk& जहाँ रजिस्ट्रार धारा 3(2) अथवा 3–क(2) के परन्तुक अथवा धारा 12–घ के अधीन कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव करता है, वहाँ वह सोसाइटी के सचिव (यदि कोई सचिव नहीं है तो सभापति, अध्यक्ष अथवा निर्देश का) को प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताओं की नोटिस जारी करेगा।

14- vihy& धारा 12–घ की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील वित्त विभाग, सिविल सचिवालय, लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव को भेजी जाएगी। इसके साथ उस आदेश की एक प्रति लगायी जाएगी, जिसके विरूद्ध अपील की गई है और उस प्रति को किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित किया गया होगा।

15- nks"kiw.kZ nLrkost dk ykSVk;k tkuk& ऐसे आवेदन अथवा दस्तावेज जो दोषपूर्ण है अथवा जो इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा इन नियमों के अनुसार नहीं है, उनमें सुधार करने के लिए प्रेषक को लौटा दिये जाएंगे।

16- Qhl ugh ykSVk;h tk,xh& अधिनियम के उपबन्धों अथवा इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रार को जमा की गई फीस की राशि लौटाई नहीं जाएगी;

परन्तु यह कि जहां किसी सोसाइटी क रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित किसी आवेदन को नियम 15 के अधीन सुधार करने के लिए लौटाया गया है और उसमें उचित सुधार करने के बाद उसे प्राप्त किया गया है, वहां, फिर से रजिस्ट्रीकरण फीस अदा की जानी आवश्यक है।

17- nLrkost ls lEcfU/kr ifØ;k& इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा इन नियमों के अधीन किसी सोसाइटी से प्राप्त दस्तावेजों को उस सोसाइटी के मूल कागजातों, यदि कोई हों, के साथ फाइल किया जाएगा और प्रपत्र–I में रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाएंगी।

18- nLrkost k dk ifr/kkj.k& निम्नलिखित रजिस्टर, दस्तावेज और कागजात स्थायी रूप से प्रतिधारित किए जाएंगे–

(क) नियम 6 के खण्ड (क), (ख) और (छ) में सन्दर्भित रजिस्टर;

(ख) सोसाइटी के सभी रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज;

(ग) नोट और आदेश सीटें;

(घ) किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण और उसके विघटन से सम्बन्धित सभी कागजात;

(ड.) उत्तर प्रदेश सरकार की सन्दर्भन;

(च) सभी सरकारी आदेश; और

(छ) कोई अन्य रजिस्टर, दस्तावेज जिसे रजिस्ट्रार की राय में, स्थायी रूप से प्रतिधारित किया जाना चाहिए।

19- vfHkyf[k dh NVkbZ& रजिस्टरों, दस्तावेजों और कागजातों की (नियम 18 में विनिर्दिष्ट किए गए को छोड़कर) सरकारी कार्यालयों के निरीक्षक, उत्तर प्रदेश से सम्यक् परामर्श करने के बाद छटाई की जाएगी।

fuca/kd (Registrar) %&

(1) निबन्धक (रजिस्ट्रार) संगठन के विभागाध्यक्ष हैं। उन्हें राज्य सरकार द्वारा विभागाध्यक्ष के समस्त प्रषासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं।

(2) निबन्धक को सोसाइटी रजिस्ट्रेषन अधिनियम, 1860 के प्राविधानों के अनुसार सोसाइटी से सूचना मंगाने, सोसाइटी के अभिलेखों की जांच तथा लेखा–परीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध कराने की शक्तियां प्राप्त हैं।

(3) कतिपय परिस्थितियों में रजिस्ट्रार को सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने तथा सोसाइटी के विघटन की संस्तुति हेतु आवष्यक कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त होती है।

(4) रजिस्ट्रार को विषिष्ठ परिस्थितियों में किसी भी सोसाइटी के काम काज का अन्वेषण करने, सोसाइटी के किसी अधिकारी/कर्मचारी को बुलाकर शपथ के आधार पर उनका परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होता है।

(5) उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन की नीति आदि का निर्धारण विभागाध्यक्ष/निबंधक द्वारा किया जाता है तथा इस पर शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

mi fuca/kd@lgk;d fuca/kd %&

(1) उप निबंन्धक/सहायक निबंधक अपने–अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्ष होते हैं। उन्हें शासन द्वारा कार्यालयाध्यक्षों को समय–समय पर स्वीकृत किये गये सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं।

(2) उप निबंन्धक/सहायक निबंधक को सोसाइटी रजिस्ट्रेषन अधिनियम, 1860 तथा इंडियन पार्टनरषिप अधिनियम 1932 के प्राविधानों के अन्तर्गत सोसाइटी तथा फर्मों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त उन्हें पंजीकृत करते हुये पंजीकृत प्रमाण–पत्र जारी करने की शक्तियां प्राप्त है। इसके साथ ही सोसाइटी द्वारा नियमानुसार नवीनीकरण शुल्क जमा करने के उपरान्त पांच साल की आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करके नवीनीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

(3) उप निबंन्धक/सहायक निबंधक सोसाइटीज के प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण के विरूद्ध यदि कोई आक्षेप अथवा आपत्ति हो तो ऐसे आक्षेपों/आपत्तियों के सही पाये जाने की स्थिति में सोसाइटी के

रजिस्ट्रेषन को नियमानुसार अस्वीकार कर सकते है तथा उन्हें सोसाइटी को ऐसे आक्षेपों/आपत्तियों का निराकरण करके रजिस्ट्रेषन हेतु संशोधित अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देष जारी करने का अधिकार है।

(4) उप निबंन्धक/सहायक निबंधक सोसाइटी के नाम के परिर्वतन का रजिस्ट्रीकरण नियमानुसार उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अस्वीकृत कर सकते हैं।

(5) कतिपय परिस्थितियों में सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की शक्ति उप निबंन्धक/सहायक निबंधक को प्राप्त हैं। सोसाइटी के विघटन की नियमानुसार प्रक्रिया प्रारम्भ करवाने की शक्ति भी उन्हें प्राप्त है।

(6) उप निबंन्धक/सहायक निबंधक लिखित आदेष द्वारा किसी सोसाइटी से एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर लिखित सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत करने के लिये कह सकते हैं तथा लेखा परीक्षा रिर्पोट आदि जांच एवं परीक्षण हेतु मंगा सकते हैं।

(7) अधिनियम की धारा 22 के अधीन उप निबंन्धक/सहायक निबंधक किसी भी सोसाइटी के कामकाज का अन्वेषण कर सकते है तथा अन्वेषण के प्रयोजन हेतु सोसाइटी के अभिलेखों का अधिग्रहण कर सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार सोसाइटी के रजिस्ट्रेषन को रद्द करने तथा विधि के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा सोसाइटी का विघटन करवा सकते है।

(8) यदि कोई सोसाइटी इस तरह से संचालित की जाती है जिससे सोसाइटी के उद्देश्य विफल होते हों अथवा सोसाइटी कुप्रबन्धित होती है या सोसाइटी के किसी अधिकारी द्वारा वैस्वासिक भंग अथवा सदृष्य आध्यताओं के भंग द्वारा क्षतिग्रस्त होती है तो उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह सोसाईटी के कामकाज का अन्वेषण अथवा सोसाइटी की किसी संस्था का निरीक्षण करे तथा शपथ के आधार पर सोसाइटी के किसी अधिकारी, सदस्य अथवा कर्मचारी का परीक्षण करने के लिये उसे बुलाये अथवा सोसाइटी के लेखा–पुस्तक सहित किन्हीं अथवा सभी अभिलेखों का अभिग्रहण करे। किसी कमी अथवा अनियमितता को दूर करने के लिये कोई निर्देष दे, जिसे न करने पर सहायक/उप रजिस्ट्रार धारा 12–घ अथवा 13–ख के अधीन सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने/सोसाइटी के विघटन की कार्यवाही कर सकते हैं।

(9) निबंधक/संयुक्त निबंधक/उप निबंन्धक/सहायक निबंधक की समस्त शक्तियों के विषय में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

(10) कार्यालय में तैनात कर्मचारियों में विभाग के कार्यों का आवंटन करना।

euvy l[;k&02½

vf/kdkfj;k vkj depkfj;k dh 'kfDr;k vkj dÙkO;
(The powers and duties of its officers and employees)

- संविधान के अनुच्छेद 154 के अधीन राज्य के कार्यकारी अधिकार राज्यपाल में निहित है और उन अधिकारों का प्रयोग संविधान के अनुसार राज्यपाल द्वारा अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है । संविधान के अनुच्छेद 166 के अनुसार शासन के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किये गये अभिव्यक्त किये जायेंगे।
- संविधान के अनुच्छेद 154 के अन्तर्गत और उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए शासन के अधीनस्थ किसी अधिकारी को कुछ सीमा तक और ऐसे प्रतिबंधों के साथ–साथ जिन्हें शासन लगाना आवश्यक समझें अथवा जो संविधान या शासन के नियम अथवा आदेषों या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के उपबंधों द्वारा पहले से लगाये गये हों, प्रतिनिहित किये जा सकते हैं । अतः राज्य के वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन विभागाध्यक्षों को किया गया है।
- इस संगठन में नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी राजकीय कर्मचारी हैं तथा कुछ कर्मचारियों को उपसुल से संविदा के आधार पर भी लिया गया है। संगठन के शीर्ष अधिकारी/विभागाध्यक्ष निबन्धक (रजिस्ट्रार) हैं। संगठन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का विवरण मैनुअल संख्या–09 में दिया गया है। इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य निम्न प्रकार से हैंः–

¼d½ fucU/kd **(Registrar)** ½&

(1) निबन्धक (रजिस्ट्रार) संगठन के विभागाध्यक्ष हैं। उन्हें राज्य सरकार द्वारा विभागाध्यक्ष के समस्त प्रषासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं।

(2) निबन्धक को सोसाइटी रजिस्ट्रेषन अधिनियम, 1860 के प्राविधानों के अनुसार सोसाइटी से सूचना मंगाने, सोसाइटी के अभिलेखों की जांच तथा लेखा–परीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध कराने की शक्तियां प्राप्त हैं।

(3) कतिपय परिस्थितियों में रजिस्ट्रार को सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने तथा सोसाइटी के विघटन की संस्तुति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त होती है।

(4) रजिस्ट्रार को विषिष्ठ परिस्थितियों में किसी भी सोसाइटी के काम काज का अन्वेषण करने, सोसाइटी के किसी अधिकारी/कर्मचारी को बुलाकर शपथ के आधार पर उनका परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होता है।

(5) उक्त अधिनियम के कियान्वयन की नीति आदि का निर्धारण विभागाध्यक्ष/निबंधक द्वारा किया जाता है तथा इस पर शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

foRrh; gLrifLrdk Hkkx&1 d i jk 19 d vu lkj foHkkxk/;{kk dk fuEu vf/kdkj inRr gA ½& वाल्यूम –1 में विभागाध्यक्ष को प्रदत्त सभी अधिकार प्राप्त है।

1. उनके अपने कार्यालयों अथवा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के प्रयोग के लिए पुस्त्कें समाचार पत्र, पत्रिकाएं नक्षे तथा अन्य प्रकाषन खरीदने का पूर्ण अधिकार ।
2. षिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ व उनके पुस्तकालयों हेतु कक्षा षिक्षण पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें खरीदने का पूर्ण अधिकार।
3. भारत के अन्य राज्यों को विभागीय प्रकाषनों की निःषुल्क सप्लाई तथा उन्हें इन प्रकाषनों के विनिमय स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार उन शर्तों के अधीन यदि कोई हों, जो विभागीय नियम संग्रह आदि में दिये हुए हों।

4. संदर्भ पुस्तकें व शुद्धि पत्र उनके अपने कार्यालयों में तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में प्रयोग के लिए राजकीय मुद्रणालय से सीधे प्राप्त करना कुछ शर्तों के अधीन पूर्ण अधिकार।

5 (क) निदेषक मुद्रण एवं लेखन सामग्री से पूर्व परामर्ष किये बिना निजी मुद्रणालयों से पंजीयत/अपंजियत प्रपत्रों व अन्य आवष्यक कार्य (जैसे नक्षे नोटिस आदि) का मुद्रण कराना प्रत्येक मामले में रु0 10,000 तक।

(ख) विभागीय कार्य यथा निविदा, विभागीय सूचना आदि के विज्ञापन के लिए व्यय स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है।

6. शासन द्वारा पटटे पर ली गयी भूमि के किराये का भुगतान स्वीकृत करना। (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के परिषिष्ट 10 में दी हुयी शर्तों के अधीन रहते हुए)।

7. आवष्यक प्रयोजनों (गोदामों को छोडकर) के लिए किराये पर लिये गये भवनों का किराया स्वीकृत करना ।

8. शासनादेष संख्या 2177/एन/10–7–94–15/ एस0पी0/92 दिनांक 17 अक्टूबर,94 के अनुसार रु0 एक लाख तक लेखन सामग्री क्रय किये जाने का अधिकार है।

y[ku lkexh Ø; dju&& एक बार में रु0 50 हजार तक (रु0 2500/– तक बिना कोटेषन के, रु0 15000/– तक कोटेषन के आधार पर तथा रु0 15000/– से अधिक टेण्डर आमंत्रित करने का पूर्ण अधिकार)। इस प्रकाष वित्तीय नियमों में पूरी पारदर्षिता बरती गयी है। लेखन सामग्री से भिन्न कार्यालय की आवष्यकताओं की पूर्ति हेतु जिसमें बजट की उपलब्धता हो भण्डार क्रय हेतु भी बाजार मूल्य पर रु0 2500/– तक बिना कोटेषन, रु0 15000/– तक कोटेषन तथा रु0 15000/– से अधिक क्रय समाचार–पत्र में टेन्डर निकाल कर क्रय करने की प्रक्रिया करने की प्रक्रिया है।

उक्त के क्रम में किसी मानक मद में बजट कम होने पर पुनर्विनियोग के माध्यम से या अतिरिक्त मांग द्वारा षासन को प्रस्ताव भेजकर धनराषि पुनः आवंटन करने का अनुरोध किया जाता है तथा अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होने पर ही आवष्यक अतिरिक्त भुगतान किये जाने की प्रक्रिया है। समय–समय पर शासन द्वारा वेतन एवं तद्संबंधी भत्तों का बजट आवंटन की प्रतीक्षा में व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है अथवा वेतन से संबंधित सभी मानक मदों में उपलब्ध बजट को जोडकर कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती है, ताकि वेतन वितरण में विलम्ब न हो।

fu;exr 'kfDr;k vkj dr0; dk fooj.k&&

1. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पांच भाग –1 में विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारियों को प्रदत्त दायित्व का निर्वहन तथा निर्धारित प्रपत्रों पर लखा सम्बन्धी विवरण तैयार करना तथा यथावष्यक वांछित स्तरों को सूचना भेजने को प्रावधान किया गया है।

2. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के प्राविधानों के अधीन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणी की यात्राओं को अनुमोदित करना तथा देय यात्राा व्यय एवं अन्य भत्तों को भुगतान अधिकृत करने की व्यवस्था की गयी है।

3. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड – 5 भाग 2 एवं ट्रेजरी रुल्स के प्राविधानों के अनुसार कोषागार से वित्तीय व्यवहरण किया जाता है।

4. सेवा सम्बन्धी प्रकरण तथा तद्विषयकवेतन एवं भत्तों हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग 2 से 4 के अनुसार यथा वांछित कार्यवाही करने तथा आदेष पारित करने की व्यवस्था की गयी है।

5. विभाग हेतु लागू सेवा नियमावलियों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी के दायित्व का निर्वहन तथा चयन प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति/ प्रोन्नति आदेष निर्गत किये जोत है।

6. भविष्य निधि नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कर्मचारियों को अस्थाई/स्थाई अग्रिम स्वीकृत करना तथा अन्तिम निश्कासन का प्राधिकार–पत्र जारी करना।

7. कोषागार से आहरित धनराषि का मासिक व्यय विवरण तैयार कर वित्त विभाग तथा महालेखाकार को निर्धारित प्रपत्र पर सूचना भेजना तथा महालखाकार से लेखों का मिलान करना।
8. बजट मैनुअल के अनुसार निर्धारित तिथि पर बजट प्राकलन (इस्टीमेट) तथा नई मांग (यदि आवष्यक हो) षासनको भेजना, अधीनस्थ कार्यालयों को समय से बजट आवंटन, अधीनस्थ कार्यालयों अथवा किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा समय से आदेषों का सही अनुपालन न किया जाय तब तथ्यों पर विचार कर नियमानुसार कार्यवाही करना।
9. आचार संहिता, वित्तीय अनियमित्ता, किसी अपराधिक कृत्य की स्थिति मे अधीनस्थ कर्मचारियों के वरुद्ध स्थापित प्रक्रिया के अधीन अनुषासनत्मक कार्यवाही करना ।
10. जनहित या प्रषासनिक आधार पर यथावष्यक अधीनस्थ कर्मचारियों का स्थानांतरण /पटल परिवर्तन / कार्य विभाजन सभी आदेष निर्गत करना।
11. विभाग में कम्प्यूटर तथा अन्य उपकरणों के रख रखाव हेतु सम्बन्धित फर्म से अनुबन्ध करना तथा अनुबन्ध की शर्तों का कड़ाई से पालन करना।
12. अधिकारियां/कर्मचारियों की समस्याओं का नियमानुसार समय से समाधान करना तथा षासन द्वारा मान्यता प्राप्त संधो से नियमित अन्तराल पर विचार विमर्ष करना एवं उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराना।
13. विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण में औपचारिकतायें पूर्ण होने पर नियमानुसार समय बद्ध कार्यवाही करना।
14. षासन के कार्मिक विभाग, वित्त विभाग तथा अन्य षासन के विभागों द्वारा दिये गये विधि अनुरुप आदेषों का समय से अनुपालन सुनिष्चित करना।
15. किसी विषेष परिस्थिति या जहां नियमों/ प्रक्रियाओं से लोकहित के कार्यो में गतिरोध उत्पन्न हो रहा हो, षासन के संज्ञान हेतु पूरी सूचना भेजना।
16. विभाग से सम्बन्धित मुकदमों के प्रकरण में षासन से अनुमति प्राप्त कर सम्बन्धित न्यायालय को समय से स्थिति स्पष्ट करना तथा प्रभावी पैरवी करना।
17. विभाग के प्रकरण में लागू मैनुअल आफ गवर्नमैन्ट आडर्स तथा अन्य अधिनियमों, नियमों, प्रक्रियाओं आदि का अनुपालन सुनिष्चित कराना।
18. अधीनस्थ कार्यालयों एवं नियमों मे प्राविधान के अनुसार निर्दिष्ट कार्यालयों का निरीक्षण करना तथा निरीक्षण आख्या पर अनुपाल सुनिष्चित कराना।

¼[k½ mi fuc/kd@lgk;d fuc/kd%&

(1) उप निबंन्धक/सहायक निबंधक अपने–अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्ष होते हैं। उन्हें शासन द्वारा कार्यालयाध्यक्षों को समय–समय पर स्वीकृत किये गये सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं।

(2) उप निबंन्धक/सहायक निबंधक को सोसाइटी रजिस्ट्रेषन अधिनियम, 1860 तथा इंडियन पार्टनरषिप अधिनियम 1932 के प्राविधानों के अन्तर्गत सोसाइटी तथा फर्मों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त उन्हें पंजीकृत करते हुये पंजीकृत प्रमाण–पत्र जारी करने की शक्तियां प्राप्त है। इसके साथ ही सोसाइटी द्वारा नियमानुसार नवीनीकरण शुल्क जमा करने के उपरान्त पांच साल की आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करके नवीनीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

(3) उप निबंन्धक/सहायक निबंधक सोसाइटीज के प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण के विरूद्ध यदि कोई आक्षेप अथवा आपत्ति हो तो ऐसे आक्षेपों/आपत्तियों के सही पाये जाने की स्थिति में सोसाइटी के रजिस्ट्रेषन को नियमानुसार अस्वीकार कर सकते है तथा उन्हें सोसाइटी को ऐसे

आक्षेपों/आपत्तियों का निराकरण करके रजिस्ट्रेषन हेतु संशोधित अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देष जारी करने का अधिकार है।

(4) उप निबंन्धक/सहायक निबंधक सोसाइटी के नाम के परिर्वतन का रजिस्ट्रीकरण नियमानुसार उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अस्वीकृत कर सकते हैं।

(5) कतिपय परिस्थितियों में सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की शक्ति उप निबंन्धक/सहायक निबंधक को प्राप्त हैं। सोसाइटी के विघटन की नियमानुसार प्रक्रिया प्रारम्भ करवाने की शक्ति भी उन्हें प्राप्त है।

(6) उप निबंन्धक/सहायक निबंधक लिखित आदेष द्वारा किसी सोसाइटी से एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर लिखित सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत करने के लिये कह सकते हैं तथा लेखा परीक्षा रिर्पोट आदि जांच एवं परीक्षण हेतु मंगा सकते हैं।

(7) अधिनियम की धारा 22 के अधीन उप निबंन्धक/सहायक निबंधक किसी भी सोसाइटी के कामकाज का अन्वेषण कर सकते है तथा अन्वेषण के प्रयोजन हेतु सोसाइटी के अभिलेखों का अधिग्रहण कर सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार सोसाइटी के रजिस्ट्रेषन को रद्द करने तथा विधि के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा सोसाइटी का विघटन करवा सकते है।

(8) यदि कोई सोसाइटी इस तरह से संचालित की जाती है जिससे सोसाइटी के उद्देष्य विफल होते हों अथवा सोसाइटी कुप्रबन्धित होती है या सोसाइटी के किसी अधिकारी द्वारा वैस्वासिक भंग अथवा सदृष्य आध्यताओं के भंग द्वारा क्षतिग्रस्त होती है तो उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह सोसाईटी के कामकाज का अन्वेषण अथवा सोसाइटी की किसी संस्था का निरीक्षण करे तथा शपथ के आधार पर सोसाइटी के किसी अधिकारी, सदस्य अथवा कर्मचारी का परीक्षण करने के लिये उसे बुलाये अथवा सोसाइटी के लेखा–पुस्तक सहित किन्हीं अथवा सभी अभिलेखों का अभिग्रहण करे। किसी कमी अथवा अनियमितता को दूर करने के लिये कोई निर्देष दे, जिसे न करने पर सहायक/उप रजिस्ट्रार धारा 12–घ अथवा 13–ख के अधीन सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने/सोसाइटी के विघटन की कार्यवाही कर सकते हैं।

(9) निबंधक/संयुक्त निबंधक/उप निबंन्धक/सहायक निबंधक की समस्त शक्तियों के विषय में सोसाइटी रजिस्ट्रेषन अधिनियम, 1860 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

(10) कार्यालय में तैनात कर्मचारियों में विभाग के कार्यों का आवंटन करना।

¼x½ eq[; lgk;d@iioj lgk;d@dk;kZy; lgk;d ds dÙkZO; ,oa nkf;Ro%&

(1) सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों को सोसाइटियों के रजिस्टर प्रपत्र–1 में तत्काल रजिस्ट्रीकृत करना तथा रजिस्ट्रेशन हेतु प्राप्त प्रपत्रों का अधिनियम के उपबंधों के अधीन जांच एवं परीक्षण करके निबंधक/उप निबंन्धक/सहायक निबंधक की अनुमति के पश्चात निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने के उपरान्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी करना तथा सोसाइटी के उक्त रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां करना।

(2) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन–पत्र को नवीनीकरणों से सम्बन्धित रजिस्टर में तुरन्त प्रविष्टि करना। यदि आवेदन–पत्र सभी प्रकार से ठीक पाया जाता है तो निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार नवीनीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने की कार्यवाही करना तथा संदर्भित रजिस्टर में सभी प्रविष्टियां पूर्ण करना।

(3) कार्य आवंटन आदेश के अनुसार दैनिक प्राप्तियों का रजिस्टर, रसीद बहीं, निरीक्षणों का रजिस्टर, जारी की गयी प्रतियों का रजिस्टर, निक्षेपों के सत्यापन का रजिस्टर आदि नियमानुसार बनाना व अद्यतन प्रविष्टियां करना।

(4) सोसाइटी/फर्मों से सम्बन्धित सभी पत्रावलियों की सुरक्षित अभिरक्षा तथा समय–समय पर आव'यकतानुसार पत्रावलियां कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करना तथा निर्देशित पत्रालेख तैयार करके निर्गत करना।

(5) कार्य आवंटन के अनुसार कैश बुक तथा कैश की सुरक्षित अभिरक्षा रखना तथा नियमानुसार प्राप्त कैश को राजकोश में जमा करना।

{k=h; dk;ky; ngjknu e rlukr delpkfj;k dk dk;l vkoVu

dk;ky;&mi fucU/kd]QElI lkslkbVh ,o fpV~I]
mRrjk[k.M]ngjknu A

पत्रांकः—   /फ0सो0चि0/   दिनांक 31 अक्टूवर 2007

dk;ky;&vkns'k

शासनादेष संख्या 242/ xxvii (6) 2007 दिनांक 31 अगस्त 2007 द्वारा निबन्धक, फर्म्स सोसाइटी एंव चिट्स, के कार्य का जिला कोषागारों में विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है जिसके क्रम में जिला देहरादून का कार्य आंवटन तहसील वार कर दिया गया है तथा अग्रिम आदेषों तक निम्न कर्मचारियों को कार्य आंवटन किया जाता है यह तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगे ।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	आंवटित कार्य
1—	श्री रामकुमार सिह कार्यालय सहायक	1—मुख्यालय, निबन्धक, फर्म्स सोसाइटी एंव चिट्स, उत्तरांखण्ड के कार्यालय का समस्त कार्य। 2—तहसील कालसी, त्यूनी, विकासनगर, चकराता से संबंधित सोसाइटी नवीनीकरण तथा सूचना के अधिकार सबंधी कार्य। 3—फर्म पंजीकरण एंव सोसाइटी पंजीकरण का 2 — 2 माह के रोटेषन से कार्य। माह नवम्बर 07 से फर्म पंजीकरण का कार्य। 4—कम्प्यूटरों का पूर्ण रख—रखाव तथा एन0आई0सी0 देहरादून को प्रति सप्ताह बैक—अप सम्बन्ध सूचना उपलब्ध करवाना । 5— जी0पी0एफ0 पास बुक तथा भवन निर्माण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ,स्कूटर अग्रिम तथा बजट से संबंधित कार्य। 6—निबन्धक/उप निबन्धक द्वारा समय—समय पर सौंपे गये अन्य कार्य। 7—श्री रामकुमार सिह के अनुपस्थिति में सुनील कुमार कार्य देखेंगे
2—	श्री सुनील कुमार वरिष्ठ लिपिक	1—स्थापना सम्बन्धी तथा व्यक्तिगत पत्रावली के रख रखाव संबंधी समस्त कार्य । 2—लेखा, नजारत तथा फीस सम्बन्धी समस्त कार्य । 3—तहसील ऋषिकेष से संबंधित नवीनीकरण तथा सूचना का अधिकार संबंधी कार्य । 4—फर्म पंजीकरण एंव सोसाइटी पंजीकरण का 2 — 2 माह के रोटेषन से कार्य। माह नवम्बर 07 से सोसाइटी पंजीकरण का कार्य। 5—निबन्धक/उप निबन्धक द्वारा समय—समय पर सौपें गये अन्य कार्य । 6—श्री सुनील कुमार के अनुपस्थिति में दिगम्बर सिह कार्य करेगे
3—	श्री दिगम्बर सिह कनिष्ठ सहायक	1—तहसील देहरादून से संबधित सोसाइटी नवीनीकरण के कार्य। 2—फर्म पंजीकरण एंव सोसाइटी पंजीकरण का 2 — 2 माह के रोटेषन से कार्य। माह दिसम्बर से फर्म पंजीकरण का कार्य। 3—जनपद देहरादून से संबधित चिट्फण्ड के कार्य। 4—डाक प्रेषण का कार्य। 5—सूचना के अधिकार अधिनियम संबंधी समस्त कार्य। 6—निबन्धक/उप निबन्धक द्वारा समय—समय पर सौपें गये अन्य कार्य 7—श्री दिगम्बर सिह की अनुपस्थिति में श्री राम कुमार कार्य करेगे
4—	श्री चिरकुट लाल फो0म0ऑ0	1—स्थानीय डाक पहुॅचाने तथा लाने का कार्य। 2— निबन्धक/उप निबन्धक द्वारा समय—समय पर सौपें गये अन्य कार्य।
5—	श्री दान सिंह नेगी	1—कोषागार में बिल लगाने तथा चैक लाने का कार्य।

	अनुसेवक	2–बैक में ड्राफ्ट जमा करने तथा स्थानीय डाक पहुँचाने तथा लाने का कार्य। 3–रिकार्ड रूम के कार्य में श्री नारायण गिरि की सहायता करना। 4– निबन्धक/उप निबन्धक द्वारा समय–समय पर सौपें गये अन्य कार्य। 5–श्री दान सिह की अनुपस्थिति में श्री नारायण गिरी इनके समस्त कार्यो को करेंगे
6–	श्री ओमप्रकाष अनुसेवक	1– डाक प्राप्ति का कार्य । 2–अधिकारियों /कार्मिको की मेजो, कम्प्यूटर इत्यादि की सफाई का कार्य। 3–टेलीफोन का रखरखाव/फोन अटेण्ड करने की जिम्मेवारि यों का निर्वहन। 4– निबन्धक/उप निबन्धक द्वारा समय–समय पर सौपें गये अन्य कार्य। 1–श्री ओमप्रकाष की अनुपस्थिति में डाक प्राप्ति का कार्य दिगम्बर सिह द्वारा किया जायेगा ।
7–	श्री नारायण गिरी टनुसेवक	1– फोटो मषीन का रखरखाव तथा प्रपत्रों की प्रतियॉ तैयार करना । 2–रिकार्ड रूम तथा उसमें रखी जाने वाली पत्रावलियॉ का सही रख रखाव । 3–सूचना के अधिकार संबंधित समस्त प्रतियॉ तैयार करना । 4–निबन्धक/उप निबन्धक द्वारा समय–समय पर सौपें गये अन्य कार्य। 5–श्री नारायण गिरी की अनुपस्थिति में श्री दान सिह इनके समस्त कार्यो को करेंगे ।
8–	श्रीमती गैंदा देवी अनुसेवक	1–अधिकारियों /कार्मिको की मेजो, कम्प्यूटर इत्यादि की सफाई का कार्य। 2–टेलीफोन का रखरखाव/फोन अटेण्ड करने की जिम्मेवारियों का निर्वहन। 3– निबन्धक/उप निबन्धक द्वारा समय–समय पर सौपें गये अन्य कार्य।
9–	श्री रणवीर सिंह नेगी	1–उपनिबंधक के वाहन चालक के साथ–साथ श्री नारायण गिरी के साथ रिकार्ड में सहयोग करना। 2– निबन्धक/उप निबन्धक द्वारा समय–समय पर सौपें गये अन्य कार्य।
10–	श्री रवीन्द्र सिंह रावत, कम्प्यूटर आपरेटर	1–नये पंजीकरण में सहायकों के सहयोग श्री रवीन्द्र सिंह रावत द्धारा किया जायेगा। 2– निबन्धक/उप निबन्धक द्वारा समय–समय पर सौपें गये अन्य कार्य।

(उप निबंधक)
देहरादून

पत्रांक– /कार्य आवंटन/देहरादून/ दिनांक अक्टूबर 2007

प्रतिलिपिः– 1–निबंधक, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स, उत्तराखंड, देहरादून।
2–समस्त पटल प्रभारी/कर्मचारी।
3–नोटिस बोर्ड।

(उप निबंधक)
देहरादून

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स कुमॉयू क्षेत्र हल्द्वानी नैनीताल।

सेवा में,

रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसा0 एवं चिट्स, उत्तरांचल,
8 ए बंगाली मौहल्ला देहरादून।

पत्रांक– 2473 / हल्द्वानी / दिनांक– 4–12–06

विषय– क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी में कार्यांबन्टन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय से सम्बन्धित कार्य वितरण का विवरण निम्नवत् है–

1.	श्री एम0सी0जोषी	डिप्टी रजिस्ट्रार	प्राप्त आवेदनों का निस्तारण, सम्बन्धित आदेष निर्गत करना, अनुश्रवण करना।
2.	श्री शंकर सिंह गर्ब्याल	प्रवर सहायक	प्राप्त आवेदन पत्रों का समयबद्ध निस्तारण एवं अनुश्रवण
3.	श्री दीनानाथ पाण्डे	फोटा मषीन आपरेटर	आवेदन पत्रों का शुल्क प्राप्त करना व डिस्पैच का कार्य करना।

सूचना आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(एम0सी0जोषी)
डिप्टी रजिस्ट्रार

foRrh; gLriqfLrdk Hkkx&1 d s i`"B 19 d s vuqlkj foHkkxk/;{kksa dks fuEu vf/kdkj iznRr gS%&

1. उनके अपने कार्यालयों अथवा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के प्रयोग के लिए पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं नक्षे तथा अन्य प्रकाषन खरीदने का पूर्ण अधिकार।

2. षिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ व उनके पुस्तकालयों हेतु कक्षा षिक्षण पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें खरीदने का पूर्ण अधिकार।

3. भारत के अन्य राज्यों को विभागीय प्रकाषनों की निःषुल्क सप्लाई तथा उन्हें इन प्रकाषनों के विनिमय स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार उन शर्तों के अधीन यदि कोई हों, जो विभागीय नियम संग्रह आदि में दिये हुए हों ।

4. संदर्भ पुस्तकें व शुद्धि पत्र उनके अपने कार्यालयों में तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में प्रयोग के लिए राजकीय मुद्रणालय से सीधे प्राप्त करना कुछ शर्तों के अधीन पूर्ण अधिकार।

5. (क) निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री से पूर्व परामर्ष किये बिना निजी मुद्रणालयों से पंजीयत/अपंजियत प्रपत्रों व अन्य आवश्यक कार्य (जैसे नक्षे नोटिस आदि) का मुद्रण कराना प्रत्येक मामले में रू0 10,000 तक ।

   (ख) विभागीय कार्य यथा निविदा, विभागीय सूचना आदि के विज्ञापन के लिए व्यय स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है ।

6. श्षासन द्वारा पट्टे पर ली गयी भूमि के किराये का भुगतान स्वीकृत करना। (वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के परिशिष्ट 10 में दी हुयी शर्तों के अधीन रहते हुए)।

7. आवष्यक प्रयोजनों (गोदामों को छोड़कर) के लिए किराये पर लिये गये भवनों का किराया स्वीकृत करना ।

8. शासनादेशा संख्या 2177/एन/10–7–94–15/एस.पी./92 दिनांक 17 अक्टूबर, 94 के अनुसार रू0 एक लाख तक लेखन सामग्री क्रय किये जाने का अधिकार है।

ys[ku lkexzh Ø; djuk%& एक बार में रू0 50 हजार तक (रू0 2500/– तक बिना कोटेशन के, रू0 15000/– तक कोटेषन के आधार पर तथा रू0 15000/– से अधिक टेण्डर आमंत्रित करने का पूर्ण अधिकार) । इस प्रकार वित्तीय नियमों में पूरी पारदर्षिता बरती गयी है। लेखन सामग्री से भिन्न कार्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिसमें बजट की उपलब्धता हो भण्डार क्रय हेतु भी बाजार मूल्य पर रू0 2500/– तक बिना कोटेशन, रू0 15000/– तक कोटेशन तथा रू0 15000/– से अधिक क्रय समाचार–पत्र में टेन्डर निकाल कर क्रय करने की प्रक्रिया है ।

उक्त के क्रम में किसी मानक मद में बजट कम होने पर पुनर्विनियोग के माध्यम से या अतिरिक्त मांग द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजकर धनराषि पुनः आवंटन करने का अनुरोध किया जाता है तथा अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होने पर ही आवश्यक अतिरिक्त भुगतान किये जाने की प्रक्रिया है । समय–समय पर शासन द्वारा वेतन एवं तद्संबंधी भत्तों का बजट आवंटन की प्रतीक्षा में व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है अथवा वेतन से संबंधित सभी मानक मदों में उपलब्ध बजट को जोड़कर कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती है, ताकि वेतन वितरण में विलम्ब न हो ।

fu;exr “kfDr;k vkj drZ0; dk fooj.k %&

1. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पांच भाग–1 में विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारियों को प्रदत्त दायित्व का निर्वहन तथा निर्धारित प्रपत्रों पर लेखा सम्बन्धी विवरण तैयार करना तथा यथावश्यक वांछित स्तरों को सूचना भेजने का प्रावधान किया गया है ।

2. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के प्राविधानों के अधीन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणी की यात्राओं को अनुमोदित करना तथा देय यात्रा व्यय एवं अन्य भत्तों का भुगतान अधिकृत करने की ब्यवस्था की गयी है।

3. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग 2 एवं ट्रेजरी रूल्स के प्राविधानों के अनुसार कोषागार से वित्तीय व्यवहरण किया जाता है।

4. सेवा सम्बन्धी प्रकरण तथा तद्विषयक वेतन एवं भत्तों हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग 2 से 4 के अनुसार यथा वांछित कार्यवाही करने तथा आदेश पारित करने की ब्यवस्था की गयी है।

5. विभाग हेतु लागू सेवा नियमावलियों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी के दायित्व का निर्वहन तथा चयन प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति/प्रोन्नति आदेश निर्गत किये जाते हैं ।

6. भविष्य निधि नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कर्मचारियों को अस्थाई/स्थाई अग्रिम स्वीकृत करना तथा अन्तिम निष्कासन का प्राधिकार–पत्र जारी करना ।

7. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण तैयार कर वित्त विभाग तथा महालेखाकार को निर्धारित प्रपत्र पर सूचना भेजना तथा महालेखाकार से लेखों का मिलान करना।

8. बजट मैनुअल के अनुसार निर्धारित तिथि पर बजट प्राकलन (इस्टी मेट) तथा नई मांग (यदि आवश्यक हो) शासन को भेजना, अधीनस्थ कार्यालयों को समय से बजट आवंटन, अधीनस्थ कार्यालयों अथवा किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा समय से आदेशों का सही अनुपालन न किया जाय तब तथ्यों पर विचार कर नियमानुसार कार्यवाही करना।

9. आचार संहिता, वित्तीय अनियमितता, किसी अपराधिक कृत्य की स्थिति में अधीनस्थ कर्मचारियों के विरूद्ध स्थापित प्रक्रिया के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

10. जनहित या प्रषासनिक आधार पर यथावश्यक अधीनस्थ कर्मचारियों का स्थानांतरण/पटल परिवर्तन/कार्य विभाजन सभी आदेष निर्गत करना ।

11. विभाग में कम्प्यूटर तथा अन्य उपकरणों के रख–रखाव हेतु सम्बन्धित फर्म से अनुबन्ध करना तथा अनुबन्ध की शर्तों का कड़ाई से पालन करना ।

12. अधिकारियों/कर्मचारियों की समस्याओं का नियमानुसार समय से समाधान करना तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संघों से नियमित अन्तराल पर विचार विमर्श करना एवं उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराना ।

13. विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण में औपचारिकतायें पूर्ण होने पर नियमानुसार समयबद्ध कार्यवाही करना ।

14. शासन के कार्मिक विभाग, वित्त विभाग तथा अन्य शासन के विभागों द्वारा दिये गये विधि अनुरूप आदेशों का समय से अनुपालन सुनिष्चित करना ।

15. किसी विषेष परिस्थिति या जहां नियमों/प्रक्रियाओं से लोकहित के कार्यों में गतिरोध उत्पन्न हो रहा हो, शासन के संज्ञान हेतु पूरी सूचना भेजना ।

16. विभाग से सम्बन्धित मुकदमों के प्रकरण में शासन से अनुमति प्राप्त कर सम्बन्धित न्यायालय को समय से स्थिति स्पष्ट करना तथा प्रभावी पैरवी करना ।

17. विभाग के प्रकरण में लागू मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आडर्स तथा अन्य अधिनियिमों, नियमों, प्रक्रियाओं आदि का अनुपालन सुनिश्चित कराना ।

18. अधीनस्थ कार्यालयों एवं नियमों में प्राविधान के अनुसार निर्दिष्ट कार्यालयों का निरीक्षण करना तथा निरीक्षण आख्या पर अनुपालन सुनिष्चित कराना ।

LFkkiuk&

समाज के विभिन्न वर्गो, समुदायो या जन सामान्य के कारण हेतु व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रयासों के साथ–साथ सामूहिक प्रयास भी किये जाते रहे है। उन्हीं सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप स्वैच्छिक संगठन या समितियाँ बनायी जाती है। समितियो को व्यवस्थित करने एवं इनके संबंध में कानून बनाने के ध्येय से ही वर्ष 1860 मे सोसाइटी रजिस्ट्रेषन ऐक्ट 1860 बनाया गया था। यह एक केन्द्रीय अधिनियम है जो सम्पूर्ण भारत वर्ष में समान रूप से लागू किया गया।

उक्त अधिनियम पारित होने के बाद सम्भवतः केन्द्रीय ऐक्ट होने के कारण समितियों के पंजीकरण के कार्य हेतु केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत स्थापित कार्यालय रजिस्ट्रार ज्वाइन्ट स्टाफ कम्पनीज उ0प्र0 को प्राधिकृत किया गया था। वर्ष 1932 में, भागीदारी फर्मो के संबंध में भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 पारित हुआ तथाइस ऐक्ट के अन्तर्गत, रजिस्ट्रार के अधिकार तथा इसको क्रियान्वयन हेतु रजिस्ट्रार ज्वाइन्ट स्टाफ कम्पनी को अधिकृत किया गया।

इसी मध्य सोसाइटी रजिस्ट्रेषन ऐक्ट 1860 की कतिपय धाराओ में वर्ष 1975 में संषोधन किये गये तथा कुछ आवश्यक धाराएँ जोड़ी गई। यह संशोधन उ0प्र0 संशोधन, 1975 के रूप में किये गये। उ0प्र0 सोसाइटी रजिस्ट्रेषन रूल्स 1976 भी बनाया गया। उ0प्र0 चिट फण्ड ऐक्ट 1975 को समाप्त करके उसके स्थान पर चिट फण्ड अधिनियम 1982 बनाया गया जो कि एक केन्द्रीय ऐक्ट है। एस अधिनियम हेतु उ0प्र चिट फण्ड नियमावली 1988 बनायी गयी है।

dk;Zdyki

रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स उ0प्र0 कार्यालय के द्वारा मुख्य निम्न तीन अधिनियमो के क्रियान्वयन का कार्य होता है।

1. सोसाइटी रजिस्ट्रेषन ऐक्ट 1860
2. भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932
3. चिट फण्ड अधिनियम 1982
4. द प्राइज चिट् एवं मनीसकुेलन (बैनिग) ऐक्ट 1978

उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत निम्न कार्य इस विभाग द्वारा सम्पादित किये जाते है:

d- lkslkbVh jftLVªs'ku ,DV 1860

इस अधिनियम के अन्तर्गत शैक्षणिक, धमार्थ, ज्ञान प्रकार एवं जनकल्यार्थ हेतु निर्मित समितियो के पंजीकरण, प्रत्येक पांच वर्ष बाद पंजीकृत समितियो के नवीनीकरण का कार्य इस अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है। संस्थाओ की प्रबंधसमिति की वाार्षिक सूची की पंचीकरण तथा संस्था द्वारा अपने पंजीकृत उद्देष्यों या पंजीकृत विधान में आवश्यकतानुसार परिवर्तन, संस्थ अपने नाम में परिवर्तन की कार्यवाही प्रस्तुत कियक जाने पर, सोसइटी रजिस्ट्रेषन ऐक्ट के सुसंगत नियमो के अन्तर्गत पंजीकरण का कार्य किया जाता है। संस्थाओं के द्वारा वित्तीय अनियमिताओं की षिकायत प्राप्त होने पर संस्था के लेखो की जांच एवं संस्था के कार्य कलापों का निरीक्षण भी किया जाता है। अधिनियम की धारा 4(1) के परंतुक के अन्तर्गत यदि चुनावोपरान्त पिछली कमेटी के पदाधिकारी या कार्यकारिणी सदस्य आपत्ति प्रस्तुत करते है तो रजिस्ट्रार द्वारा आपत्तियो आमन्त्रित करके उस पर सो0रजि0ऐक्ट के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत आदेष पारित किये जाते है। यहा यह उल्लेखनीय है कि यदि संस्था की प्रबंध समिति में चुनाव विवाद विद्यमान है तो अधिनियम की धारा 25(1) के अन्तर्गत प्रकरण विहित प्राधिकारी के सन्दर्भित

किये जाने की व्यवस्था है। यदि विहित प्राधिकारी द्वारा संस्था के चुनावो को निरस्त किया जाता है अथवा रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाय कि किसी संस्था के चुनाव संस्थ के पंजीकृत विधान के अनुसार समय से नही हुए है तथा प्रबंध समिति कालातीत हो चुकी है तो रजिस्ट्रार – संस्था की प्रबंधसमिति के चुनाव अपनी देख–रेख में सम्पन्न कराते है। संस्थाद्वारा यदि पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण/पत्र गलत तथ्यो को प्रस्तुत करके फर्जी प्रपत्रो के आधार पर प्राप्त किया जाता है, अथवा संस्था के क्रियाकलाप जनविरोधी है, तो ऐसी दशा में रजिस्ट्रार को अधिनियम की धारा 12 डी (1) के अन्तर्गत पंजीकरण/ नवीनीकरण प्रमाण पत्र के निरस्त किये जाने के आदेष संस्था को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पष्चात पारित करना होता।

[k- Hkkjrh; Hkkxhnkjh vf/kfu;e 1932

एस अधिनियम के अन्तर्गत भागीदारी फर्मो के पंजीकरण, पंजीकरण के पश्चात फर्म के व्यवसाय के परिवर्तन, पंजीकृत फर्म के ब्रान्च खोलने या बन्द करने की सूचना, किसी भागीदार का भागीदारी फर्म की भागीदारी में शामिल होने या पृथक होने की सूचना अथवा फर्म के विघटित होने की सूचना तथा अव्यस्क जो पूर्व से किसी पंजीकृत भागीदारी में लाभाषं हेतु भागीदार है, के वयस्क होने पर शामिल होने की सूचना जो उ0प्र0 भारतीय भागीदारी रूल्स 1933 में दिये गये निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करने पर उसकी सूचना पंजीकृत करने एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही की जाती है।

x- fpV Q.M vf/kfu;e 1982%

यू0पी0 चिट फण्ड ऐक्ट 1975 को उक्त अधिनियम की धारा 90 के अन्तर्गत रिपील करके एक केन्द्रीय ऐक्ट चिट फण्ड अधिनियम 1982 बनाया गया। उ0प्र0 शासन के वर्ष 1988 में उ0प्र0 चिट फण्ड नियमावली 1982 बनायी। इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यवसाय करने वाले, व्यक्तिगत, भागीदारी फर्मो या कम्पनियो को अपने नाम में चिट, चिट फण्ड, कुरी या चिटी का प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। एस समय में व्यक्तिगत द्वारा 25000/– भागीदारी फर्मो द्वारा रू0 1,00000/– तथा कम्पनियों द्वारा अपने नेट ओन फण्ड के दस गुना तक के चिट ग्रुपो के संचालन का अधिकार है।

चिट ग्रुप संचालन के लिये चिटग्रुप की धनराषि के बराबर की निर्धारित षुल्क जमा करके पूर्व अनुमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब परीक्षणोपरान्त रजिस्ट्रार द्वारा पूर्व अनुमति प्रार्थना पत्र एवं प्रतिभूति पर्याप्तता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

उसके पष्चात चिटग्रुप संचालक द्वारा दो प्रतियो में चिट एग्रीमेन्ट प्रस्तुत करने पर परीक्षणोपरान्त चिट एग्रीमेन्ट की पंजीकरण करके रजिस्ट्रार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

चिट संचालन हेतु निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना तथा निधरित शुल्क प्रस्तुत करने पर रजिस्ट्रार द्वारा परीक्षणापरान्त चिट प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

चिट प्रारम्भ करने के पश्चात फोरमैन को प्रतिमाह मिनट की प्रतियां प्रेषित करना होता है। चिट ग्रुप समाप्त होने पर फोरमैन द्वारा प्रतिभूति अवमुक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर रजिस्ट्रार द्वारा यह जांच करने के पश्चात कि प्रत्येक सदस्य को चिट धनराषि की भुगतान हो गया है तथा सम्पूर्ण भुगतान सुनिष्चित होने के पश्चात रजिस्ट्रार द्वारा संबंधक प्रतिभूति धनराषि अवमुक्त कर दी जाती है।

यदि चिटग्रुप के सदस्यो द्वारा चिट धनराषि का भुगतान नही किया जाता है तो इस अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत फोरमेन द्वारा आर्विटेषन केस सांस्थित किया जाता है जिसकी सुनवाई के पश्चात रजिस्ट्रार द्वारा एवार्ड किया जाता है तथा यदि फिर भी चिट धनराषि का भुगतान सदस्यों द्वारा नही किया जाता है तो रजिस्ट्रार द्वारा रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।

?k- n ikbt fpV ,o euh ld yu ¼cfux½ ,DV 1978

इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्तिगत फर्म या कम्पनियों द्वारा इनामी योजना अथवा धन परिचालन का कार्य जो इस अधिनियम के अन्तर्गत ..... है करता है तो रजिस्ट्रार को उनके विरूद्ध अधिनियम की अंतर्गत कार्यवाही करने की अधिकार प्रदान किये गये।

<u>¼euvy l[;k&3½</u>

<u>विनिष्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।</u>

euvy l[;k&5

अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेष, निर्देषिका और अभिलेख

(The rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions).

- लोक प्राधिकारी तथा उसके अधीन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन सोसाइटी रजिस्ट्रेषन अधिनियम, 1860 तथा इडियन पार्टनरषिप अधिनियम, 1932, चिट्स फण्ड एक्ट 1982 तथा समय–समय पर शासन द्वारा जारी किये गये शासनादेषों, वित्तीय नियमों व अन्य निर्देषों एवं नियमों के आधार पर किया जाता है। इनसे सम्बन्धित अभिलेखों की सूचना बेवसाइट gov.ua.nic.in\society पर उपलब्ध है। इन सभी अधिनियमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी "संलग्नक–2" पर दी गयी है।
- विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्षों के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु स्पष्ट कार्य बटवारा किया गया है। कार्यालय के दिन प्रतिदिन के कार्यों के सम्पादन हेतु कर्मचारियों के मध्य स्पष्ट रुप से कार्यों का आबंटन किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में तैनात कर्मचारियों का कार्य आवंटन "संलग्न–1" के साथ दिया गया हैं।

- वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक/आषु लिपिक/चिट आडिटर/टंकक/ लिपिक/ कार्यालय सहायक/ डाटा इन्ट्री आपरेटर/कैषियर आदि को स्पष्ट निर्देष हैं कि उन्हें जो अभिलेख परीक्षण के लिये दिये जाते हैं उन्हें स्थापित नियमावली, प्रक्रिया,अधिनियमों, शषनादेष या परिपत्र के प्राविधानों के अनुसार शत प्रतिषत परीक्षण करने के उपरान्त ही अपनी स्पष्ट आख्या सहित पत्रावलियां उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें। इन कार्यों के लिये उन्हें कार्यालय में रखे गये आदेषों, निर्देषों की गार्ड फाइल का निरन्तर अन्तराल पर अध्यन करने, आवष्यक आदेषों की एक छाया प्रति अपने पास भी रखने के निर्देष भी दिये गये हैं। परीक्षणोपरांत अभिलेखों का नियमानुसार यथा आवश्यक कम्प्यूटर पर डाटा इन्ट्री करना तथा सावधानी की दृष्टि से पुनः परिवेक्षण हेतु उन्हें अभिलेख सहायक निबंधक/उप निबंधक को प्रस्तुत करना चाहिये। अभिलेख पर अन्तिम रूप से आदेष पारित करने या हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी सामान्य सोच (Common Prudence) से परीक्षण का अनुमोदन या आवष्यक टिप्पणी लिखते हैं। अन्तिम अनुमोदन/आदेष के बाद जिस माध्यम से अभिलेख आता है उसी माध्यम से वापस इस आषय से किया जाता है, ताकि उक्त आदेष से सम्बन्धित स्तर से अवगत हो जाए । अन्ततः अभिलेख/पत्र अन्तिम गन्तव्य को भेज दिया जाता है।
- विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य स्पष्ट है, परन्तु आहरण वितरण अधिकारी का प्रतिनिधायन किया गया है । अतः शासन द्वारा नियुक्त आहरण वितरण अधिकारी अर्थात निबंधक का यह दायित्व है कि जो भी प्रस्ताव पत्रावली पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाय उसका विधिवत परीक्षण कर लें ताकि कोई अनियमितता न हो क्योंकि नियमानुसार अन्तिम दायित्व शषन द्वारा नियुक्त डी0डी0ओ0 का ही है । वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पांच भाग–1 के प्रस्तर–47 (जी) के नीचे लिखी टिप्पणी के क्रम में प्रतिनिधानित अधिकार के अधिकारी का दायित्व है कि निर्धारित प्रपत्रों पर ही बिल पंजी, नियंत्रक पंजी, देयक, देयक पंजी (प्रपत्र 11–सी), कोषागार पंजी (ट्रेजरी प्रपत्र–1), कैष बुक आदि का सही रख–रखाव करे। यदि किसी मद में कोई सरकारी धनराषि प्राप्त की जाय तब अनिवार्य रूप से प्रपत्र–385 पर प्राप्ति रसीद दी जाय । आयकर सम्बन्धी सभी विवरण समय से सही प्रारूप में तैयार कर सम्बन्धित व्यक्ति/प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जाय । जिस कर्मचारी द्वारा ऐसे अभिलेख तैयार किये जाय वह उसमें किसी भी प्रकार से बदलाव, सफा करने (इरेजिंग) या किसी प्रकार के फेर बदल या गायब करने की

कार्यवाही नहीं करेंगे । यदि कहीं कोई परिवर्तन आवष्यक हो तब उस अधिकारी से ऐसे परिवर्तन प्रमाणित कराना अनिवार्य है।

- कार्यालय में रखी जाने वाली पंजिकायें विषेषकर भण्डार पंजिका, सम्पति पंजिका, स्टेषनरी पंजिका, आकस्मिक/अर्जित/चिकित्सा अवकाष पंजी, सेवा पुस्तिका, भविष्य निधि पासबुक तथा तद्सम्बन्धी लेजर, सामूहिक बीमा के भुगतान सम्बन्धी पंजी जैसे अभिलेखों पर उप निबंधक जिसके पास कार्यालयाध्यक्ष का प्रभार है सीधा नियंत्रण रखने का दायित्व है।
- निबंधक के नियंत्रणाधीन उनके वैयक्तिक सहायक की अभिरक्षा में अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टि की गार्ड फाइल रखी जाती है । वैयक्तिक सहायक का निजी दायित्व है कि वह निबंधक के निर्देषों को यथावत संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को सूचित करे तथा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को जब तक किसी विरोधाभाष का आभास न हो वैयक्तिक सहायक द्वारा दी गयी सूचना निबंधक का निर्देष/आदेष मानना चाहिये और यदि कहीं संषय हो तो निबंधक से सीधे वार्ता करना चाहिए । वैयक्तिक सहायक का दायित्व है कि यदि किसी स्थान से निबंधक हेतु कोई सूचना प्राप्त हो तब उसे दूरभाष पर या लिखकर अवगत कराना चाहिए । यदि निबंधक किसी कारण उपलब्ध न हो सके तब तत्कालिक महत्व की सूचना कार्यालयाध्यक्ष को दिया जाना चाहिए।
- अधीनस्थ कर्मचारी बिना कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की अनुमति के निजी प्रकरण में शासन स्तर से पत्राचार नहीं कर सकते तथा बिना पूर्व अनुमति के शासन के अधिकारी या विभागाध्यक्ष से मिलने हेतु यात्रा नहीं कर सकते। सेवा सम्बन्धी तथा ट्रान्सफर के प्रकरण में प्रतिवेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत करने तथा राजनैतिक दबाव डालना आचार संहिता का उल्लंघन एवं अनुषासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने का आधार माना जा सकता है।

- कार्यालय में नियुक्त वर्ग "घ" के कर्मचारी द्वारा नियत समय से आधा घन्टे पूर्व आकर कार्यालय खोल दिया जाता है तथा कार्यालय की मेज, कुर्सी, अलमारी, कम्प्यूटर कक्ष आदि की सफाई की जाती हैं। यदि कार्यालय परिसर में कोई संदेहात्मक/आपत्ति जनक सामग्री या कोई विषेष घटना हुयी हो तो तत्काल इसकी सूचना उच्च अधिकारियों दी जानी चाहिये। कार्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था, बैठकों आदि के अवसर पर चाय/जलपान की व्यवस्था, कार्यालय कार्यकाल में संबंधित अधिकारियों के आदेष पर गन्तव्य स्थल पर डाक या अन्य शासकीय सामग्री पहुंचाने तथा लाने हेतु भी स्पष्ट निर्देष दिये जाते हैं। इसी प्रकार कार्यालय बन्द करने के विषय में भी स्पष्ट निर्देष दिये जाते हैं ताकि कार्यालय भवन की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। कार्यालय भवन की सुरक्षा व्यवस्था हेतु पी0 आर0 डी0 के जवानों की ब्यवस्था अलग से की गयी है। वर्तमान समय में कार्यालय भवन की सफाई हेतु संविदा पर सफाई कर्मी की व्यवस्था अलग से की गयी है।

उपरोक्त कर्त्यो के निवर्हन के लिए निबंधक/उप निबंधक/सहायक निबंधक तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा समय–समय पर जो अधिनियम, नियमावली, मैनुअल, वित्तीय नियम संग्रह आदि प्रयोग में लाये जाते हैं, उनकी सूची तथा संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

d- l-	fu;e dk fooj.k	mi;ksfxrk lEcU/kh fooj.k
1	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1	वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन से सम्बन्धित नियमावली।
2.	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग 2 से 4	सेवा से सम्बन्धित नियमावली। जैसे वेतन निर्धारण, अवकाश आदि।

3.	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3	यात्रा भत्ता नियमावली।
4.	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1	लेखा नियमावली, लेखा से संबंधित प्रपत्रों का प्रारूप।
5.	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2	कोषागार के वित्तीय व्यवहरण के विषय में।
6.	कोषागार मैनुअल	कोषागार के वित्तीय व्यवहरण के सभी अंश जो डी0डी0ओ0 से जुडे हुये हैं।
7.	उत्तरांचल कोषागार नियमावली	कोषागार के वित्तीय व्यवहरण के सभी अंश जो डी0डी0ओ0 से जुडे हुये हैं।
8.	बजट मैनुअल	बजट प्रक्रिया के विषय में।
9.	यू0पी0 रिटायरमेन्ट्स बेनिफिट्स रूल्स–1961	वर्तमान में मात्र संदर्भ हेतु, क्योंकि इस कार्य हेतु अलग से नियमावली बनायी गयी है।
10.	यू0पी0 रिटायरमेन्ट्स बेनिफिट्स रूल्स – 1965	सेवानैवृत्तिक लाभ की प्रक्रिया।
11.	उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1979	सेवानैवृत्तिक लाभ की प्रक्रिया।
12.	मैनुवल ऑफ गर्वनमेंट आर्डस	शासनादेशों का संग्रह ।
13.	उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956	सरकारी सेवकों के व्यवहार एवं आचरण सम्बन्धी मानक तथा सिद्वान्त।
14.	उत्तरांचल कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002	उत्तर प्रदेश के प्राविधानों को उत्तरांचल द्वारा अपने नियमों का प्रख्यापन ।
15.	समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004	इस संवर्ग में नियुक्ति की प्रक्रिया।
16.	उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि नियमावली, 2003	सामूहिक बीमा निधि की कार्य प्रक्रिया, प्रपत्र तथा दायित्व।
17	उत्तर प्रदेश कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	सामान्य भविष्य निधि से संबंधित प्रक्रिया, प्रपत्र,
18.	उत्तरांचल फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स अराजपत्रित सेवा नियमावली 2005.	यह नियमावली सेवा में प्रवेश की आयु, योग्यता, भर्ती प्रक्रिया, प्रोन्नति का आधार एवं संवर्ग की संरचना आदि के विषय में बनायी गयी है।
19.	सोसाइटी रजिस्ट्रेषन एक्ट 1860	सोसाइटीज रजिस्ट्रेषन एक्ट, 1860 एक केन्द्रीय एक्ट है तथा इस एक्ट के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की चैरिटेबल एवं अव्यवसायिक संस्थायें पंजीकृत की जाती है। यह एक्ट पूरे भारतवर्ष में समान रूप से लागू है तथा इसमें समय–समय पर राज्यों द्वारा अपनी आवष्यकतानुसार संषोधन आदि किया जाता है ।
20.	उत्तर प्रदेष रजिस्ट्रीकरण नियम, 1976	प्रत्येक राज्य की नियमावली अलग–अलग है उत्तरांचल राज्य में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेष में प्रचलित नियमावली ही लागू है।
21.	इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932	दो या दो से अधिक व्यक्ति भागीदार व्यवसाय के लिए फर्म मे शामिल होते हैं और इस एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण कराते हैं।

22.	चिट फण्ड एक्ट 1982	इसके प्राविधानों के अन्तर्गत चिट्स का पंजीकरण किया जाता है।

fVIi.kh& mRrj izns'k iqujxBu vf/kfu;e 2000 es bl vk'k; dk izkfo/kku fd;k x;k gS fd mRrj izns'k ds vf/kfu;e@ fu;e@'kklukns'k@ izfdz;k rc rd ykxw jgsxs tc rd ,sls vf/kfu;e@fu;e@'kklukns'k@izfdz;k mRrjkapy vyx ls la'kksf/kr@ifj;kfir ugha djrh gSA

विभाग द्वारा सोसाइटी रजि0एक्ट 1860 के अन्तर्गत संस्थाओं के पंजीकरण, नवीनीकरण आदि कार्यों का तथा सम्बनधित प्रकियाओं का सक्षिप्त विवरण निम्नवत संलग्नक 2 में दिया गया है।

layXud&2
lkslkbVh jftLVsª'ku ,DV 1860 dh fofHkUu /kkjkvksa ds vUrxZr dk;Z fuLrkj.k ds lEcU/k esa

➢ सोसाइटी रजिस्ट्रेषन एक्ट 1860 के अन्तर्गत सोसाइटी सम्बन्धी निम्न कार्य किये जाते हैं–

1. lLFkk dk iathdj.k %& सर्वप्रथम आवेदन कर्ता समिति के पंजीकरण हेतु 50 रु0 शुल्क का बैंक ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से कार्यालय में प्रार्थना–पत्र के साथ जमा कराकर शासन द्वारा अनुमोदित पंजीकरण प्रपत्र प्राप्त कर सकता है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत किसी संस्था का पंजीकरण अधिनियम की धारा–3 के अन्तर्गत किया जाता है । पंजीकृत की जाने वाली संस्था अपना स्मृति पत्र एवं संस्था के विधान की प्रति, पंजीकरण शुल्क रू. 5000/– नकद या बैक ड्राफ्ट तथा संस्था के पूर्व पंजीकृत न होने की नोटरी शपथ पत्र (अधिनियम की धारा 3(2) क के पालन में जमा करती है। प्रपत्र पूर्ण व शुद्ध होने पर संस्था का पंजीकरण, पंजीयन दिनांक से पांच वर्षों के लिए किया जाता है।

2. izek.k i= dk uohdj.k ¼vf/kfu;e dh /kkjk&3, o 3, ¼5½½। प्रत्येक पंजीकृत संस्था के प्रमाण–पत्र का नवीकरण पंजीकरण अवधि समाप्त होने पर अगले पांच वर्षों हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेषन एक्ट की धारा–3ए के अन्तर्गत किया जाता है। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करने पर 500/– नवीकरण शुल्क, मूल पंजीकरण अथवा नवीकरण प्रमाण पत्र, प्रबन्ध निकाय की सूची, चुनाव बैठक की कार्यवाही एवं बैलेन्सशीट आदि जमा करने पर किया जाता है। प्रपत्र पूर्ण होने पर नवीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अथवा प्रपत्रों को पूर्ण कराने हेतु आपत्ति पत्र भेजा जाता है। कोई भी संस्था निर्धारित तिथि से एक वर्ष की अवधि तक बिलम्ब शुल्क 50/– प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त शुल्क जमा करके नवीकरण करा सकती है। किन्तु एक वर्ष के बाद उक्त संस्था अपंजीकृत मानी जाती है। उसके नवीकरण हेतु अधिनियम की धारा 3ए (5) में यह व्यवस्था है कि ऐसी संस्था नवीकरण हेतु नवीकरण न करा पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए रू 600/– अनुमति शुल्क के साथ आवेदन करेगी। यदि रजिस्ट्रार बिलम्ब के कारणों से संतुष्ट है तो वे नवीनीकरण की अनुमति प्रदान करते हुए वांछित शुल्क एवं अन्य देय प्रपत्रों को जमा करने के निर्देष देंगे, तभी निर्धारित तिथि से अगले पांच वर्षों हेतु नवीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा।

3. izcU/k lfefr dh lwph] cSyUl'khV ,oa pquko dk;Zokgh dk iathdj.k fd;k tkuk ¼vf/kfu;e dh /kkjk&4¼1½ o 4¼2½½A प्रत्येक पंजीकृत संस्था को प्रबन्ध समिति की सूची, वर्षवार चुनाव की बैठक की कार्यवाही, संस्था के आय–व्यय का संतुलन पत्र, चुनाव हुआ हो तो चुनाव दिनांक से 14 दिन के भीतर, यदि चुनाव न हुआ हो तो पिछले चुनाव की पुष्टि दिनांक से 14 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होता है। प्रपत्र टंकित हो तथा मंत्री एवं तीन सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रमाणित होने चाहिए।

कमशः अगले पृष्ठ पर

4. <u>lLFkk dk iathd`r fo/kku vFkok irk esa ifjorZu ¼vf/kfu;e dh /kkjk&4¼,½</u>। संस्था के विधान में परिर्वतन, पंजीकृत विधान में दी गयी व्यवस्थानुसार विधान परिर्वतन का प्रस्ताव पारित करके, प्रस्ताव की प्रति, संशोधित विधान की प्रति रूपये 500/– शुल्क के साथ बैठक दिनांक से 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रस्तुत कर देना चाहिए। स्थान परिवर्तन की कार्यवाही भी उपरोक्तानुसार संशोधित स्मृति–पत्र व संषोधित नियमावली के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। प्रपत्र टंकित एवं मंत्री तथा तीन सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रमाणित होने चाहिए।

5. <u>lLFkk dh lEifRr gLrkUrj.k ij jksd ¼vf/kfu;e dh /kkjk&5¼,½</u>। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 5 ए में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी कानून, संविदा या नियम विरूद्ध शर्ते सोसाइटी रजिस्ट्रेषन एक्ट के अर्न्तगत पंजीकृत संस्था की प्रबन्ध समिति अथवा इसके सदस्यों के लिए सहायक नही हो सकती जब तक कि संस्था की अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण की पूर्व अनुमति न्यायालय से न प्राप्त कर ली जाये। हस्तान्तरण का तात्पर्य निम्नलिखित से हैः–

(क) बन्धक रखना, बेचना, उपहार देना या अदल–बदल करना।

(ख) लीज की अवधि पांच वर्ष से अधिक होना।

(ग) अथवा अपरिवर्तनीय लाईसेंस देना।

6. <u>lLFkk dk iathd`r mn~ns';ksa esa ifjorZu ¼vf/kfu;e dh /kkjk&12½ vFkok lLFkkvksa dk foyhuhdj.k dh izfdz;kA</u> पंजीकृत संस्था के उद्देष्यों में परिवर्तन हेतु प्रबन्ध समिति की बैठक में उद्देष्य परिवर्तन पर विचार करने के पश्चात कम से कम 10 दिन के बाद साधारण सभा की बैठक में 3/5 बहुमत से उद्देश्य परिवर्तन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। साधारण सभा की ही विशेष बैठक जो कि पिछली साधारण सभा की बैठक के कम से कम एक माह के बाद बुलाई जायेगी में उद्देष्य परिवर्तन की पुष्टि का प्रस्ताव 3/5 बहुमत से पारित होगा। पुष्टि दिनांक से 30 दिन के भीतर तीन बैठकों की कार्यवाही टंकित एवं मंत्री तथा तीन सदस्यों के हस्ताक्षर से संषोधित स्मृति–पत्र रूपये 500/– शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होता है। उपरोक्त प्रक्रियानुसार कोई दो या दो से अधिक संस्थाओं का विलीनीकरण किया जा सकता है।

7. <u>lLFkk dk iathd`r uke esa ifjorZu ¼vf/kfu;e dh /kkjk&12, o 12ch½</u>। पंजीकृत संस्था के नाम में परिर्वतन की कार्यवाही अधिनियम की धारा 12ए के अनुसार साधारण सभा की बैठक में 2/3 बहुमत से पारित करके बैठक कार्यवाही की टंकित प्रति, मंत्री एवं तीन सदस्यों के हस्ताक्षर से बैठक दिनांक से 30 दिन के भीतर संषोधित स्मृति–पत्र एवं संशोधित नियमावली रूपये 500/– शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर बैठक कार्यवाही एवं संशोधित स्मृति–पत्र एवं संशोधित नियमावली पंजीकृत करते हुए नाम परिवर्तन का प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा। परन्तु अधिनियम की धारा 12 सी के अनुसार नाम परिवर्तन की पुर्न अनुमति प्राप्त करना आवष्यक है।

8. <u>lLFkk dk izek.k&i= vFkok uohuhdj.k izek.k&i= dks fujLr djus ds lEcU/k esa ¼vf/kfu;e dh /kkjk&12Mh o 12Mh¼2½½</u>। यदि रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाय कि किसी संस्था ने पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा नवीनीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा–12डी (1), ए,बी या सी में उल्लिखित आधार जैसेः–

(ए)– संस्था का पंजीकरण या इसका नाम परिवर्तन इस अधिनियम अथवा अन्य किसी प्रभावी अधिनियम के विरूद्ध हो।

(बी)– इसके कार्यकलाप या उद्देश्य नियम विरूद्ध या जन विरोधी हों।

क्रमशः अगले पृष्ठ पर

(सी)– रजिस्ट्रेशन अथवा नवीनीकरण प्रमाणपत्र छल, प्रपंच और धोखा देकर प्राप्त किया गया हो। रजिस्ट्रार ऐसी संस्था को कारण बताओ नोटिस देकर अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करेगा। संस्था के द्वारा प्राप्त उत्तर के आधार पर समीक्षोपरान्त प्रमाणपत्र के पंजीकरण अथवा निरस्तीकरण के आदेश अधिनियम की धारा –12डी(1) के अन्तर्गत पारित किये

जायेगें। अधिनियम की धारा 12डी(2) में यह प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 12 डी (1) के विरूद्ध पारित आदेश की अपील संबधित मण्डलायुक्त के यहां आदेष प्राप्ति के 30 दिन के भीतर की जा सकती है।

9. lLFkk dk fo?kVu ¼vf/kfu;e dh /kkjk&13 o 14½। अधिनियम की धारा–13 के अन्तर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रेषन एक्ट 1860 किसी संस्था के कम से कम 3/5 सदस्य एक विषेष बैठक इसी प्रयोजन हेतु बुलायेगें और संस्था के विघटन का प्रस्ताव पारित करेंगें। संस्था के सम्पत्ति के निस्तारण एवं व्यवस्थित होने के संबंध में कार्यवाही करेगें तथा इसके दायित्वों एवं दोषों ;ब्संपउेद्ध का संस्था के नियमों के अनुसार निपटारा करेंगें। यदि कोई विवाद होता है तो उसे जिला सिविल कोर्ट द्वारा तय किया जायेगा। परन्तु इस मामले में सरकार सदस्य हैं तो बिना षासन की अनुमति के विघटन की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

इसी अधिनियम की धारा 13ए (1) में दिया है कि यदि रजिस्ट्रार का यह मत है कि धारा 13 बी (1) में दिया गया कोई कारण विद्यमान है जो निम्न है:–

(क) संस्था ने इस अधिनियम का या किसी अन्य प्रभावी अधि0 का उलंघन किया हो।

(ख) संस्था में सात से कम सदस्य रह गयें हों।

(ग) संस्था अपने व्यय को पूर्ण करने में या दायित्वों को पूर्ण करने में असमर्थ है।

(घ) संस्था के प्रमाण–पत्र का निरस्तीकरण अधिनियम की धारा–12डी (1) के अन्तर्गत किया जा चुका हैं ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार संस्था को इस आषय की नोटिस भेजेगें कि क्यों न संस्था को विघटित कर दिया जाये।

अधिनियम की धारा–13ए(2) में दिया गया है कि यदि संस्था उत्तर देने में असमर्थ होती है तो रजिस्ट्रार मामला न्यायालय को सन्दर्भित करेगा जो कि संस्था के विघटन का आदेष पारित किया जाये। इसी अधिनियम की धारा –13(बी) में दिया गया है कि रजिस्ट्रार द्वारा अधिनियम की धारा–13ए या अधिनियम की धारा–24 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र देने पर या सदस्यों के 1/10 सदस्यों के प्रार्थना पत्र मामला कोर्ट में भेजा जायेगा और संस्था के विघटन के आदेष उपरोक्त वर्णित 13बी (1) ए से य तक दिये कारणों के आधार पर पारित किया जायेगा। अधिनियम की धारा 13 बी (2) में दिया गया है कि धारा 13(1) के आधार पर या अधिनियम की धारा 12डी के आधार पर या जिलाधीश के प्रार्थना–पत्र के आधार पर कि इस संस्था के कार्य–कलाप जनता में असन्तोष उत्पन्न करेंगें कोर्ट आदेश पारित करेगा। अधिनियम की धारा 13बी (3) में दिया गया है कि संस्था के सभी प्राप्तियों एवं देयता का निर्धारण कोर्ट के आदेषानुसार होगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेषन एक्ट की धारा–14 में दिया गया है कि विघटित संस्था की सम्पत्ति संस्था के सदस्यों के बीच नहीं वितरित की जायेगी।

10. lnL;rk dk fu/kkj.k। अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत संस्था की सदस्यता का निर्धारण का मानदण्ड दिया गया है जैसे संस्था के किसी सदस्य की निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा हो और तीन माह से अधिक सदस्यता शुल्क बकाया न हो। उसका नाम सदस्यता रजिस्ट्रर में अंकित होना चाहिए तथा उसने सदस्यता से त्यागपत्र न दिया हों।

क्रमशः अगले पृष्ठ पर

11. inkf/kdkjh cuus dh v;ksX;rkA अधिनियम की धारा 16ए में दिया गया है कि किसी संस्था के पदाधिकारी की अयोग्यता का यह प्रावधान है कि वह आपराधिक मामलों का दोशी हो या संस्था के नियमों के विरूद्ध आचरण का दोषी हों।

12. lLFkk ds vfHkys[kksa dk fujh{k.k ,oa udy tkjh djukA सोसाइटीज रजिस्ट्रेषन एक्ट की धारा–19 में अभिलेखों के निरीक्षण का प्रावधान है। कोई व्यक्ति संस्था के अभिलेखों का निरीक्षण रू 200/– निरीक्षण शुल्क जमा करके कर सकता है। यदि वह किसी अभिलेख की प्रमाणित प्रति चाहता है तो वह रू 60/– प्रति पृष्ठ के हिसाब से नकल शुल्क प्रत्येक अभिलेख हेतु रू 10 का जनरल स्टाम्प पेपर एवं रू 1/– का कोर्ट फीस जमा करेगा। अर्जेन्ट नकल हेतु दो गुनी फीस जमा करने पर क्रमषः

48 घन्टे व 24 घन्टे में नकल प्रदान की जायेगी (यदि बीच में अवकाश दिवस हो तो अवकाष दिवस को छोडकर)।

13. lLFkk,i ftudk jftLVs'ku bl vf/kfu;e ds vUrxir gkrk gA इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है:–

पूर्त सोसाइटियां, सेना अनाथ निधि अथवा भारत की विभिन्न प्रेसिडेंसियों में स्थापित की गई सोसाइटियां, विज्ञान, साहित्य अथवा ललित कला के संवर्द्धन के लिए, उपयोगी जानकारी के अनुदेष, प्रसार के लिए, राजनीतिक षिक्षा के प्रसार के लिए, सदस्यों के सामान्य उपयोग अथवा साधारण व्यक्तियों के उपयोग के लिए पुस्तकालयों अथवा वाचनालयों अथवा लोक संग्रहालयों और चित्रकला दीर्घाओं और अन्य कलाकृतियों के प्रतिष्ठापन अथवा अनुरक्षण, नैसर्गिक इतिहास के एकत्रण, यांत्रिक और दार्षनिक अविष्कारों, दस्तावेज या परिकल्पना के लिए स्थापित की गई सोसाइटियां उद्‌देष्यों से बनायी गयी संस्थाओं का पंजीकरण होता है।

14. jftLVkj dh 'kfDr;ks dk ifrfu/kk;uA अधिनियम की धारा–21 में व्यक्त किया गया है कि रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रतिनिधायन संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार इस अधिनियम के कियान्वयन से करते है। इस हेतु गजट संख्या आडिट–4902/ दस–506 (46)–79 दिनांक 07–01–2002 को जारी किया गया।

15. vfHky[k dk iLrr djus ds funs'kA सोसाइटी रजिस्ट्रेषन एक्ट की धारा–22 में उल्लिखित है कि रजिस्ट्रार 15 दिन का समय देकर लिखित आदेष देकर किसी भी संस्था को लिखित सूचना या कोई भी संस्था के अभिलेख प्रस्तुत करने को कह सकता है।

16. lLFkk ds y[kk dk vkfMVA सोसाइटी रजिस्ट्रेषन एक्ट की धारा–23(1) में उल्लिखित है कि बिना किसी पूर्वाग्रह के सोसाइटी रजिस्ट्रेषन एक्ट की धारा–4(2) या अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार यह समझता है तो वह संस्था को लिखित आदेष दे सकता है कि वह अपने लेखा अभिलेखों को या आय–व्यय के संतुलन–पत्र को (विशेष वर्ष का) चार्टड एकाउन्टेन्ट से सम्प्रेक्षित प्रस्तुत करें या किसी को आडिट करने हेतु आदेशित करें। अधिनियम की धारा 23(2) में यह व्यवस्था है कि यदि रजिस्ट्रार यह पाता है कि संस्था इन अभिलेखों को प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो वह उस वर्ष या वर्षों के अभिलेखों को जब्त करके आडिट करने हेतु दे सकता है तथा उस आडिट के व्यय को संस्था से वसूल कर सकते हैं।

यदि संस्था इन लेखों–अभिलेखों को या अन्य अभिलेखों को उपलब्ध कराने से इन्कार करती है तो उसके लिए धारा–23(3) के अनुसार अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत निरीक्षण करना चाहिए।

कमशः अगले पृष्ठ पर

17. lLFkk ds dk;dykik dh tkpA इस अधिनियम की धारा 24 में संस्थाओं के कार्यकलापों की जांच का प्राविधान है। यदि अधिनियम की धारा–22 या धारा–23(3) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार यह पाता है कि संस्था के कार्यकलापों की जांच आवष्यक है तो वह स्वयं या किसी को संस्था के कार्यकलापों की जांच के लिए कह सकता हैं।

18. lLFkk dh icU/k lfefr e fookn dk fuLrkj.k। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा–25(1) में यह दिया गया है कि यदि रजिस्ट्रार को समाधान हो जाय कि किसी पद पर अथवा प्रबन्ध समिति के प्रबन्धकत्व को लेकर विवाद है तो प्रकरण संबंधित परगना मजिस्ट्रेट को भेजे जाने की व्यवस्था हैं।

19. lLFkk dh icU/k lfefr dh dkykrhr gku ij pukoA यदि सोसाइटी रजिस्ट्रेषन एक्ट की धारा–25(1) के अन्तर्गत किसी संस्था के चुनाव निष्प्रभावी (Set-aside) किये गये हो या प्रबन्ध समिति कालातीत हो जाय तो रजिस्ट्रार द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा–25(2) के अन्तर्गत चुनाव कराये जाय।

eluvy l[;k&4½

dR;k d fuogu d fy, Lo;a }kjk LFkkfir ekiekuM&

1- संगठन द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन सोसाइटी रजिस्ट्रेषन अधिनियम 1860, भारतीय भागिता अधिनियम 1932, तथा चिट फन्डस अधिनियम 1982, के प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये शासनादेषों के अन्तर्गत किया जाता है।
2. वर्तमान में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, के अन्तर्गत विभिन्न कार्य हेतु निर्धारित शुल्क निम्नवत् शासनादेष के अन्तर्गत लिया जा रहा है।

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स,
उत्तरांचल, देहरादून।

वित्त अनुभाग–6 देहरादून : दिनांक 29 दिसम्बर, 2006

विषयः lkslkbVh iathdj.k vf/kfu;e& 1860 d vUrxr fu/kkfjr 'kqYd dk iqujhf{k.k djku d lEcU/k e

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 3552/अ0स0वि0 /06, दिनांक 31 अक्टूबर 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेष हुआ है कि राज्यपाल महोदय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम–1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं के विभिन्न शुल्कों में निम्नवत संषोधन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

Ø0l0	fooj.k	#0
d & iathdj.k		
1.	सोसाइटी पंजीकरण	5000
2.	सोसाइटी पंजीकरण युवक/महिला मंगल दल/महिला समूह/सामुदायिक	30
	[k & uohuhdj.k	
1.	सोसाइटी नवीनीकरण	500
2.	सोसाइटी नवीनीकरण युवक/महिला मंगल दल/महिला समूह/सामुदायिक	30
3.	विलम्ब शुल्क माह में प्रतिमाह	50

4.	नवीनीकरण अनुमति शुल्क	600
Xk & ifr fyfi		
1.	सोसाइटी प्रतिलिपि (प्रमाण पत्र) सामान्य	100
2.	सोसाइटी प्रतिलिपि (प्रमाण पत्र) आवष्यक (अर्जेन्ट)	200
3.	अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि सामान्य	60 प्रति पृष्ठ
4.	अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि आवष्यक (अर्जेन्ट)	20 प्रति पृष्ठ
?k & fujh{k.k		
1.	पत्रावली निरीक्षण धारा– 4 (1) के प्रपत्र दाखिला शुल्क उक्त धारा के अर्न्तगत जो प्रपत्र (प्रबन्धकारिणी समिति की सूची तथा आय व्यय लेखे आदि) रजिस्ट्रार कार्यालय को दाखिल किए जाने अनिवार्य है उनकी देय तिथि से एक माह के पष्चात दाखिल करने पर निम्नवत शुल्क प्रस्तावित है।	200
1.	तीन माह तक	–
2.	3 माह से अधिक किन्तु 6 माह तक	–
3.	6 माह से अधिक किन्तु 9 माह तक	–
4.	9 माह से अधिक किन्तु 12 माह तक	–
5.	एक वर्ष बाद वार्षिक देय शुल्क वर्ष के किसी अंष पर	–
Pk & l’kk/ku 'kYd		
1.	स्मृति –पत्र	500 प्रत्येक अवसर पर
2.	नियमावली	250 प्रत्येक अवसर पर
N & nLrkot ithdj.k 'kYd		
1.	सदस्यता सूची	100 प्रत्येक अवसर पर
Tk &lklkbVh jftLVhdj.k funf’kdk vkonui= lfgr		50 प्रति

mijkDr nj 'kklukn k d tkjh gku dh fnukd l ykx ekuh tk;xhA

इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद धारा–4 संबन्धी विलम्ब शुल्क के प्रकरण जिनमें विलम्ब शुल्क पूर्व में जमा कराया जा चुका है पुनराउद्धाटित नहीं किये जायेंगे।

कृपया उपर्युक्त आदेषों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ मण्डल कार्यालयों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूडी)
सचिव, वित्त।

l[;k % 462@foRr vu0&6@06 rnfnukd

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी देहरादून/नैनीताल।
2. निदेषक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
3. समस्त उप निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।

आज्ञा से,

(एन0एन0थपलियाल)
अपर सचिव, वित्त।

3. mRrjk[k.M jkT; e ithdj.k dh fLFkfr%&

e.My dk uke	9 uoEcj 2000 d ckn ithd`r lLFkkvk dh l[;k	9 uoEcj 2000 d ckn uohuhd`r lLFkkvk dh l[;k	2006&07 e ithd`r lLFkkvk dh l[;k	dy lkslkbfV;k dh l[;k
कुमाऊ मण्डल	4,376	2,404	717	19,277
गढ़वाल मण्डल	7,906	3,992	1,256	29,796
dy ;kx	12]282	6]396	1]973	49]333

e.My dk uke	9 uoEcj 2000 d ckn ithd`r Qekk dh l[;k	2006&07 e ithd`r Qekk dh l[;k
कुमाऊ मण्डल	1,067	717

गढ़वाल मण्डल	1,956	269
d|y ;kx	3]023	986

dk;ky;&fucU/kd QEl lkk lbVh ,o fpVl

Ø0 l0	dk;ky; dk uke	mRrjk[k.M jkT; cuus d ckn fd;s x;s ithdj.k dh fLFkfr	foRrh; o'k 2006&2007 e fd;s x;s ithdj.kk dh l[;k	ithd`r lLFkkvk dh d|y l[;k
1.	क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून	7906	1256	30056
2.	क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी	4376	717	19277
d|y ;kx		12282	1973	49333

01-04-2006 l 31-03-2007 rd u, ithdj.k dh fLFkfr%&

Ø0l0	tuin dk uke	ithdj.k dh l[;k
1-	ikMh x<oky	411
2-	ngjknu	324
3-	fVgjh x<oky	187
4-	gfj}kj	141
5-	mRrrjdk'kh	72
6-	#ni;kx	72
7-	pekyh	53
dy ;kx		1260

{k=h; dk;ky; gY}kuh e tuinokj lfefr;k dh o"k 31-03-2007 rd dh lph dh fLFkfr%&

Ø0l0	tuin dk uke	ithdj.k dh fLFkfr
1-	Ckkx'oj	414
2-	fiFkkjkx<	3714
3-	m/kefl guxj	2653
4-	PkEikor	366
5-	uuhrky	7389
6-	vYekMk	4742
dy ;kx		19278

{k=h; dk;ky; ngjknu e tuinokj lfefr ;k dh o’k 31-03-2007 rd dh lph dh fLFkfr%&

Ø0l	tuin dk uke	ithdj.k dh fLFkfr
1.	हरिद्वार	4086
2.	देहरादून	8836
3.	पौडी	5491
4.	चमौली	3881
5.	रुद्रप्रयाग	556
6.	उत्तरकाशी	2795
7.	टिहरी गढवाल	4411
dy ;kx		30056

(मैनुअल संख्या-6)

दस्तावेज जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्ग (Categories) के अनुसार विवरण :-

(A statement of categories of documents that are held by it or under its control).

- इस संगठन द्वारा सोसाइटियों से सम्बन्धित निम्न लिखित दस्तावेज रखे जाते हैं–
  - सोसाइटियों का रजिस्टर।
  - नवीनीकरणों का रजिस्टर।
  - दैनिक प्राप्तियों का रजिस्टर।
  - रसीद बही।
  - निरीक्षण रजिस्टर।
  - जारी की गयी प्रतियों का रजिस्टर।
  - सोसाइटियों एवं फर्मों की पत्रावलियां।

कार्यालय में प्रयोग दैनिक श्रेणी के अभिलेख रखे जाते हैं-

- दिन प्रतिदिन प्रयोग होने वाले अभिलेख (फाइल, सोसाइटी पंजीकरण, नवीनीकरण, सोसाइटी प्रतिलिपि रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर, फर्म पंजीकरण, चिट फण्ड पंजीकरण, विवाद, कम्प्यूटर पर उपलब्ध अभिलेख, गार्ड फाइल, कार्य विवरण चार्ट इत्यादि)
- अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेख जैसे संस्थाओं की मूल पत्रावलियां, सोसाइटी व फर्म के पंजीकृत अभिलेख आदि।

कार्यालय में रखे जाने वाले अन्य अभिलेख/ पंजिकायें आदि निम्नलिखित हैं–

- पंजिकाओं की पंजिका।
- उपस्थिति पंजिका।
- आकस्मिक अवकाष पंजिका।
- डाक प्राप्ति एवं प्रेषण पंजिका।
- स्थानीय डाक वही पंजिका।
- पत्रावलियों की पंजिका।
- नवीनीकरण पत्रावली अनुक्रमाणिका पंजिका।
- भण्डारण अनुक्रमाणिका पंजिका।
- अधिष्ठान आदेष पंजिका।
- डैड स्टाक पंजिका।
- लेखन सामग्री पंजिका।
- सरकारी वाहन हेतु लाग पंजिका।
- आडिट आपत्ति पंजिका।
- वेतन बिल पंजिका।
- कोषागार पंजिका।
- फार्म दो (सी) पंजिका।

- ➢ कैष बुक।
- ➢ खर्चो पर नियन्त्रण के लिए फार्म बी0एम0–8 पंजिका।
- ➢ जी0पी0एफ0 लेजर एवं पास बुक।

➢ कागज का अपना जीवन काल होता है अतः स्थायी अभिलेखों की भी अधिकतम अवधि 35 वर्ष निर्धारित है । शषनादेष संख्या 244/XXXI(2)G/2005 दिनाांक 23 अप्रेल 2005 द्वारा अभिलेखों को अभिलेखन (रिकार्डिंग) करने एवं उन्हें नष्ट करने के संबंध में निर्धारित अवधि का विवरण दिया गया है। इस विभाग से सम्बन्धित मुख्य अभिलेखों का विवरण निम्नानुसार हैः–

➢

d- l-	vfHkys[kksa dk uke@fo'k;	le;@vof/k tc rd lqjf{kr j[kk tk;@u'V fd;k tk;
¼1½	¼2½	¼3½
d- lkekU; i= 0;ogkj lEcU/kh i=kofy;k		
1.	उपस्थिति पंजी	एक वर्ष
2.	आकस्मिक अवकाश पंजी	समाप्त होने के एक वर्ष बाद
3.	आडिट/महालेखाकार द्वारा की गयी आडिट पत्रावलियां	आपत्तियों के अंतिम समाधान के बाद अगले आडिट होने तक
4.	आय–व्ययक अनुमान की पत्रावलियां	दस वर्ष
5.	सरकारी धन, भण्डार का आहरण, निष्प्रयोज्य वस्तुओं के निस्तारण आदि संबंधी पत्रावलियां	अंतिम निर्णय व वसूली, राइट आफ के पष्चात तीन वर्ष
6.	डेड स्टाक, क्षय शील/उपभोग वस्तुओं एवं पुस्तकालय हेतु क्रय की गई पुस्तिकों आदि के पत्र व्यवहार सम्बन्धी पत्रावलियां	स्टाक बुक में प्रविष्टि, विभिन्नताओं के समाधान एवं तत्संबंधी आडिट आपत्तियों के समाधान के पश्चात एक वर्ष
7.	निरीक्षण टिप्पणी एवं उनके अनुपालन संबंधी पत्र–व्यवहार की पत्रावलियां	उठाये गये बिन्दुओं, दिये गये सुझावों के कार्यान्वयन के बाद अगले निरीक्षण तक
8.	अधिकारों के प्रतिनिधायन (डेलीगेशन आफ पावर्स) के आदेशों से संबंधित पत्रावलियां	स्थायी रूप से
9.	प्रपत्रों के मुद्रण सम्बन्धी पत्रावलियां	आडिट आपत्तियों के अन्तिम निस्तारण के पष्चात एक वर्ष
10.	लेखन सामग्रियों/प्रपत्रों के मांग–पत्र (इन्डेन्ट)	तीन वर्ष तक
11.	दौरों के कार्यक्रम तथा टूअर डायरी, यदि कोई निर्धारित हो	एक वर्ष बाद या गोपनीय चरित्रावली में प्रविष्टियां पूर्ण होने के बाद, जो भी पहले हो, किन्तु यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टियों से सम्बन्ध हो तो उसे प्रत्यावेदनों के अन्तिम निस्तारण के एक वर्ष बाद
12.	विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट	वर्षवार एक प्रति स्थायी रूप से सुरक्षित रखी जायेगी । शेष प्रतियां पांच वर्ष तक
13.	वार्षिक प्रतिवेदन के संकलन हेतु एकत्रित/प्राप्त सामग्रियां तथा उनकी पत्रावली	प्रतिवेदन छपने/प्रकाषित हो जाने के एक वर्ष
15.	विधान सभा/लोक सभा व राज्य सभा के प्रश्नों की पत्रावलियां	पांच वर्ष, किन्तु आष्वासन समितियों को दिये आष्वासनों की पूर्ति के पांच वर्ष बाद
16.	नियमावलियों, नियम, विनियम, अधिनियम, प्रक्रिया पद्धति तथा उनकी व्याख्या तथा नियमों में संशोधन संबंधी पत्रावलियां	स्थायी रूप से
17.	कार्य के मानक/स्टैन्डर्ड/नार्म निर्धारण संबंधी शासकीय एवं विभागीय आदेश	स्थायी रूप से
¼1½	¼2½	¼3½
18.	वीडिंग शेडयूल/अभिलेख नियंत्रण	पुर्नसंषोधन/रिवीजन/परिवर्तन की एक प्रति

	नियम/सूची	स्थायी रूप से तथा शेष तीन वर्ष तक
19.	शासनादेषों/विभागीय आदेषों की गार्ड फाईलें	स्थायी रूप से
20.	प्राप्त एवं प्रेषण पंजी (प्रान्तीय फार्म नं. 19)	पच्चीस वर्ष तक
21.	पत्रावली पंजी/फाइल रजिस्टर/ इन्डेक्स रजिस्टर (प्रान्तीय प्रपत्र 20, 21, 26 आदि)	रजिस्टर में दर्ज अस्थाई रूप से सुरक्षित पत्रावलियों को नष्ट कर दिये जाने तथा स्थायी रूप से सुरक्षित रखे जाने वाली पत्रावलियों के रजिस्टर पर उतार दिये जाने के बाद
22.	स्थायी पत्रावलियों का रजिस्टर	स्थायी रूप से
23.	पीयून बुक (प्रान्तीय फार्म नं.51)	समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक
24.	आवधिक/सामयिक विवरण–पत्रों का रजिस्टर सूची (लिस्ट आफ पीरियाडिकल रिर्पोटस एण्ड रिटर्नस)	समाप्त होने के दो वर्ष बाद तक
25.	सरकारी डाक टिकट पंजी (प्रान्तीय फार्म नं. 52)	समाप्त होने के तीन वर्ष बाद तक अथवा उसमें अंकित अवधि की आडिट आपत्तियों के समाधान के पष्चात एक वर्ष
26.	सरकारी गजट	डिवीजनल कमिश्नर एवं जिला जज के कार्यालयों को छोड़कर, जहां गजट स्थायी रूप से रखा जाता है, शेष कार्यालयों में बीस वर्ष तक
27.	सरकारी वाहनों की लाग–बुक तथा रनिंग रजिस्टर	वाहन के निष्प्रयोज्य घोषित होकर नीलाम द्वारा निस्तारण के बाद तथा आडिट हो जाने के पष्चात एक वर्ष बाद तक, यदि कोई आडिट या निरीक्षण की आपत्ति निस्तारण हेतु शेष न हो ।
28.	गार्ड फाइल्स	स्थायी रूप से
[k- LFkkiuk@vf/k'Bku lEcU/kh i=kofy;k ,oa jftLVj		
1.	कर्मचारियों/अधिकारियों की निजी पत्रावलियां (व्यक्तिगत पत्रावलियां)	पेंषन की अन्तिम स्वीकृति के पष्चात् पांच वर्ष तक
2.	अस्थायी/स्थानापन्न नियुक्तियों हेतु मांगे गये प्रार्थनापत्रों/प्राप्त आवेदन–पत्रों की पत्रावलियां	पांच वर्ष (चुने गये/नियुक्त किये गये व्यक्तियों के प्रार्थना–पत्रों को छोड़कर जो स्थायी रूप से वैयक्तिक पत्रावली में रखे जायेंगे)
3.	वाहन, साइकिल, गृह निर्माण, सामान्य भविष्य निर्वाह निधि आदि या इसी प्रकार के अन्य अग्रिमों से सम्बन्धित पत्रावलियां	अग्रिम की राषि ब्याज सहित, यदि कोई हो, तो उसके भुगतान के पष्चात एक वर्ष ।
4.	कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति सम्बन्धी पत्रावलियां	पेंषन, ग्रेच्युटी, आदि की स्वीकृति के पांच वर्ष बाद ।
5.	सेवा पुस्तिकायें/सेवा नामावलियां	वित्तीय नियम–संग्रह, खण्ड दो, भाग 2 से 4 के सहायक नियम 136–ए के अनुसार
6.	स्थापना आदेष पंजी	स्थायी रूप से
7.	गोपनीय चरित्र पंजिकायें/गोपनीय आख्यायें	सेवा निवृत्ति/पद त्याग या समाप्ति के तीन वर्ष बाद
8.	अनुषासनिक कार्यवाही रजिस्टर	सभी दर्ज मामलों का अंतिम निस्तारण हो जाने व रजिस्टर समाप्त हो जाने के पांच वर्ष तक
¼1½	¼2½	¼3½
9.	भविष्य निर्वाह निधि के रजिस्टर	सभी दर्ज कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के पांच

	(1) लेजर (2) ब्राडषीट (3) इन्डेक्स (4) पासबुकें	वर्ष बाद, यदि कोई भुगतान के मामले अवषेष न रह गये हों । तदैव तदैव तदैव (सेवा निवृत्ति के बाद संबंधित कर्मचारी को उसकी प्रार्थना पर दे दी जाय)
10	सेवाओं में आरक्षण (1) विभिन्न संवर्गों के रोस्टर्स	स्थायी रूप से
x- ctV ,oa y[kk lac/kh i=kofy;k@jftLVj		
1.	यात्रा भत्ता प्रकरण	आडिट हो जाने के एक वर्ष बाद
2.	टी0ए0 बिल तथा टी0ए0 चैक रजिस्टर	आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद
3.	बजट प्राविधान के समक्ष व्यय की राषियों की पत्रावली	महालेखाकार से अन्तिम सत्यापन व समायोजन हो जाने के एक वर्ष बाद
4.	प्रासंगिक व्यय पंजी	आडिट के पांच वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति का निस्तारण अवषेष न हो
5.	वेतन बिल पंजी तथा भुगतान पंजी (एक्वीटेन्स रोल) (वित्तीय नियम–संग्रह, खण्ड पांच, भाग–एक का पैरा 138, फार्म, 11 बी)	पैंतीस वर्ष । वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पांच भाग एक का पैरा 85, परिषिष्ट 16 के अनुसार
6.	बिल रजिस्टर 11 सी वित्तीय नियम–संग्रह, खण्ड पांच, भाग–एक का पैरा 139	आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद
7.	कैष बुक	आडिट हो जाने के बारह वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति निस्तारण हेतु अवषेष न हो
8.	ट्रेजरी बिल रजिस्टर (राजाज्ञा संख्या 2158/सोलह(71)/68 डी.टी. दिनांक 7–5–1970 द्वारा निर्धारित)	पूर्ण होने तथा आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति शेष न हो
9.	टेलीफोन ट्रंककाल रजिस्टर	पूर्ण होने तथा आडिट आपत्ति न होने तथा कोई बिल भुगतान हेतु शेष न होने की दषा में एक वर्ष
10	मासिक व्यय पंजी/पत्रावली	व्यय के महालेखाकार के सत्यापन तथा अन्तिम समायोजन के पष्चात दो वर्ष
11	बिल इनकेषमेन्ट पंजी वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पांच भाग एक का पैरा 47 ए	समाप्त होने के तीन वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति निस्तारण हेतु अवषेष न हो और किसी धनराषि के अपहरण, चोरी, डकैती आदि की घटना घटी हो
12	टी0ए0 कन्ट्रोल रजिस्टर	समाप्त होने पर तीन वर्ष बाद, यदि निर्धारित एलाटमेंट से अधिक व्यय किये जाने का मामला विभागाध्यक्ष/शासन के विचाराधीन न हो
13	रसीद बुक, ईषू रजिस्टर (ट्रेजरी फार्म नं. 385 वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पांच भाग एक का पैरा 26)	दस वर्ष, यदि किसी रसीद बुक के खो जाने या धन के गबन के मामले अनिस्तारित न हों तथा महालेखाकार का आडिट हो चुका हो

v/;k;&1

tu&lkekU; rd lpukvks ,oa vfHkys[kksa dh igqap

lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e]2005 ¼ifjf'k"V&6½

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्य करण में पारदर्षिता और उत्तर दायित्व के संवर्धन के लिये, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुॅच के लिये नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक षासन पद्धति स्थापित करने के उद्‌देष्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, दिनांक 12 अक्टूबर,2005 से अस्तित्व में है।

ykd lpuk vf/kdkjh] ,oa vihyh; vf/kdkjh ¼ukekadu lw0&16½

2. निबन्धक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स में अधिनियम की धारा 5(1), धारा 5(2) एवं धारा 19(1) के अन्तर्गत कमषः लोक सूचना अधिकारियों, एवं अपीलीय अधिकारी का नामांकन किया गया है।

lpuk gsrq izkIr vuqjks/k i=ksa dk iathdj.k ,oa fuLrkj.k

'kklukns'k la 146@l0@ **XXXI(3)G-/2006** fnukad 22 ekpZ]

3. नागरिको से प्राप्त सूचना के अनुरोधों का पंजीकरण यथास्थिति पार्ष्वांकित षासनादेष में दिये गये किसी एक प्रारुप में किया जायेगा निबन्धक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट स्तर पर सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है जिसमें विभिन्न लोक प्राधिकारियों से सम्बन्धित सूचना के अनुरोध को प्राप्त करने की स्थिति में, उसे लोक सूचना अधिकारी को शीध्रताशीघ्र परन्तु विलम्बतः 5 दिन के अंदर निर्धारित प्रारुप में अग्रेषित किया जाता है।

3.1 अनुरोध कर्ता को सूचना का अनुरोध का प्राप्ति पत्र आवेदन षुल्क की रसीद सहित दिया जाता है यदि अनुरोध कर्ता गरीबी रेखा से निम्न आय वर्ग का हो तो उससे किसी प्रकार का षुल्क नहीं लिया जाता है।

3.2 अधिनियम की धारा 6 के अधीन सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी यथा सम्भव षीध्रता से, और किसी भी दषा में अनुरोध प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाये या तो सूचना उपलब्ध करायेगा या धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा. यदि लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अविधि के भीतर सूचना के लिये अनुरोध पर विनिष्चय करने में असफल रहता है तो, यह समझा जायेगा कि अनुरोध को नामंजूर कर दिया है.

lpuk dk vf/kdkj¼Qhl ,oa ykxr dk fofu;eu½ fu;e] 2005

vf/klpuk ,0&266@ **XXII**@205&9¼31½ fnukad 13 vDVwcj 2005 ¼ifjf'k"V&7½ ,oa l'kksf/kr vf/klpuk

4. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ देय फीस एवं अभिलेखों की छाया प्रतियां अनुरोध कर्ता को उपलब्ध कराने हेतु पार्ष्वांकित अधिसूचना के अनुसार षुल्क देय होगा.

l0165@e@**XXXI**
¼13½**G**&2¼2½@2006
fnukd 31 ekpZ 2006
¼ifjf'k"V&8½

5. यदि लोक सूचना अधिकारी के पास किसी ऐसी सूचना दिये जाने का अनुरोध प्राप्त होता है जो तीसरे पक्षकार से सम्बधित है और तीसरे पक्ष कार द्वारा उसे गोपनीय माना गया है. तो ऐसी दषा में लाक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिनों के भीतर, ऐसे तीसरे पक्षकार को इस तथ्य की लिखित रुप से सूचना देगा और इस बारे में सूचना प्रकट की जानी चाहिये या नही, लिखित रुप में या मौखिक रुप में निवेदन करने के लिये तीसरे पक्ष कार को आमंत्रित करेगा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई निर्णय करते समय तीसरे पक्षकार के उत्तर को ध्यान में रखेगा.

ij 0;fDr lpuk

5.1 तीसरे पक्ष कार को ऐसी सूचना के प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जायेगा. लोक सूचना अधिकारी द्वारा तीसरे पक्ष कार से सम्बंधित सूचना के अनुरोध प्राप्त होने के पष्चात 40 दिन के भीतर इस बारे में निर्णय लिया जायेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किये जायें या नहीं और अपने निर्णय की सूचना लिखित में तीसरे पक्ष कार को भी देगा. लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्षकार को यह भी सूचित करेगा कि उसे निर्णय से असंतुष्ट होने पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहां 30 दिन के अन्दर अपील करने का अधिकार है.

iFke vihy
/kkjk 19¼1½

6. अपील करने वाला व्यक्ति सूचना प्राप्ति के लिये निर्धारित समय सीमा की समाप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर अथवा लोक सूचनाअधिकारी के आदेष की प्राप्ति की तिथिसे 30 दिनों अंदर विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है.सम्बंधित अपीलीय अधिकारी को यदि यह विष्वास हो जाता है कि किन्ही अपरिहार्य कारणों से अपील कर्ता अपनी याचिका निर्धारित समय में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो वह उक्त समय सीमा के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है.

6.1 सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत यदि तीसरे पक्ष से सम्बंधित सूचना अनुरोधकर्ता को देने के सम्बन्ध में निर्णय दिया गया है तो इस आदेष से प्रभावित तीसरा पक्ष, आदेष की तिथि से 30 दिनों के अंदर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहॉ अपील कर सकता है।

6.2 निबन्धक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स के विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील का निस्तारण, याचिका की तिथि से 30 दिनों के अन्दर किया जायेगा.

lpukvksa dk
LofPNd idVu

¼QElZ lkslkbVh ,oa fpV l
fj= l065@m-l-vk
@e-l-vk-@2005 fnukd

7. अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अधीन विभाग फर्म्स सोसाइटी एवं चिट जो लोक प्राधिकारी घोषित हैं, के द्वारा 17 बिन्दुओं पर सूचनायें संकलित कर प्रत्येक बिन्दु पर मैनुअल बनाये जायेंगे. उक्त सभी मैनुअल पर सी. डी. तैयार कर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को उपलब्ध कराई जायेगी. विभाग के प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर उक्त मैनुअल की हार्ड प्रति एवं साफ्टप्रति उपलब्ध रहेगी.

6 fnlEcj] 2005½

7.1 उक्त मैनुअल यथास्थिति प्रत्येक वर्ष के अन्त में अघावधिक किये जायेंगे तथा मैनुअल सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जन साधारण के अवलोकनार्थ बराबर उपलब्ध रहेंगे.

8. सूचना के अधिकार अधिनिमय की धारा 25(3) के अधीन उपबन्ध(क) से (ड.) के सम्बन्ध में 5 बिन्दुओं पर विभाग की प्रत्येक लोक प्राधिकारी मासिक प्रगति प्रतिवेदन अपने उच्च लोक प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे.

ekfld ixfr ifronu

विभाग के निदेषालय स्तर से ऐसे प्राप्त प्रतिवेदन को संकलित कर फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स को प्रत्येक माह दसवीं तारीख तक प्रेषित किया जाना होगा.

8.1 फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स इन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का उपयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में करेंगा.

lpuk iVk dk inf'kr djuk

9. जन सामान्य की सुविधा हेतु प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर अपने प्रमुख स्थान पर नामित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नाम पद नाम तथा दूरभाष नम्बर प्रदर्षित करते हुये सूचना पटट लगाये जायेंगे.

ykd ikf/kdkfj;k }kjk vk;kx LRkj l iklr f'kdk;rk ,o vihyk ij dk;okgh

10. आयोग में धारा 18(1) के अधीन प्राप्त षिकायतों एवं धारा 19(3) के अन्तर्गत प्राप्त दूसरी अपील पर लोक प्राधिकारी को जारी नोटिस को प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर एक पृथक पंजिका में दर्ज किया जायेगा. इस पंजिका में प्राप्त षिकायतों एवं अपीलों पर लोक प्राधिकारी स्तर पर समय–समय पर की गई कार्यवाही का दिनांक सहित अंकन किया जायेगा.

f}rh; vihy jkT; lpuk vk;kx ¼vihy ifdz;k½ fu;e 2005

11. अधिनियम की धारा 19(3) में राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील दायर करने हेतु राज्य सूचना आयोग(अपील प्रक्रिया) नियम 2005 का पालन किया जायेगा.

vf/klpuk l0305@ **XXII** @2005&9¼33½ 2005 fnukd 13 fnlEcj] 2005 ¼ifjf'k"V&10½

lklkbVht jftLVª'ku vf/kfu;e] 1860

¼1860 dk vf/kfu;e l[;k 21½

साहित्यिक, वैज्ञानिक और धार्मिक सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित अधिनियम

mnnf'kdk %& यतः यह समीचीन है कि साहित्य, विज्ञान अथवा ललित कला की प्रोन्नति के लिए, अथवा उपयोगी जानकारी के प्रसार (राजनैतिक शिक्षा के प्रसार) के लिए अथवा पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियों की विधिक शर्त में सुधार करने के लिए उपबन्ध किया जाए। यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है–

1- lxe Kkiu dk ek/;e l xfBr lklkbVh vkj mldk jftLVhdj.k& किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा पूर्त प्रयोजन के लिए अथवा इस अधिनियम की धारा 20 में यथावर्णित किसी ऐसे प्रयोजन के लिए सहयुक्त कोई सात अथवा उससे अधिक व्यक्ति एक संगम ज्ञापन में अपना नाम हस्ताक्षरित करके और संयुक्त स्टॉक कम्पनी रजिस्ट्रार (इस स्थान पर पहले ''1857 का अधिनियम संख्या

19'') शब्द और अंक लिखे गए थे– जिन्हें अब अनुसूची भाग–I के साथ पठित निरसन अधिनियम, 1874[1] की धारा 1 के तहत हटा दिया गया है) के पास उसे दाखिल करके इस अधिनियम के अन्तर्गत एक सोसाइटी के रूप में अपने को संगठित कर सकते हैं।

jkT; la'kks/ku

mRrj izn'k& ''संयुक्त स्टॉक कम्पनी रजिस्ट्रार'' शब्दों के स्थान पर 25–8–1958 से प्रभावी ''रजिस्ट्रार'' शब्द प्रतिस्थापितकिया जाए।[1]

2- lxe Kkiu& संगम ज्ञापन में निम्नलिखित बातें अंतर्विष्ट होंगे (अर्थात्)–

सोसाइटी का नाम;

सोसाइटी के उद्देश्य;

उन व्यवस्थापकों, परिषद्, निर्देशकों, समिति , अथवा अन्य शासी निकाय के नाम और व्यवसाय, जिन्हें सोसाइटी के नियमों के अधीन इसके कामकाज का प्रबन्धन न्यस्त किया गया है।

सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति, शासी निकाय के तीन सदस्यों से कम नहीं, सत्य प्रति को प्रमाणित कराकर, संगम ज्ञापन के साथ दाखिल किया जाएगा।

3- jftLVhdj.k vkj Qhl& ऐसा ज्ञापन और प्रमाणित प्रति दाखिल किए जाने के बाद, रजिस्ट्रार अपने हाथ से प्रमाणित करेगा कि सोसाइटी को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है। इस प्रकार के प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को पचास रूपये की फीस, या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्देशित उससे कम फीस अदा की जाएगी; और इस प्रकार संदत्त की गई पूरी फीस राज्य सरकार के लेखा में रखी जाएगी।

jkT; la'kks/ku

mRrj izn'k& (क) धारा 3 के स्थान पर 10–10–1975 से प्रभावी नई धाराएँ 3 और 3–क प्रतिस्थापित की जा जाएँ जो निम्नानुसार हैं–

''3(1) ज्ञापन में प्रतिश्रुति करने वाले व्यक्तियों की ओर से सोसाइटी के सचिव द्वारा सोसाइटी के कार्यालय का पता, जो रजिस्ट्रीकृत पते पर होगा, के विवरणों सहित ऐसा ज्ञापन और

1- 1958 dk m0i0 vf/kfu;e l0 25 dh /kkjk 2-

इसकी प्रमाणित प्रति दाखिल किए जाने पर, रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाणित करेगा कि सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की दी गई है। प्रत्येक ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को [1](एक हजार रूपए) की फीस (अथवा किसी सोसाइटी वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा–अधिसूचित छोटी फीस) अदा की जाएगी।

[2](''परन्तु राज्य सरकार समय–समय पर, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस उपधारा के अधीन संदेय फीस को बढ़ा सकती है :

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार अपने विवेक से प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण के विरूद्ध आक्षेप, यदि कोई हो, को आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक सूचना या ऐसे व्यक्तियों जिन्हें वह उपयुक्त समझे, को सूचना जारी कर सकेगा और सभी ऐसे आक्षेपों पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व प्राप्त करे।''

(2) उपधारा (1) में कुछ होते हुए भी रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार कर देगा, यदि ऐसे इंकार के विरूद्ध कारण स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करने के बाद वह सन्तुष्ट होता है कि–

(क) सोसाइटी का नाम इस अधिनियम के अधीन पहले रजिस्ट्रीकृत की गई किसी अन्य सोसाइटी के नाम के तद्रूप है;

(ख) उस सोसाइटी, जिसका रजिस्ट्रीकरण इप्सित है, के नाम में इन शब्दों में से किसी शब्द का प्रयाग होता है, अर्थात् 'यूनियन (संघ)', 'स्टेट (राज्य)', 'लैण्ड मॉर्गेज (भूमि बंधक)', 'लेण्ड डेवलपमेंट (भूमि

विकास)', 'को–आपरेटिव (सहकारी)', 'गांधी', 'रिजर्व बैंक या कोई शब्द जो केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार की मंजूरी, अनुमोदन या प्रश्रय अभिव्यक्त या विवक्षित करे या कोई शब्द जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या उतनी समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन गठित किसी निगम या निकाय से संसंग इंगित करने के लिए प्रकल्पित हो या जो ऐसा है कि जिससे जनसामान्य को या इस अधिनियम के अधीन पहले रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य सोसाइटी के सदस्यों का अन्यथा भ्रम होने की सम्भावना हो;

(ग) उस सोसाइटी, जिसका रजिस्ट्रीकरण इप्सित है, का एक या अधिक उद्‌देश्य धाराएँ 1 और 20 में उल्लिखित एक उद्‌देश्य नहीं है;

(घ) इसके उद्‌देश्य उतनी समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रतिकूल हैं।

इसके स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया गया है जिसे हमेशा इस प्रकार से प्रतिस्थापित किया गया हुआ माना जाएगा–

''परन्तु यह कि राज्य सरकार, आपवादिक परिस्थितियों में, कारण, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, के लिए किसी सोसाइटी को अपने नाम में ''यूनियम (संघ)'' शब्द या ''गाँधी'' शब्द का प्रयोग करने के लिए स्वीकृति दे सकती है, और उसके आधार पर उस सोसाइटी के नाम में इस शब्द का प्रयोग ऐसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार करने अथवा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण करने का आधार नहीं होगा।''[1]

^^3&d- jftLVªhdj.k izek.k&i= dk vilkj& (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन, धारा 3 के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगा–

परन्तु यह कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1984 (इसमें इसके पश्चात् इस धारा में उक्त अधिनियम के रूप में सन्दर्भित) के प्रारंभ होने के पहले जारी किया गया प्रमाण–पत्र उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट फीस और पहले संदत्त की गई फीस के

....

m0iz0 vf/kfu;e la0 8 lu~ 2000 }kjk “kCn ^^ikp lkS :i;s dk LFkku ij ,d gtkj :i;s izfrLFkkfir gqvk tks 25 uoEcj 1999 ls izHkkohA

अन्तर का संदान करने पर ऊपर वर्णित प्रारंभ की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगा।[2]

(2) उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले अथवा बाद में धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई सोसाइटी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के बाद एक माह के भीतर रजिस्ट्रार को आवेदन करके और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट फीस का संदान करके एक समय में पांच वर्षों[3] के लिए अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का नवीकरण कराने का हकदार होगी :

परन्तु यह कि उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले रजिस्ट्रीकृत की गई सोसाइटी के मामले में रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण करने से इंकार कर देगा, यदि इस इंकारी के विरूद्ध कारण दर्शाने का अवसर देने के बाद वह सन्तुष्ट हो जाता है कि धारा 3 की उपधारा (2) में उल्लिखित आधारों में से कोई आधार उसके बावत विद्यमान है।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ रजिस्ट्रार को निम्नानुसार संदेय होगा–

4(''(क) धारा 3 के अधीन संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस के समान फीस या, दो सौ रूपये जो भी कम हो, यदि ऐसा आवेदन–पत्र उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत दाखिल किया जाता है :

परन्तु राज्य सरकार, समय–समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस खण्ड के अधीन संदेय फीस को इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए बढ़ा सकेगी कि इस प्रकार से बढ़ाई गई फीस, धारा 3 के अधीन संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस से अधिक न हो;

1((ख) चालीस रूपये की अतिरिक्त फीस या ऐसी उच्चतर फीस, जो खण्ड (क) के अधीन संदेय फीस के एक बटा पाँच से अधिक न हो और जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक मास के अन्तर्गत दाखिल किया जाता है; और

1((ग) प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए बीस रूपये की दर पर अतिरिक्त फीस या ऐसी उच्चतर अतिरिक्त फीस प्रत्येक मास के लिए, जो खण्ड (ख) के अधीन संदेय अतिरिक्त फीस के आधे से अनधिक हो और जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के एक मास के पश्चात् दाखिल किया जाता है।''

(4) प्रमाण–पत्र के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ, सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के बाद अथवा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के नवीकरण के बाद चयनित प्रबंध निकाय के सदस्यों की सूची और नवीकरण के लिए इप्सित प्रमाण–पत्र भी, जब तक कि इसके खो जाने या नष्ट होने या अन्य पर्याप्त कारण के आधार पर रजिस्ट्रार द्वारा अभिमुक्ति न दे दी गई हो, लगाया जायेगा।[2]

(5) जो सोसाइटी इस धारा के अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का, ऐसी अवधि, जिसके लिए प्रमाण–पत्र प्रभावी था, के समाप्त होने से एक वर्ष के भीतर नवीकरण कराने में विफल हो जाती है, अरजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो जायेगी;

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार पर्याप्त कारण के लिए 3('चार सौ रूपये की फीस या ऐसी उच्चतर फीस, जो उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन संदेय अतिरिक्त फीस के दसगुना से अनधिक हो और जिसे, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये,') अदा करने पर नवीकरण के लिए किसी प्रमाण–पत्र को उस अवधि, जिसके लिए प्रमाण–पत्र प्रभावी था, के समाप्त हो जाने के बाद एक वर्ष से अधिक की अनुमति प्रदान कर सकता है।

(6) जहाँ किसी रजिस्ट्रीकृत प्रमाण–पत्र का नवीकरण उपधारा (2) अथवा उपधारा (5) के अनुसार किया जाता है, वह नवीकरण उस अवधि के समाप्त होने की तिथि से प्रभावी होगा जिसके लिए प्रमाण–पत्र प्रभावी था।''

16–7–1979 के प्रभावी नई धारा 3–ख जोड़ी जाए जो निम्नानुसार है–

^^3&[k- jkT; ljdkj dk lUnHkZu& यदि कोई प्रश्न उठाया जाता है कि क्या कोई सोसाइटी अपने को धारा 3 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत कराने की हकदार है अथवा अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र धारा 3–क के अनुसार नवीकृत करने की हकदार है, तो मामले को राज्य सरकार को संदर्भित कर दिया जाएगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।''[4]

4- izcU/k fudk; dh okf"kZd lwph dk nkf[ky fd;k tkuk& प्रत्येक वर्ष में एक बार, उस दिन जब, सोसाइटी के नियमों के अनुसार, सोसाइटी की वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित की जाती है, से चौदहवें दिन अथवा उससे पहले अथवा यदि नियमों में एक वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने की व्यवस्था नहीं है, तो जनवरी माह में, सोसाइटी के कामकाज के प्रबन्धन से उस समय न्यस्त प्रबंधक, परिषद्, निर्देशक, समिति अथवा अन्य शासी निकाय के नामों, पतों और व्यवसायों की एक सूची संयुक्त स्टॉक कम्पनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाएगी।

jkT; la'kks/ku

mRrj izns'k& 1958 में ''संयुक्त स्टॉक कम्पनी रजिस्ट्रार'' शब्दों के स्थान पर 25–8–1958 से प्रभावी ''रजिस्ट्रार'' शब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया। (1958 का यू0पी0 अधिनियम सं0 25 की धारा 2)।

1975 में प्रमुख धारा 4 को पुनर्संख्यांकित करके उपधारा (1) कर दिया गया और इस पुनर्संख्यांकन के बाद 10–10–1975 से प्रभावी नई उपधारा (2) और धारा 4–क जोड़ दी गई।

''(2) उपधारा (1) में उल्लिखित सूची के साथ, संगम ज्ञापन जिसमें धारा 12 के अधीन किए गए कोई परिवर्तन विस्तारण अथवा प्रयोजना का न्यूनन भी शामिल हैं और सोसाइटी के नियमों, जिसे अद्यतन रूप में सही किया गया हो और उक्त शासी निकाय के तीन से कम नहीं, सदस्यों द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया हो, की एक प्रति और साथ में पूर्ववर्ती वर्ष के लेखा के तुलन–पत्र की भी एक प्रति रजिस्ट्रार को प्रेषित की जाएगी।''

^^/kkjk 4&d- fu;ek e ifjorlu vkfn d ckj e jftLVkj dk l lfpr fd;k tk,&प्रत्येक परिवर्तन यदि सोसाइटी के नियमों में किया गया हो, की एक प्रति और सोसाइटी के पता के प्रत्येक परिवर्तन की संसूचना, जिसे शासी निकाय के तीन से कम नहीं; सदस्यों द्वारा प्रमाणित किया गया हो, इस परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को प्रेषित किया जाएगा।''

1984 में, उपधारा (1) में 30–4–1984 से प्रभावी एक परन्तुक जोड़ा गया। (1984 का यू0पी0 अधिनियम सं0 11 की धारा 4)।

''परन्तु यदि प्रबन्ध निकाय का निर्वाचन सूची के अन्तिम प्रस्तुतीकरण के बाद किया जाता है, तो पुराने सदस्यों का प्रति हस्ताक्षर, यथाशक्य, सूची पर अभिप्राप्त किया जायेगा। यदि पुराने पदधारक सूची पर प्रति हस्ताक्षर नहीं करते, जो रजिस्ट्रार अपने विवेक से विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत आक्षेपों को आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक नोटिस या ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह उपयुक्त समझें, नोटिस जारी कर सकेगा और उक्त अवधि के अन्तर्गत प्राप्त सभी आक्षेपों को विनिश्चित करेगा।''

5- lklkbVh dh lEifRr dk fufgrhdj.k& यदि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी की जंगम और स्थावर सम्पत्ति न्यासियों में निहित नहीं है तो उसे तत्समय ऐसी सोसाइटी के शासी निकाय के उचित अभिनाम से उक्त सम्पत्ति को वर्णित किया जाएगा।

jkT; l'kk/ku

mRrj ins'k& 16–7–1979 से प्रभावी नई धारा 5–क जोड़ दी जाए जो निम्नलिखित है–

^^5&d- lEifRr d vrj.k ij fucU/ku& किसी प्रतिकूल विधि, संविदा अथवा अन्य लिखत में कुछ भी होते हुए भी, यह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के शासी निकाय अथवा इसके सदस्यों के लिए, न्यायालय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना ऐसी सोसाइटी की किसी जंगम सम्पत्ति का अन्तरण करना विधि–सम्मत नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) का उल्लंघन करके किया गया प्रत्येक अंतरण अकृत होगा।

Li"Vhdj.k&A ''न्यायालय'' शब्द का अर्थ वही होगा जो कि धारा 13 के अधीन उसे दिया गया है।

Li"Vhdj.k&AA ''अन्तरण'' शब्द का अर्थ, इस धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित होगा–

(क) बंधन, प्रभाकरण, विक्रय, दान अथवा विनिमय;

(ख) पाँच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए पट्टा; अथवा

(ग) ''अप्रतिसंहरणीय अनुज्ञप्ति''– 1979 का यू0पी0 अधिनियम सं0 26, धारा 4 (16–7–1979) (1979 का यू0 पी0 अधिनियम सं0 26 की धारा 4)।''

6- lklkbVh }kjk vkj mld fo:) okn yk;k tkuk& इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक सोसाइटी, सोसाइटी के सभापति, अध्यक्ष अथवा मुख्य सचिव अथवा न्यासियों, जैसा कि सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार अवधारण किया जाएगा, के नाम से, और ऐसी अवधारणा में की गई चूक के मामले में इस प्रयोजन के लिए शासी निकाय द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के नाम से, वाद ला सकती है अथवा वाद के अन्तर्गत लाई जा सकती है :

परन्तु यह कि सोसाइटी के विरूद्ध दावा अथवा माँग करने वाला व्यक्ति सोसाइटी के सभापति अथवा अध्यक्ष अथवा मुख्य सचिव अथवा न्यासियों, यदि शासी निकाय को दिए गए आवेदन पर कोई अन्य अधिकारी अथवा व्यक्ति की बचाव करने वाले के रूप में नियुक्ति न की जाए, के विरूद्ध वाद लाने के लिए समर्थ होगा।

7- okn dk mi'keu u fd;k tk,& किसी सिविल न्यायालय में लाया गया कोई वाद अथवा कार्यवाही, उस व्यक्ति जिसके द्वारा अथवा जिसके विरूद्ध ऐसा वाद अथवा कार्यवाही लाया गया होगा अथवा जारी किया गया होगा, मृत्यु होने अथवा उस हैसियत के नाम को छोड़ने, जिससे उसके द्वारा अथवा उसके विरूद्ध वाद लाया गया होगा, के कारण उपशमित अथवा बन्द नहीं किया जाएगा, किन्तु वही वाद अथवा कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारी के नाम से अथवा उसके विरूद्ध जारी रखा जाएगा।

8- lkslkbVh ds fo:) fu.kZ; dk izorZu& यदि कोई निर्णय सोसाइटी की ओर से नामित व्यक्ति अथवा अधिकारी के विरूद्ध प्रत्युद्धार किया जाएगा, ऐसा निर्णय ऐसे व्यक्ति अथवा अधिकारी की सम्पत्ति, जंगम अथवा स्थावर के विरूद्ध अथवा उसके शरीर के विरूद्ध प्रवर्तित नहीं किया जाएगा।

निष्पादन याचिका में निर्णय उपवर्णित किया जाएगा जो उस पक्षकार, जिसके विरूद्ध इसका प्रत्युद्धार किया गया होगा, के द्वारा केवल सोसाइटी की ओर से वाद लाने अथवा वाद लाए जाने के, जैसा मामला हो, वाद होगा, से संबंधित तथ्य होगा और उसमें सोसाइटी की सम्पत्ति के विरूद्ध निर्णय को प्रवर्तित किया जाना अपेक्षित किया जाएगा।

9- mifof/k ds v/khu iznRr "kkfLr dh olwyh& जहां कहीं,सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार सम्यक् रूप से विरचित विधि द्वारा, अथवा यदि नियमों में उपविविधों की विरचना की व्यवस्था नहीं की गई है वहां, उस सोसाइटी के सदस्यों की इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई किसी साधारण बैठक में विरचित की गई किसी उपविधि (जिसकी विचरना के लिए ऐसी बैठक में उपस्थित सदस्यों के तीन–पांचवे का सहमति मद दिया जाना आवश्यक है) द्वारा सोसाइटी के किसी नियम अथवा उपविधि को भंग करने के लिए कोई धनीय शास्तित अधिरोपित की जाती है, वहां ऐसी शास्ति, उसका प्रोदभाव होने पर, किसी ऐसे न्यायालय में वसूल की जा सकती है, जिसकी अधिकारिता उस स्थान पर है जहां प्रतिवादी निवास करता है अथवा जहां सोसाइटी अवस्थित है, जैसा कि उस सोसाइटी का शासी निकाय समीचीन समझेगा।

10- lnL;ksa ds fo:) ijO;fDr ds :i esa okn yk;k tk;sxk & कोई सदस्य, जिसकी तरफ कोई प्रतिश्रुति बकाया हो, जिसे सोसाइटी के अनुसार अदा करने के लिए वह बाध्य है, अथवा जो सोसाइटी की किसी सम्पत्ति का किसी रीति से अथवा ऐसे नियमों के तत्समय विरूद्ध स्वयं कब्जा करेगा अथवा निरूद्ध करेगा, अथवा सोसाइटी की किसी सम्पत्ति को क्षति करेगा अथवा नाश करेगा, उसके विरूद्ध इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से, ऐसी बकाया राशि के लिए अथवा सम्पत्ति के ऐसे निरोध, क्षति अथवा नाश से प्रोद्भूत नुकसानी के लिए वाद लाया जायेगा।

lQy izfroknh }kjk [kpksZ dh olwyh U;k;fu.khZr & किन्तु यदि वादी सोसाइटी के अनुरोध पर उसके विरूद्ध लाए गए किसी वाद अथवा अन्य न्यायिक कार्यवाही में सफल होगा और अपने खर्च की वसूली करने के लिए न्यायनिर्णीत किया जायेगा, तो वह उसकी वसूली उस अधिकारी से, जिसके नाम से वाद लाया जायेगा अथवा उस सोसाइटी से करने के लिए कार्यवाही करने का विकल्प कर सकता है, और बाद वाले मामले में उपरोक्त वर्णित रीति से उक्त सोसाइटी की सम्पत्ति के विरूद्ध वाद कार्यवाही की जाएगी।

11- vijk/k ds nks'kh lnL; ijO;fDr ds :i esa n.Muh; gksaxs & सोसाइटी का कोई सदस्य जो ऐसी सोसाइटी के किसी धन या अन्य सम्पत्ति की चोरी करेगा, उसे हड़पेगा अथवा उसका गबन करेगा, अथवा उसकी किसी सम्पत्ति को जान–बूझकर और विद्वेषतः नाश करेगा अथवा क्षति पहुंचायेगा अथवा किसी विलेख, बंधपत्र, धन के लिए प्रतिभूति, अथवा अन्य दस्तावेज की कूट रचना करेगा, जिसके द्वारा सोसाइटी की निधियां हानि के लिए उच्छन्न हो जाएं, तो उसके विरूद्ध वही अभियोजन चलाया जाएगा और यदि उसे सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो उसे उसी ढंग से दण्डित किया जायेगा जैसा कि

कोई व्यक्ति जो सदस्य नहीं है इसी प्रकार के अपराध के लिए अभियोजनीय होता और दण्डित किया गया होता।

12- lklkbfV;k viu i;ktu dk ifjorlu] foLrkj.k vFkok U;uu dju d fy,] leFk gkxh & जब कभी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी, जिसे विशिष्ट प्रयोजन अथवा प्रयोजनों के लिए गठित किया गया है, शासी निकाय को यह प्रतीत होगा कि ऐसे प्रयोजन को अन्य प्रयजनों , जो उस अधिनियम की परिधि के भीतर शामिल हैं, से अथवा उनके लिए, परिवर्तन, विस्तारण अथवा न्यूनन किया जाना, अथवा ऐसी सोसाइटी को किसी अन्य सोसाइटी के साथ या तो पूरी तरह से अथवा या तो आंशिक रूप से समामेलन किया जाना बुद्धिमानी है, तो ऐसा शासी निकाय एक लिखित अथवा मुद्रित रिपोर्ट के माध्यम से उस सोसाइटी के सदस्यों को वह प्रतिपादना प्रस्तुत कर सकता है और सोसाइटी के विनियमों के अनुसार उस पर विचार करने के लिए एक विशेष बैठक बुला सकता है:

किन्तु कोई ऐसी प्रतिपादना तब क्रियान्वित नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी रिपोर्ट, उस पर विचार करने के लिए शासी निकाय द्वारा बुलाई गई विशेष बैठक के दस दिन पहले सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को परिदत्त नहीं कर दी जाएगी अथवा डाक द्वारा भेज नहीं दी जायेगी और न ही, जब तक कि ऐसी प्रतिपादना के लिए सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा परोक्षी द्वारा परिदत्त किए गए उनके तीन–पांचवे भाग के मत द्वारा सहमति नहीं दी जाएगी और एक दूसरी विशेष बैठक जो शासी निकाय द्वारा पहली बैठक के बाद एक माह के पश्चात एक अन्तराल में बुलाई जाएगी, में उपस्थित सदस्यों के तीन–पांचवे भाग के मतों द्वारा पुष्टि नहीं की जाएगी।

jkT; l'kks/ku

mRrj inn'k& उत्तर प्रदेश में 10–10–1975 से प्रभावी 1975 का उ0 प्र0 अधिनियम सं0 52 की धारा 6 के द्वारा निम्नलिखित नई धाराएँ 12–क, 12–ख, 12–ग, और 12–घ अंतःस्थापित की गई है–

^^/kkjk 12&d- uke dk ifjorlu& इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, अपने सदस्यों की कुल संख्या दो तिहाई भाग से कम नहीं, की सम्मति प्राप्त करके, (और लिखित में रजिस्ट्रार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके), (16–7–1979 से प्रभावी 1979 से प्रभावी यू0 पी0 अधिनियम सं0 26 द्वारा अन्तःस्थापित) इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई एक साधारण बैठक में संकल्प पारित करके अपने नाम को परिवर्तित कर सकती है।

12&[k- uke vFkok mnn';k d ifjorlu dk ukfVl& (1) सोसाइटी के सचिव और किन्हीं तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित करके, धारा 12 के अधीन किए गए उद्देश्यों के प्रत्येक परिवर्तन अथवा धारा 12 के अधीन नाम के प्रत्येक परितर्वतन का लिखित नोटिस रजिस्ट्रार को सम्प्रेषित किया जाएगा।

(2) जहां रजिस्ट्रार यह संतुष्ट हो जाता है कि सोसाइटी के उद्देश्यों अथवा नाम के संबन्ध में और उद्देश्यों के अथवा नाम के, जैसा कि मामला हो, परिवर्तन से संबधित इस अधिनियम में किए गए उपबंधों का अनुपालन किया गया है, वहां वह, धारा 12–ग के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नाम के परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण कर सकता है और वह ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तिथि से प्रभावी होगा।

12&x- uke vFkok mnn';k d ifjorlu dk iHkko& किसी सोसाइटी के उद्देश्यों अथवा नाम में परिवर्तन उस सोसाइटी के किन्हीं अधिकारों अथवा बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेगा और न ही उस सोसाइटी द्वारा अथवा उसके विरूद्ध लाई गई किसी विधिक कार्यवाही को दूषित करेगा और कोई विधिक कार्यवाही, जो उसके पुराने नाम से उसके द्वारा अथवा उसके विरूद्ध जारी की गई होती अथवा

प्रारम्भ की गई होती, उसके नए नाम से उसके द्वारा अथवा उसके विरूद्ध जारी की जा सकती है अथवा प्रारम्भ की जा सकती है।

12&?k- dfri; ifjfLFkfr;ksa esa jftLVªhdj.k jn~n djus dh jftLVªkj dh 'kfDr& (1) इस अधिनियम में कुछ भी अन्तर्विष्ट किए जाने पर भी, रजिस्ट्रार, निम्नलिखित आधारों में से किसी पर किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण, लिखित में ओदश जारी करके रद्द कर सकता है–

(क) कि सोसाइटी का अथवा उसके नाम का रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के विरूद्ध ''है''; (16–7–1979 से प्रभावी 1979 का उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26 द्वारा ''था'' के स्थान पर यह शब्द प्रतिस्थापित किया गया);

(ख) कि इसके क्रियाकलाप अथवा प्रस्तावित क्रियाकलाप, सोसाइटी के उद्देश्यों के लिए ध्वंसात्मक अथवा लोक नीति के विरूद्ध रहे हैं अथवा हैं अथवा रहेंगे;

(ग) कि यह रजिस्ट्रीकृत अथवा नवीकरण का प्रमाण–पत्र दुर्व्यपदेशन अथवा कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया है। (30–4–1984 से प्रभावी 1984 का उ0 प्र0 अधिनियम सं0 11 द्वारा जोड़ा गया)।

परन्तु यह कि किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए कोई आदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि सोसाइटी को अपने नाम अथवा उद्देश्य का परिवर्तन करने के लिए, अथवा इसके संबंध में प्रस्ताविक कार्यवाही के विरूद्ध कारण प्रदर्शित करने के लिए उचित अवसर न दिया गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश के विरूद्ध उस प्रभाग के आयुक्त के यहाँ, जिसकी अधिकारिता में सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है, ऐसा आदेश सूचित किए जाने की तिथि से एक माह के भीतर, अपील की जा सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन आयुक्त द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। (30–4–1984 से प्रभावी 1984 का उ0 प्र0 अधिनियम सं0 11 द्वारा अन्तःस्थापित)।''

13- lkslkbVh dk fo?kVu vkSj mlds dk;Zdyki dk lek;kstu& किसी सोसाइटी के ऐसी किसी संख्या के सदस्य, जो उनकी कुल संख्या के तीन–पाँचवें भाग से कम न हो, यह निश्चय कर सकते हैं कि उसे विघटित किया जाएगा और ऐसा करने पर, वह तत्क्षण, अथवा किसी समय, उतनी समय जब कि सहमति की जाए, विघटित हो जाएगी, और सोसाइटी की सम्पत्ति और उसके दावों और देयताओं का, उन पर लागू होने वाले उक्त सोसाइटी के नियमों, यदि कोई हों, और यदि वे नहीं हैं, तो जैसा कि शासी निकाय समीचीन समझेगा, के अनुसार व्ययन और व्यवस्थापन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएँगे, बशर्ते कि, उक्त शासी, निकाय और सोसाइटी के सदस्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, उसके कार्यकलाप का समायोजन उस जिला की मूल सिविल अधिकारिता के प्रधान न्यायालय को उसे सन्दर्भित कर दिया जाएगा जिसमें सोसाइटी का मुख्य भवन अवस्थित है; और वह न्यायालय इस मामले में ऐसा आदेश देगा जैसेा कि वह अपेक्षित समझता हैः

परन्तु यह कि किसी सोसाइटी का विघटन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि, इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई एक साधारण बैठक में सदस्यों का तीन–पाँचवाँ भाग इस विघटन के लिए वैयक्तिक रूप से अथवा परोक्षी के माध्यम से अपना मतदान परिदत्त करके अपनी इच्छा अभिव्यक्त नहीं कर दी होगी।

परन्तु यह कि जब कभी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी में कोई सरकार (पहले विद्यमान ''जब कभी सरकार'' शब्द के स्थान पर अब 1–4–1937 से प्रभावी वर्तमान शब्द प्रतिस्थापित कर दिये गये हैं–देखें–ए0 ओ0 1937) उसका एक सदस्य होती है, अथवा उसमें एक अभिदानकर्ता होती है, अथवा उसमें अन्यथा हितबद्ध होती है, ऐसी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण के राज्य की सरकार की सम्मति के बिना (पहले विद्यमान ''सरकार की सम्मति के बिना'' शब्द के स्थान पर अब 1–4–1937 से प्रभावी वर्तमान शब्द प्रतिस्थापन कर दिए गए हैं। देखें ए0 ओ0 1937) विघटित नहीं की जाएगी।

jkT; l'kks/ku

mRrj izns'k& (क) ‘‘सोसाइटी का मुख्य भवन’’ शब्दों के स्थान पर 10—10—1975 से प्रभावी ‘‘सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृति कार्यालय’’ शब्द प्रतिस्थापित कर दिए जाएँ।

(ख) 10—10—1975 से प्रभावी नई धाराएँ, 13—क, और 13—ख, जोड़ दी जाएँ, जो इस प्रकार हैं—

^^13&d- fo?kVu dk lEcU/k esa mi;ksftu djus dk fy, jftLVªkj dh 'kfDr& (1) जहाँ रजिस्ट्रार की राय में, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के सम्बन्ध में यह विश्वास किए जाने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि धारा 13—ख की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (50) में दिए गए आधारों में से कोई आधार विद्यमान है तो वह सोसाइटी को एक नोटिस भेजेगा कि सोसाइटी इस नोटिस में यथा—विनिर्दिष्ट समय के भीतर यह कारण बताए कि क्यों न सोसाइटी को विघटित कर दिया जाए।

(2) यदि नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि को अथवा उसके पहले अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जैसा कि रजिस्ट्रार अनुमति दें, सोसाइटी कोई कारण नहीं बता पाती है अथवा यदि बताया गया कारण रजिस्ट्रार द्वारा असंतोषजनक समझा जाता है तो रजिस्ट्रार धारा 13 में सन्दर्भित न्यायालय में सोसाइटी के विघटन के लिए आदेश दिए जाने केलिए कार्रवाई कर सकता है।

13&[k- U;k;ky; }kjk fo?kVu& धारा 13—क के अधीन अथवा धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रार के आवेदन पर अथवा इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के सदस्यों के दसवें हिस्से से कम नहीं, द्वारा किए गए आवेदन पर, धारा 13 में सन्दर्भित न्यायालय निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर सोसाइटी के विघटन के लिए आदेश कर सकता है अर्थात्—

(क) कि सोसाइटी ने इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रभावी किसी अन्य विधि के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है और यह न्यायसंगत और साम्यपूर्ण है कि सोसाइटी को विघटित कर दिया जाना चाहिए;

(ख) कि सोसाइटी के सदस्यों की संख्या घटकर सात से कम हो गई है;

(ग) कि सोसाइटी ने ऐसे आवेदन किए जाने की तिथि से तीन वर्ष पहले कार्य करना बन्द कर दिया है;

(घ) कि सोसाइटी अपने ऋणों का भुगतान करने और अपनी देयताओं को पूरा करने में असमर्थ है;

(ड.) कि सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण धारा 12—घ के अधीन इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि उसके क्रियाकलाप अथवा प्रस्तावित क्रियाकलाप लोक नीति के विरूद्ध रहे हैं अथवा हैं अथवा होंगे।

(2) उपधारा (1) के अथवा धारा 12—घ के उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायालय इस निमित्त जिला मजिस्ट्रेट के आवेदन पर, इस आधार पर सोसाइटी के विघटन के लिए एक आदेश दे सकता है कि सोसाइटी के कार्यकलाप लोक न्यूसेंस संघटित करते हैं अथवा अन्यथा लोक नीति के विरूद्ध हैं।

(3) जब उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अधीन किसी सोसाइटी के विघटन के लिए, कोई आदेश किया जाता है तो सोसाइटी की सम्पत्ति के, उसके दावों और देयताओं के व्ययन और व्यवस्थापन और उसके कार्यकलाप के किसी अन्य समायोजन के सम्बन्ध में सभी आवश्यक कदम न्यायालय द्वारा यथा—निर्देशित रीति से उठाए जाएँगे।’’

14- fo?kVu gks tkus ij dksbZ lnL; ykHk izkIr ugha djsxk& यदि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी का विघटन हो जाने पर, उसके सभी ऋणों और देयताओं की तुष्टि

कर देने के बाद, कुछ भी सम्पत्ति शेष रह जाएगी, तो उसे उक्त सोसाइटी के सदस्यों के मध्य अथवा उनमें से किसी को अदा अथवा संवितरित नहीं किया जाएगा, अपितु किसी अन्य सोसाइटी को दे दिया जाएगा, जिसका अवधारण, विघटन के समय उपस्थित सदस्यों के तीन–पाँचवें भाग से कम नहीं; द्वारा, वैयक्तिक रूप से अथवा परोक्षी द्वारा दिए गए मत द्वारा, अथवा उसके न होने पर उपरोक्त ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

[k.M l;Dr&LVkd dEifu;k ij ykxw ugh gksxk& तथापि, यह खण्ड किसी ऐसी सोसाइटी पर लागू नहीं होगा जिसका संप्रवर्तन अथवा जिसकी स्थापना, शेयरधारकों के अभिदान द्वारा एक संयुक्त–स्टॉक कम्पनी की प्रकृति में किया गया है।

mRrj izns'k& 10–10–1975 से प्रभावी नई धारा 14–क जोड़ दी गई–

^^14&d- fdlh fo?kfVr lkslkbVh dh lEifRr dk O;;u& धारा 14 में कोई बात अंतर्विष्ट होने पर भी, धारा 13 के अधीन विघटित किसी सोसाइटी के सदस्यों के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वे ऐसी सोसाइटी के विघटन के समय उपस्थित सदस्यों के वैयक्तिक रूप से अथवा परोक्षी द्वारा दिए गए मतों के बहुमत द्वारा यह अवधारित करें कि सभी ऋणों और दयताओं की तुष्टि करने के बाद जो कुछ भी कोई सम्पत्ति शेष बचती है, को धारा 1 में उल्लिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए उपयोग किए जाने के लिए सरकार को दे दी जाएगी। ''– (1975 का उ0प्र0 अधिनियम सं0 52 की धारा 9) (10–10–1975)।

15- lnL; dh ifjHkk"kk] fujfgr lnL;& इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी सोसाइटी का सदस्य वह व्यक्ति होगा, जो उसके नियमों और विनियमों के अनुसार उसमें सम्मिलित किए जाने के बाद, एक प्रतिश्रुत संदत्त कर दी होगी, अथवा उसके सदस्यों की नामावली अथवा सूची को हस्ताक्षरित कर दिया होगा, और ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार त्यागपत्र नहीं दिया होगा , किन्तु इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों में ऐसा कोई व्यक्ति मतदान करने अथवा गणना किए जाने के लिए हकदार नहीं होगा उतनी समय जिसकी प्रतिश्रुति तीन माह से अधिक की अवधि से बकाया रही होगी।

jkT; l'kks/ku

mRrj izns'k& मूल धारा को उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित करके नई उपधारा (2) जोड़ दी जाए (30–4–1984 से प्रभावी)।
''(2) प्रत्येक सोसाइटी यथा विहित विशिष्टियाँ देने वाला सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगी'', (1984 का उ0 प्र0 अधिनियम सं0 11 की धारा 6)।

16- 'kklh fudk;& ifjHkk"kk& सोसाइटी का शासी निकाय प्रशासक परिषद्, निर्देशक, समिति, न्यासी अथवा अन्य निकाय, जिसे सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार उसके कामकाज के प्रबन्ध के लिए न्यस्त किया जाए, होगा।

jkT; l'kks/ku

mRrj izns'k& 10–10–1973 से प्रभावी नई धारा 16–क जोड़ी जाए।

^16&d- lkslkbVh e in /kkj.k dju d fy, fujgrk& कोई व्यक्ति जो एक अनुन्मोचित दिवालिया है अथवा जिसे किसी सोसाइटी की, अथवा किसी निगम निकाय की विरचना, उसके सम्प्रवर्तन, प्रबन्धन अथवा उसके कामकाज के संचालन से संसक्त किसी अपराध अथवा नैतिक अधमता को अन्तर्वलित करने वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, किसी सोसाइटी के शासी निकाय के एक सदस्य के रूप में चुने जाने, उसका एक सदस्य बनने, अथवा सभापति, सचिव अथवा कोई अन्य पदाधिकारी बनने के लिए निरर्हित होगा।'' (1975 का उ0 प्र0. अधिनियम सं0 52 की धारा 10)

17- vf/kfu;e d igy fojfpr dh xb lkslkbfV;k dk jftLVhdj.k& किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा पूर्त प्रयोजन के लिए स्थापित की गई और 1950 के अधिनियम सं0 43 (1950 का अधिनियम सं0 43 अर्थात् संयुक्त स्टॉक कम्पनी अधिनियम, 1850– जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1866 की धारा 219 द्वारा निरसित कर दिया गया है– 1856 के पश्चाती अधिनियम के स्थान पर भी साम्प्रतिक कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम सं0 1) अधिनियमित किया गया है) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी अथवा सोसाइटी, अथवा इस अधिनियम को पारित किए जाने के पहले स्थापित और गठित, किन्तु 1850 के उक्त अधिनियम सं0 43 के अधीन रजिस्ट्रीकृत न की गई, कोई ऐसी सोसाइटी को एतद्पश्चात् इस अधिनियम के अधीन एक सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है; परन्तु यह कि इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसी कम्पनी अथवा सोसाइटी का तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि इस तरह से रजिस्ट्रीकृत किए जाने की एक सम्मति, शासी निकाय द्वारा इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई किसी साधारण बैठक में वैयक्तिक रूप से अथवा परोक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के तीन–पाँचवें बहुमत द्वारा न दी जाए।

1850 के अधिनियम सं0 43 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी अथवा सोसाइटी के मामले में निर्देशकों को इस तरह के शासी निकाय के रूप में समझा जाएगा।

यदि कोई सोसाइटी इस तरह से रजिस्ट्रीकृति नहीं है, यदि उस कम्पनी की स्थापना पर ऐसे निकाय का गठन किया गया होगा, तो उसके सदस्य सम्यक् नोटिस के आधार पर तत्पश्चात् सोसाइटी के लिए कार्य करने के लिए अपने लिए एक शासी निकाय की सृष्टि करने के लिए समर्थ होंगे।

18- ,sh lkslkbfV;k l;qDr LVkd dEiuh jftLVkj d ;gk Kkiu vkfn nkf[ky djxh& पूर्वगामी अन्तिम धारा में उल्लिखित किसी ऐसी सोसाइटी को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री अभिप्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त होगा कि शासी निकाय, सोसाइटी का नाम, सोसाइटी का उद्देश्य और शासी निकाय के नाम, पते और व्यवसाय को दर्शाने वाला एक ज्ञापन और साथ ही, सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति, जिसे धारा 2 में यथा उपबन्धित रूप में प्रमाणित किया गया हो और उस साधारण बैठक की कार्यवाही के रिपोर्ट की एक प्रति जिसमें उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए संकल्प लिया गया हो, संयुक्त स्टॉक कम्पनी रजिस्ट्रार (यहां पर पहले विधमान शब्द और अंक 1857 के अधिनियम, 19 के अधीन निरसित कर दिये गये हैं– देखें निरसन अधिनियम, 1874 (1874 का अधिनियम सं0 16) अनुसूची भाग 1 के साथ पठित) के पास दाखिल करें।

jkT; l'kks/ku

mRrj izn'k& ''संयुक्त स्टॉक कम्पनी रजिस्ट्रार'' शब्दों के स्थान पर 25–8–1958 से प्रभावी ''रजिस्ट्रार'' शब्द प्रतिस्थापितकिया जाये। (1958 यू0 पी0 अधिनियम सं0 25 की धारा 2)।

19- nLrkotk dk fujh{k.k] izekf.kr izfr;k& कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण, प्रत्येक निरीक्षक के लिए एक रूपये की फीस अदा करके, कर सकता है; और कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज अथवा किसी दस्तावेज के किसी भाग

की किसी प्रति अथवा उद्धरण को ऐसी प्रति अथवा उद्धरण के प्रत्येक सौ शब्दों के लिए दो आने अदा करके रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किए जाने की अपेक्षा कर सकता है और ऐसी प्रमाणित प्रति उसमें अन्तर्विष्ट मामलों के लिए सभी विधिक कार्यवाहियों के लिए प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य होगा।

jkT; l'kks/ku

mRrj in'k& दो स्थानों पर, एक ''प्रत्येक निरीक्षण के लिए एक रूपये की फीस अदा करने पर'' और दूसरा ''ऐसी प्रति अथवा उद्धरण के प्रत्येक सौ शब्दों के लिए दो आने अदा करने पर'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसी फीस अदा करने पर जैसा कि सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित करे'' (6–10–1975 से प्रभावी) (1975 का उ0 प्र0 अधिनियम सं0 52 की धारा 11)।

20- vf/kfu;e fdu lkslkbfV;ksa ij ykxw gksxk& इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है–

पूर्त सोसाइटियाँ, सेना अनाथ निधि अथवा भारत की विभिन्न प्रेसीडेंसियों में स्थापित की गई सोसाइटियाँ, विज्ञान, साहित्य अथवा ललित कला के संवर्द्धन के लिए, उपयोगी जानकारी के अनुदेश, प्रसार के लिए, राजनीतिक शिक्षा के प्रसार (शब्द जोड़े गए– देखें सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण, (संशोधन) अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम सं0 22) के लिए, सदस्यों के सामान्य उपयोग अथवा साधारण व्यक्तियों के उपयोग के लिए पुस्तकालयों अथवा वाचनालयों अथवा लोक संग्रहालयों और चित्रकला दीर्घाओं और अन्य कलाकृतियों के प्रतिष्ठापन अथवा अनुरक्षण, नैसर्गिक इतिहास के एकत्रण, यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, दस्तावेज या परिकल्पना के लिए स्थापित की गई सोसाइटियाँ।

jkT; l'kks/ku

mRrj in'k& ''विज्ञान'' और ''के सवंर्द्धन'' शब्दों के बीच में 30–4–1984 से प्रभावी'' खादी और ग्राम्य उद्योग, पंचायत उद्योग, ग्रामीण विकासस'' शब्द जोड़े जाएँ। (1984 का अधिनियम सं0 11 की धारा 7)।

ubZ /kkjk,a

mRrj in'k& (क) 25–8–1958 से प्रभावी नई धारा 21 जोड़ी गई थी (1958 का उ0प्र0 अधिनियम सं0 25 की धारा 3 किन्तु बाद में 1979 के उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26 की धारा 7 द्वारा पहले जोड़ी गई धारा 21 के स्थान पर साम्प्रतिक धारा प्रतिस्थापित कर दी गई) किन्तु बाद में 16–7–1979 से प्रभावी साम्प्रतिक धारा 21 प्रतिस्थापित की गई–

''21 इस अधिनियम में, ''रजिस्ट्रार'' शब्द से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसे इस रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये और उसमें एक अपर रजिस्ट्रार, एक संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, अथवा सहायक रजिस्ट्रार, जिसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की पूरी या कोई शक्तियाँ, राज्य सरकार के साधारण अथवा विशेष आदेश के द्वारा प्रदत्त की गई हैं, शामिल हैं।''

(ख) बाद में 10–10–1975 से प्रभावी धाराएँ 22 से 23 जोड़ी गई हैं (1975 का उ0 प्र0 अधिनियम सं0 52 की धारा 12)।

(क) 30–4–1984 से प्रभावी 1984 का उ0 प्र0 अधिनियम सं0 11 की धारा 8 द्वारा संशोधित।

(ख) 27–2–1978 से प्रभावी 1978 का उ0 प्र0 अधिनियम सं0 13 की धारा 4 द्वारा संशोधित

22- lpuk eaxkus dh jftLVªkj dh 'kfDr& (1) रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा किसी सोसाइटी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह लिखित रूप में ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज ऐसी

समय–सीमा के भीतर भेजे, जो सामान्यतः उस सोसाइटी द्वारा उक्त आदेश को प्राप्त करने की तिथि से दो सप्ताह से कम की नहीं होती, जैसा कि वह सोसाइटी के कामकाज अथवा इस अधिनियम के अधीन सोसाइटी द्वारा दाखिल किए गए किसी दस्तावेज के सम्बन्ध में आदेश में विनिर्दिष्ट करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश सोसाइटी द्वारा प्राप्त किए जाने पर, सभापति सचिव अथवा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति का कर्त्तव्य होगा कि ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज प्रेषित की जाए।

23- y[kk&ijh{kk& (1) धारा 4 की उपधारा (2) अथवा धारा 22 के उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ रजिस्ट्रार की यह राय है कि ऐसा किया जाना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहाँ वह लिखित रूप से आदेश देकर, किसी सोसाइटी से किसी विशिष्ट वर्ष से सम्बन्धित अपना लेखा अथवा प्राप्ति और व्यय के विवरण की एक प्रति, जिसे एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित किया गया हो, प्रेषित करने की अपेक्षा कर सकता है।

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार, सोसाइटी के अनुरोध पर, उसे ऐसे लेखा और विवरण को उसके द्वारा अनुमोदित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संपरीक्षा कराने की उसे अनुमति प्रदान कर सकता है।

(2) यदि सोसाइटी उपधारा (1) में संदर्भित दस्तावेजों को उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जैसा कि रजिस्ट्रार समय–समय पर अनुमति प्रदान करे, प्रेषित करने में विफल होती है तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के उक्त वर्ष से संबंधित लेखा की लेखा–परीक्षा करवा सकता है और ऐसी लेखा–परीक्षा का खर्च उस सोसाइटी से वसूल सकता है।

(3) यदि सोसाइटी उपधारा (2) के अधीन लेखा–परीक्षा किए जाने के लिए अपने लेखा अथवा अन्य दस्तावलेज को उपलब्ध कराने से उपेक्षा अथवा इंकार करती है, अथवा रजिस्ट्रार की राय में लेखा–परीक्षा करने के लिए सम्यक् व्यय के साथ अपेक्षित अन्यथा सहूलियतें प्रदान करने में विफल होती है, तो रजिस्ट्रार धारा 24 के अधीन कार्रवाई करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है।

24- fdlh lkslkbVh ds dkedkt dk vUos"k.k (1) जहाँ धारा 22 के अधीन अथवा अन्यथा प्राप्त सूचना पर अथवा धारा 23 की उपधारा (3) में सन्दर्भित परिस्थितियों में, रजिस्ट्रार की यह राय है कि यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के कामकाज का संचालन इस तरह से किया जा रहा है कि सोसाइटी के उद्देश्य विफल हो रहे हैं अथवा कि सोसाइटी अथवा उसका शासी निकाय जिसका कोई भी नाम हो सकता है, अथवा कोई अधिकारी जो सोसाइटी का वास्तविक प्रभावी नियंत्रण रखता हो, उसके कामकाज का कुप्रबंध करने अथवा वैश्वासिक अथवा अन्य सदृश बाध्यताओं के किसी भंग का दोषी है, तो रजिस्ट्रार या तो स्वयं या तो इस निमित उसके द्वारा नियुकत किसी व्यक्ति के माध्यम से सोसाइटी के कामकाज का निरीक्षण अथवा अन्वेषण अथवा सोसाइटी द्वारा प्रबंधित किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है।

(2) रजिस्ट्रार अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रकार अपेक्षा किए जाने पर सोसाइटी के प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी लेखा पुस्तक और सोसाइटी के अन्य अभिलेख अथवा उससे सम्बन्धित अभिलेख, जो उसकी अभिरक्षा में हों, को प्रस्तुत करे और ऐसे निरीक्षण अथवा अन्वेषण के संबंध में हर तरह की मदद करे।

(3) रजिस्ट्रार अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति सोसाइटी के कामकाज के सम्बन्ध में सोसाइटी के किसी अधिकारी, सदस्य अथवा कर्मचारी को बुला सकता है और शपथ के आधार पर उसका परीक्षण कर सकता है और बुलाए जाने पर प्रत्येक अधिकारी, सदस्य अथवा कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे परीक्षण के लिए उसके समक्ष उपस्थित हो।

(3–अ) रजिस्ट्रार अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति, यदि उसकी राय में निरीक्षण अथवा अन्वेषण के प्रयोजन के लिए ऐसा जरूरी है, तो सोसाइटी की लेखा–पुस्तिका सहित कोई अथवा सभी अभिलेखों का अभ्रिहण कर सकता है (30–4–1984 से प्रभावी 1984 के यू0 पी0 अधिनियम सं0 11 की धारा 8 द्वारा संशोधित)।

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से ऐसे अभिलेखों को अभिग्रहण किया जाता है ऐसे अभिलेखों की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में उसकी प्रतियाँ बनाने का हकदार होगा।

(4) निरीक्षण अथवा अन्वेषण, जैसा कि मामला हो, की समाप्ति पर निरीक्षण अथवा अन्वेषण के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, यदि कोई हो, अपने निरीक्षण अथवा अन्वेषण के परिणाम के बारे में रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट देगा।

(5) ऐसे निरीक्षण अथवा अन्वेषण के बाद रजिस्ट्रार, सोसाइटी को अथवा उसके शासी निकाय को अथवा उसके किसी अधिकारी को, यथा–विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर किन्हीं कमियों अथवा अनियमितताओं को दूर करने के लिए ऐसा निर्देश दे सकता है, जैसा कि वह उचित समझे और ऐसे निर्देश के अनुसार कार्रवाई करने में की गई चूक की स्थिति में, रजिस्ट्रार धारा 12–घ अथवा 13–ख, जैसा कि मामला हो, के अधीन कार्रवाई करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है।

25- inkf/kdkfj;ksa ds pqukoksa ls lEcfU/kr fookn& (1) विहित प्राधिकारी रजिस्ट्रार द्वारा अथवा उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के कम से कम एक–चौथाई सदस्यों द्वारा सन्दर्भन किए जाने पर, ऐसी सोसाइटी के पदाधिकारी के चुनाव अथवा उसे पद पर बने रहने से सम्बन्धित किसी संशय अथवा विवाद की सुनवाई कर सकता है और सारभूत ढंग से निर्णय कर सकता है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

''परन्तु यह कि किसी पदाधिकारी का चुनाव अपास्त कर दिया जाएगा जहाँ विहित प्राधिकारी यह सन्तुष्ट होता है–

(क) कि ऐसे पदाधिकारी द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है; अथवा

(ख) कि किसी उम्मीदवार का नामांकन अनुचित ढंग से अस्वीकार किया गया है; अथवा

(ग) कि चुनाव का परिणाम, जहाँ तक कि वह ऐसे पदाधिकारी से सम्बन्ध रखता है, नामनिर्देशन का अनुचित प्रतिग्रहण द्वारा अथवा किसी मत का अनुचित ग्रहण, इंकार अथवा अस्वीकृति द्वारा अथवा किसी ऐसे मत को ग्रहण करके जो कि शून्य है अथवा सोसाइटी के किन्हीं नियमों के उपबन्धों का कोई अननुपालन करके तात्विक रूप से प्रभावित किया गया है।

Li"Vhdj.k& I& किसी व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण किया हुआ समझा जाएगा जो प्रत्यक्षतः या परोक्षतः स्वयं द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा–

(i) कपट, साशय दुर्व्यपदेशन, प्रपीड़न अथवा क्षति की धमकी द्वारा की मतदाता को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने या किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने से विरत होने अथवा किसी व्यक्ति को किसी चुनाव के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने अथवा खड़ा न होने अथवा अपना नाम वापस लेने अथवा वापस न लेने के लिए उत्प्रेरित करता है अथवा उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है;

(ii) किसी मतदाता को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने अथवा मतदान करने से विरत करने के लिए उत्प्रेरित करने की, अथवा किसी व्यक्ति को किसी चुनाव में खड़ा होने अथवा खड़ा न होने अथवा अपना नाम वापस लेने अथवा वापस न लेने के लिए उत्प्रेरित करने की दृष्टि से कोई धन अथवा मूल्यवान प्रतिफल, अथवा कोई स्थान या रोजगार या प्रस्ताव करता है या देता है, अथवा व्यष्टिगत फायदा अथवा किसी व्यक्ति के लाभ का कोई आश्वासन देता है;

(iii) खण्ड (i) और खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट कार्यों में किसी को किए जाने को (भारतीय दण्ड संहिता के अर्थ के भीतर) दुष्प्रेरित करता है;

(iv) किसी उम्मीदवार अथवा मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है अथवा उत्प्रेरित करने के लिए प्रयास करता है कि वह, अथवा कोई व्यक्ति जिसमें यह हितबद्ध हो, दैवी अप्रसाद अथवा आध्यात्मिक परिनिन्दा की वस्तु बन जाएगा या हो जाएगा;

(v) जाति, समुदाय, पंथ या धर्म के आधार पर संचायना करता है;

(vi) ऐसा अन्य आचरण करता है जिसे राज्य सरकार भ्रष्ट आचरण होने के लिए विहित करे।

Li"Vhdj.k& II& व्यष्टिगत फायदा या किसी व्यक्ति को लाभ के आश्वासन में वह आश्वासन भी शामिल है जो उस व्यक्ति स्वयं को लाभ के लिए अथवा किसी उस व्यक्ति जिसमें वह हितबद्ध हो, को लाभ के लिए दिया जाए।

Li"Vhdj.k & III & राज्य सरकार ऐसे चुनाव के सम्बन्ध में संशयों अथवा विवादों के बारे में सुनवाई करने और निर्णय देने की प्रक्रिया विहित कर सकती है और ऐसे चुनावों से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के बारे में प्रावधान बना सकती है जिसके लिए इस अधिनियम में अथवा सोसाइटी के नियमों में अपर्याप्त उपबंध विद्यमान हैं।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा, कोई चुनाव अपास्त कर दिया जाता है अथवा किसी प्राधिकारी का हक अपने पद पर बने रहने के लिए नहीं रह जाता है अथवा जहाँ रजिस्ट्रार यह सन्तुष्ट हो जाता है कि किसी सोसाइटी के पदाधिकारियों का कोई चुनाव उस सोसाइटी के नियमों में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर नहीं कराया गया है, तो वह ऐसे पदाधिकारी अथवा पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए ऐसी सोसाइटी के साधारण निकाय की एक बैटक बुला सकता है और ऐसी बैठक का रजिस्ट्रार अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सभापतित्व किया जाएगा और उसे संचालित किया जाएगा और बैठकों और चुनावों से संबंधित सोसाइटी के नियमों में विद्यमान उपबंध आवश्यक उपान्तरों के साथ ऐसी बैठक और चुनाव पर लागू होंगे।

(3) जहाँ उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा कोई बैठक बुलाई जाती है, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो सोसाइटी का पदाधिकारी होने का दावा करता हो, चुनाव के प्रयोजन लिए कोई अन्य बैठक नहीं बुलाई जाएगी।

Li"Vhdj.k& इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''विहित प्राधिकारी'' अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है कोई अधिकारी अथवा न्यायालय जिसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित करके अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए।

26- vuqikyu fd;k tkus okyk nku dk fuc/ku& जहाँ कोई सोसाइटी किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति से कोई दान अथवा धन या किसी तरह की सम्पत्ति अधिग्रहीत करती है, तो यह दान में दिए गए या संदान किए गए किसी धन अथवा अन्य सम्पत्ति या उसके किसी भाग का उपयोग रजिस्ट्रार की लिखित सम्मति के बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगी, जो (रजिस्ट्रार) यह सन्तुष्ट हो जाने पर ही वह प्रयोजन जिसके लिए दान दिया गया था सोसाइटी द्वारा निष्पादन किए जाने के लिए अशक्य है, पर ही सम्मति देगा अन्यथा उसे देने से इंकार कर देगा।

27- 'kkfLr;k& कोई व्यक्ति जो–

(क) प्रबंध निकाय की सूची या धारा 4 के अधीन अथवा धारा 4–क के अधीन संप्रेषित किए जाने के लिए अपेक्षित कोई अन्य सूचना सम्प्रेषित करने में विफल होता है अथवा उक्त धारा 4 अथवा धारा 4–क के अधीन रजिस्ट्रार को भेजी जाने वाली सूची में अथवा उससे, अथवा नियमों के या नियमों के परिवर्तन के किसी विवरण अथवा प्रति अथवा अन्य सूचना में अथवा उससे जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि अथवा लोपन करता है अथवा करवाता है;

(ख) धारा 23 की उपधारा (1) में सन्दर्भित किसी लेखा अथवा विवरण को जानबूझकर नहीं भेजता अथवा उक्त धारा का अनुपालन करते हुए ऐसी प्रविष्टियाँ सम्प्रेषित करता है जो मिथ्या है और जिसे वह या तो जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, अथवा यह विश्वास नहीं करता है कि वे सत्य हैं;

(ग) धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा यथाअपेक्षित अपने लेखा अथवा अन्य दस्तावेजों को लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध कराने की उपेक्षा करता है अथवा उससे इंकार करता है;

(घ) धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा यथाअपेक्षित किसी लेखा–पुस्तिका अथवा अन्य अभिलेखों को जानबूझकर प्रस्तुत नहीं करता है;

(ड.) रजिस्ट्रार के समक्ष अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति के समक्ष जानबूझकर उपस्थित नहीं होता अथवा धारा 24 की उपधारा (3) के उपबंधों का अन्यथा उल्लंघन करता है;

28- ifØ;k& इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा और न ही रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा इस निमित्त साधारण अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत किए जाने पर ही ऐसे अपराध का संज्ञान किया जाएगा अन्यथा नहीं।

29- vijk/kksa dk 'keu& (1) रजिस्ट्रार किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने धारा 27 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है अथवा जिसके विरूद्ध उस धारा के अधीन एक अभियोजन संस्थापित किया गया है, उस अपराध के लिए समन फीस के रूप में कोई धनराशि अभिग्रहण कर सकता है जिसके बारे में ऐसे व्यक्ति पर संदेह किया गया है अथवा जिसे उसके द्वारा किए जाने के लिए अभिवाक् किया गया है।

(2) ऐसी समन फीस की अदायगी करने पर, संदिग्ध व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में है, तो उन्मोचित कर दिया जाएगा और उसके विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, और यदि ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अभियोजन संस्थापित किया गया है, तो यह समन उसकी दोषमुक्त का प्रभाव रखेगा।

30- Qhl dh vnk;xh dk rjhdk& इस अधिनियम के अधीन संदेय फीस ऐसे तरीके से संदत्त की जाएगी जैसा कि नियमों में विहित किया जाए।

31- {kfrifr& सद्भावपूर्वक किए गए अथवा इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आशयित किए गए किसी कार्य के लिए, राज्य सरकार के विरूद्ध, रजिस्ट्रार अथवा धारा 24 के अधीन निरीक्षण अथवा अन्वेषण के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही ग्रहण नहीं की जाएगी।

32- jftLVªkj }kjk ukfVl] vkfn rkehy dju dk <x& (1) रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये जाने वाले किसी सोसाइटी अथवा उसके शासी निकाय से सम्बन्धित कोई नोटिस, आदेश अथवा अध्यपेक्षा उस सोसाइटी के सचिव को तामील किया जा सकता है, और सचिव को इस प्रकार से तामील किया जाना उसी तरह से प्रभावी होगा मानों उसे उस सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य अथवा जैसा कि मामला हो, उसके शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य को तामील किया गया हो, जब तक कि रजिस्ट्रार अन्यथा निर्देशित न करे।

(2) ऐसे नोटिस, आदेश अथवा अध्यपेक्षा को सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसके सचिव को प्रेषित किया जाना उसका सोसाइटी को पर्याप्तः तामील किए जाने के समान होगा।

33- fu;eksa dk cukus dh 'kfDr& (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना करके, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों को बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, उन्हें बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों में, जब उनका सत्र चल रहा हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए, जो उसके एक अथवा एक से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित हो, रखे जाएँगे और जब तक कि कोई पश्चात्वर्ती तिथि नियत न की जाए, और ऐसे उपान्तरणों अथवा बालितीकरणों के अधीन रहते हुए, जैसा कि विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि के दौरान करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई ऐसा उपान्तरण अथवा बालितीकरण उसके अधीन पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया हो, उन्हें राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तिथि से, प्रभावी होंगे।

21- इस अधिनियम में ''रजिस्ट्रार'' शब्द से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इस तरह से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है और इसमें एक अपर रजिस्ट्रार, एक संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार,

अथवा सहायक रजिस्ट्रार, जिसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की सभी अथवा कोई शक्ति राज्य सरकार के साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त की गई हो, शामिल है (1979 केउ0 प्र0 अधिनियम सं0 26 द्वारा प्रतिस्थापित)।

mRrj izn'k& (इस धारा 21 की टिप्पणी सं0 1 देखें)। 21 इस अधिनियम में, ''रजिस्ट्रार'' शब्द से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया हो, और इसमें एक अपर रजिस्ट्रार, एक संयुक्त रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार अथवा सहायक रजिस्ट्रार, जिसे राज्य सरकार के साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की सभी अथवा कोई शक्तियाँ प्रदत्त की गई हों, शामिल हैं।

vf/klpuk

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम सं0 21) की धारा 21 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के सभी उप–समुत्थान और सोसाइटी रजिस्ट्रारों को पूर्वकथित अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की सभी शक्तियाँ अपने–अपने अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर प्रयोग किये जाने के लिए प्रदत्त करते हैं। (अधिसूचना सं0 लेखा–परीक्षा 4902/X.605(46)–7 दिनांक जनवरी, 1982, उ0 प्र0 राजपत्र, असाधारण दिनांक 7 जनवरी, 1982 में पृष्ठ 2 पर प्रकाशित)।

22- lpuk eaxkus dh jftLVªkj dh 'kfDr& (1) रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा किसी सोसाइटी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह लिखित रूप में ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज ऐसी समय–सीमा के भीतर भेजे, जो सामान्यतः उस सोसाइटी द्वारा उक्त आदेश को प्राप्त करने की तिथि से दो सप्ताह से कम की नहीं होती, जैसा कि वह सोसाइटी के कामकाज अथवा इस अधिनियम के अधीन सोसाइटी द्वारा दाखिल किए गए किसी दस्तावेज के सम्बन्ध में आदेश में विनिर्दिष्ट करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश सोसाइटी द्वारा प्राप्त किए जाने पर सभापति, सचिव अथवा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति का कर्त्तव्य होगा कि ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज प्रेषित कि जाए। (उ0प्र0 अधिनियम, धारा 22)।

jkT; la'kks/ku

mRrj izn'k& (टिप्पणी 1, धारा 21)।

^^22- lpuk eaxkus dh jftLVªkj dh 'kfDr& (1) रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा किसी सोसाइटी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह लिखित रूप में ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज ऐसी समय–सीमा के भीतर भेजे, जो सामान्यतः उस सोसाइटी द्वारा उक्त आदेश को प्राप्त करने की तिथि से दो सप्ताह से कम की नहीं होती, जैसा कि वह सोसाइटी के कामकाज अथवा इस अधिनियम के अधीन सोसाइटी द्वारा दाखिल किए गए किसी दस्तावेज के सम्बन्ध में आदेश में विनिर्दिष्ट करे।

(2) उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश सोसाइटी द्वारा प्राप्त किए जाने पर सभापति, सचिव अथवा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति का कर्त्तव्य होगा कि ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज प्रेषित की जाए।

fVIi.kh

m0 i0 l:'kk/ku& यह धारा रजिस्ट्रार को एक अन्य शक्ति प्रदत्त करती है जो अभी तक केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उसे अभिव्यक्त रूप में प्रदत्त नहीं की गई थी। इस शक्ति के न होने पर, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के सम्बन्ध में पर्याप्त और विश्वसनीय सूचना एकत्र नहीं कर सकता था अथवा वह कोई ऐसा दस्तावेज प्राप्त नहीं कर सकता था जिसे रजिस्ट्रार सोसाइटी के कामकाज के सम्बन्ध में अपेक्षित करता हो। तथापि, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी से कोई ऐसा दस्तावेज सम्प्रेषित करने के लिए कह सकता है जो कि रजिस्ट्रार सोसाइटी द्वारा दाखिल किये गये किन्हीं दस्तावेजों अथवा उसके कामकाज के सम्बन्ध में वह अपेक्षित करे।

रजिस्ट्रार द्वारा अध्यपेक्षा की तामील की तिथि से कम से कम दो सप्ताह की समय–सीमा अनुज्ञात की जायेगी। ऐसी अध्यपेक्षा की तामील होने पर सभापति, सचिव अथवा कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति कर्तव्यबद्ध हो जायेगा कि अपेक्षित सूचना अथवा दस्तावेज भेज दिये जाएँ।

23- y:[kk&ijh{kk& (1) धारा 4 की उपधारा (2) अथवा धारा 22 के उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ रजिस्ट्रार की यह राय है कि ऐसा किया जाना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहाँ वह लिखित रूप से आदेश देकर किसी सोसाइटी से किसी विशिष्ट वर्ष से सम्बन्धित अपना लेखा अथवा प्राप्ति और व्यय के विवरण की एक प्रति, जिसे एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से सम्परीक्षित किया गया हो, प्रेषित करने की अपेक्षा कर सकता है :

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार, सोसाइटी के अनुरोध पर उसे ऐसे लेखा और विवरण को उसके द्वारा अनुमोदित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्परीक्षा कराने की उसे अनुमति प्रदान कर सकता है।

(2) यदि सोसाइटी उपधारा (1) में सन्दर्भित दस्तावेजों को उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जैसा कि रजिस्ट्रार समय–समय पर अनुमति प्रदान करे, प्रेषित करने में विफल होती है तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के उक्त वर्ष से सम्बन्धित लेखा की लेखा–परीक्षा करवा सकता है और ऐसी लेखा–परीक्षा का खर्च उस सोसाइटी से वसूल सकता है।

(3) यदि सोसाइटी उपधारा (2) के अधीन लेखा–परीक्षा किए जाने के लिए अपने लेखा अथवा अन्य दस्तावेज को उपलब्ध कराने से उपेक्षा अथवा इंकार करती है, अथवा रजिस्ट्रार की राय में, लेखा–परीक्षा करने के लिए सम्यक् व्यय के साथ अपेक्षित अन्यथा सहूलियतें प्रदान करने में विफल होती है, तो रजिस्ट्रार धारा 24 के अधीन कार्रवाई करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है। (1975 का उ0 प्र0 अधिनियम सं0 62)।

jkT; l:'kk/ku

mRrj izn'k& 1975 का उ0 प्र0 अधिनियम सं0 52 की धारा 12 द्वारा – देखें टिप्पणी–1, धारा 21।

^^23- y:[kk&ijh{kk& (1) धारा 4 की उपधारा (2) अथवा धारा 22 के उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ रजिस्ट्रार की यह राय है कि ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह लिखित रूप से आदेश देकर किसी सोसाइटी से किसी विशिष्ट वर्ष से संम्बन्धित अपना लेखा अथवा प्राप्ति और व्यय के विवरण की एक प्रति, जिसे एक चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सम्यक् रूप से सम्परीक्षित किया गया हो, प्रेषित करने की अपेक्षा कर सकता है।

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार, सोसाइटी के अनुरोध पर, उसे ऐसे लेखा और विवरण को उसके द्वारा अनुमोदित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्परीक्षा कराने की उसे अनुमति प्रदान कर सकता है।

(2) यदि सोसाइटी उपधारा (1) में सन्दर्भित दस्तावेजों को उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जैसा कि रजिस्ट्रार समय–समय पर अनुमति प्रदान करे, प्रेषित करने में विफल होती है, तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के उक्त वर्ष से सम्बन्धित लेखा की लेखा–परीक्षा करवा सकता है और ऐसी लेखा–परीक्षा का खर्च उस सोसाइटी से वसूल सकता है।

(3) यदि सोसाइटी उपधारा (2) के अधीन लेखा–परीक्षा किये जाने के लिए अपने लेखा अथवा अन्य दस्तावेज को उपलब्ध कराने से उपेक्षा अथवा इंकार करती है, अथवा रजिस्ट्रार की राय में लेखा–परीक्षा करने के लिए, सम्यक् व्यय के साथ अपेक्षित अन्यथा सहूलियतें प्रदान करने में विफल होती हैं, तो रजिस्ट्रार धारा 24 के अधीन कार्रवाई करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है।

fVIi.kh

m0 i0 l'kks/ku& यह धारा रजिस्ट्रार को अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदत्त करती है और वह कतिपय परिस्थितियों में किसी सोसाइटी से अपने लेखा और प्राप्ति और व्यय के विवरण की एक प्रति किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सम्यक् रूप से सम्परीक्षित कराके सम्प्रेषित करने के लिए अपेक्षित कर सकता है। यदि सोसाइटी सम्यक् रूप से सम्परीक्षित लेखा रजिस्ट्रार को उसके द्वारा अनुज्ञात की गई समय–सीमा के भीतर सम्प्रेषित करने में विफल होती है तो रजिस्ट्रार स्वयं ही लेखों की सम्परीक्षा करवा सकता है, इस अधिनियम (उ0 प्र0 संशोधन) की धारा 24 के अधीन कार्यवाही कर सकता है अर्थात् सोसाइटी के कामकाज का अन्वेषण करवा सकता है, बाद में धारा 12–घ (उ0 प्र0 संशोधन) के अधीन कार्यवाही कर सकता है अर्थात् सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकता है अथवा विधि के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा धारा 13–ख (उ0 प्र0 संशोधन) के अधीन सोसाइटी का विघटन करवा सकता है।

24- fdlh lkslkbVh dk dkedkt dk vUos"k.k& (1) जहाँ धारा 22 के अधीन अथवा अन्यथा प्राप्त सूचना पर, अथवा धारा 23 की उपधारा (3) में सन्दर्भित परिस्थितियों में रजिस्ट्रार की यह राय है कि यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के कामकाज का संचालन इस तरह से किया जा रहा है कि सोसाइटी के उद्देश्य विफल हो रहे हैं अथवा कि सोसाइटी अथवा उसका शासी निकाय जिसका कोई भी नाम हो सकता है, अथवा कोई अधिकारी जो सोसाइटी का वास्तविक प्रभावी नियंत्रण रखता हो,उसके कामकाज का कुप्रबन्ध करने अथवा वैश्वासिक अथवा अन्य सदृश बाध्यताओं के किसी भंग का दोषी है, तो रजिस्ट्रार या तो इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के माध्यम से सोसाइटी के कामकाज का निरीक्षण अथवा अन्वेषण अथवा सोसाइटी द्वारा प्रबन्धित किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है।

(2) रजिस्ट्रार अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रकार अपेक्षा किए जाने पर सोसाइटी के प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी लेखा पुस्तक और सोसाइटी के अन्य अभिलेख अथवा उससे सम्बन्धित अभिलेख, जो उसकी अभिरक्षा में हों, को प्रस्तुत करे और ऐसे निरीक्षण अथवा अन्वेषण के सम्बन्ध में हर तरह की मदद करे।

(3) रजिस्ट्रार अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति सोसाइटी के कामकाज के सम्बन्ध में सोसाइटी के किसी अधिकारी, सदस्य अथवा कर्मचारी को बुला सकता है और शपथ के आधार पर उसका परीक्षण कर सकता है और बुलाए जाने पर प्रत्येक अधिकारी, सदस्य अथवा कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे परीक्षण के लिए उसके समक्ष उपस्थित हों।

(3–अ) रजिस्ट्रार अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति, यदि उसकी राय में निरीक्षण अथवा अन्वेषण के प्रयोजन के लिए ऐसा जरूरी है, तो सोसाइटी की लेखा–पुस्तिका सहित कोई अथवा सभी अभिलेखों का अभिग्रहण कर सकता है।

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से ऐसे अभिलेखों को अभिग्रहण किया जाता है ऐसे अभिलेखों की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में उसकी प्रतियाँ बनाने का हकदार होगा।

(4) निरीक्षण अथवा अन्वेषण, जैसा कि मामला हो, की समाप्ति पर निरीक्षण अथवा अन्वेषण के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, यदि कोई हो, अपने निरीक्षण अथवा अन्वेषण के परिणाम के बारे में रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट देगा।

(5) ऐसे निरीक्षण अथवा अन्वेषण के बाद रजिस्ट्रार सोसाइटी को यथा–विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर किन्हीं कमियों अथवा अनियमितताओं को दूर करने के लिए ऐसा निर्देश दे सकता है, जैसा कि वह

उचित समझे और ऐसे निर्देश के अनुसार कार्रवाई करने में की गई चूक की स्थिति में, रजिस्ट्रार द्वारा धारा 12–घ अथवा 13–ख, जैसा कि मामला हो, के अधीन कार्रवाई करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है।

jkT; l'kks/ku

mRrj izns'k& (1975 का उ0 श्प्र0 अधिनियम सं0 52 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित या अन्तः स्थापित अथवा प्रभावी)।

"24- fdlh lkslkbVh ds dkedkt dk vUos"k.k& (1) जहाँ धारा 22 के अधीन अथवा अन्यथा प्राप्त सूचना पर, अथवा धारा 23 की उपधारा (3) में सन्दर्भित परिस्थितियों में, रजिस्ट्रार की यह राय है कि यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के कामकाज का संचालन इस तरह से किया जा रहा है कि सोसाइटी के उद्देश्य विफल हो रहे हैं अथवा कि सोसाइटी अथवा उसका शासी निकाय जिसका कोई भी नाम हो सकता है अथवा उसका कोई अधिकारी जो सोसाइटी का वास्तविक नियंत्रण रखता हो, उसके कामकाज का कुप्रबन्ध करने अथवा वैश्वासिक अथवा अन्य सदृश्य बाध्यताओं के किसी भंग का दोषी है, तो रजिस्ट्रार या तो स्वयं या तो इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के माध्यम से सोसाइटी के कामकाज का निरीक्षण अथवा अन्वेषण अथवा सोसाइटी द्वारा प्रबन्धित किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है।

(2) रजिस्ट्रार अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रकार अपेक्षा किये जाने पर सोसाइटी के प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी लेखा–पुस्तक और सोसाइटी के अन्य अभिलेख अथवा उससे सम्बन्धित अभिलेख, जो उसकी अभिरक्षा में हों, को प्रस्तुत करे और ऐसे निरीक्षण अथवा अन्वेषण के सम्बन्ध में हर श्तरह की मदद करे।

(3) रजिस्ट्रार अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति सोसाइटी के कामकाज के सम्बन्ध में सोसाइटी के किसी अधिकारी, सदस्य अथवा कर्मचारी को बुला सकता है और शपथ के आधार पर उसका परीक्षण कर सकता है, और बुलाए जाने पर प्रत्येक अधिकारी, सदस्य अथवा कर्मचारीका यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे परीक्षण के लिए उसक समक्ष उपस्थित हो।

(3–अ) रजिस्ट्रार अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति, यदि उसकी राय में निरीक्षण अथवा अन्वेषण के प्रयोजन के लिए ऐसा जरूरी है, तो सोसाइटी की लेखा पुस्तिका सहित कोई अथवा सभी अभिलेखों का अभिग्रहण कर सकता है।

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से ऐसे अभिखों को अभिग्रहण किया जाता है, ऐसे अभिलेखों की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में उनकी प्रतियाँ बनाने का हकदार होगा।

(4) निरीक्षण अथवा अन्वेषण, जैसा कि मामला हो, की समाप्ति पर, निरीक्षण अथवा अन्वेषण के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त व्यक्ति; यदि कोई हो, अपने निरीक्षण अथवा अन्वेषण के परिणाम के बारे में रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट देगा।

(5) ऐसे निरीक्षण अथवा अन्वेषण के बाद रजिस्ट्रार, सोसाइटी को अथवा उसके शासी निकाय को अथवा उसके किसी अधिकारी को, यथा–विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर किन्हीं कमियों अथवा अनियमितताओं को दूर करने के लिए ऐसा निर्देश दे सकता है, जैसा कि वह उचित समझे और ऐसे निर्देश के अनुसार कार्रवाई करने में की गई चूक की स्थिति में, रजिस्ट्रार धारा 12–घ अथवा धारा 13–ख, जैसा कि मामला हो, के अधीन कार्रवाई करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है।"

m0 i0 l'kks/ku& जहाँ कोई सोसाइटी–

- इस तरह से संचाति की जाती है कि सोसाइटी के उद्देश्य विफल होते हों; अथवा
- कुप्रबन्धित होती है; अथवा
- सोसाइटी के किसी अधिकारी द्वारा

(i) वैश्वासिक भंग; अबथवा

(ii) सदृश बाध्यताओं के भंग द्वारा क्षतिग्रस्त होती है;

– वहाँ रजिस्ट्रार को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह;
– सोसाइटी के कामकाज;
– अन्वेषण; अथवा
– सोसाइटी के किसी संस्था का निरीक्षण करे;
– शपथ के आधार पर सोसाइटी के किसी अधिकारी, सदस्य अथवा कर्मचारी का परीक्षण करने के लिए उसे बुलाए।
– सोसाइटी के लेखा–पुस्तक सहित किन्हीं अथवा सभी अभिलेखों का अभिग्रहण करे।
– किसी कमी या अनियमितता को दूर करने के लिए कोई निर्देश दे, जिसे न करने पर रजिस्ट्रार धारा 12–घ अथवा 13–ख के अधीन कार्यवाही कर सकता है।

25- inkf/kdkfj;ksa ds pquko ls lEcfU/kr fookn& [1]((1) विहित प्राधिकारी रजिस्ट्रार द्वारा अथवा उ0 प्र0 में रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के कम से कम एक–चौथाई सदस्यों द्वारा सन्दर्भन किए जाने पर, ऐसी सोसाइटी के पदाधिकारी के चुनाव अथवा उसके पद पर बने रहने से सम्बन्धित किसी संशय अथवा विवाद की सुनवाई कर सकता है और सारभूत ढंग से निर्णय कर सकता है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

परन्तु यह कि किसी पदाधिकारी का चुनाव अपास्त कर दिया जाएगा जहाँ विहित प्राधिकारी यह सन्तुष्ट हो जाता है कि–

(क) कि ऐसे पदाधिकारी द्वारा कोई ट्रस्ट आचारण किया गया है; अथवा

(ख) कि किसी उम्मीदवार का नामांकन अनुचित ढंग से अस्वीकार किया गया है; अथवा

(ग) कि चुनाव का परिणाम, जहाँ तक कि वह ऐसे पदाधिकारी से सम्बन्ध रखता है, नाम निर्देशन का अनुचित प्रतिग्रहण द्वारा अथवा किसी मत का अनुचित ग्रहण, इंकार अथवा अस्वीकृति द्वारा अथवा किसी ऐसे मत को ग्रहण करके जो कि शून्य है अथवा सोसाइटी के किन्हीं नियमों के उपबन्धों का कोई अनपुपालन करके तात्विक रूप से प्रभावित किया गया है।[2]

Li"Vhdj.k&A& किसी व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण किया हुआ समझा जाएगा जो प्रत्यक्षतः या परोक्षतः स्वयं द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा–

(i) कपट, साशय दुर्व्यपदेशन, प्रपीड़न अथवा क्षति की धमकी द्वारा किसी मतदाता को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने या किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने से विरत होने अथवा किसी व्यक्ति को किसी चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने अथवा खड़ा न होने अथवा अपना नाम वापस लेने अथवा वापस न लेने के लिए उत्प्रेरित करता है अथवा उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है;

(ii) किसी मतदाता को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने अथवा मतदान से विरत करने के लिए उत्प्रेरित करने की, अथवा किसी व्यक्ति को किसी चुनाव में खड़ा होने अथवा खड़ा न होने अथवा अपना नाम वापस लेने अथवा वापस न लेने के लिए उत्प्रेरित करने की दृष्टि से कोई धन अथवा मूल्यवान प्रतिफल अथवा कोई स्थान या रोजगार का प्रस्ताव करता है या देता है, अथवा व्यष्टिगत फायदा अथवा किसी व्यक्ति के लाभ का कोई आश्वासन देता है;

(iii) खण्ड (i) और खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट कार्यों में से किसी को किए जाने को (भारतीय दण्ड संहिता के अर्थ के भीतर) दुष्प्रेरित करता है;

(iv) किसी उम्मीदवार अथवा मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है अथवा उत्प्रेरित करने के लिए प्रयास करता है कि वह अथवा कोई व्यक्ति जिसमें वह हितबद्ध हो, दैवी अप्रसाद अथवा आध्यात्मिक परिनिन्दा की वस्तु बन जाएगा या हो जाएगा;

(v) जाति, समुदाय, पंथ या धर्म के आधार पर संयाचना करता है;

(v) ऐसा अन्य आचरण करता है जिसे राज्य सरकार भ्रष्ट आचरण होने के लिए विहित करे।

Li"Vhdj.k& II& व्यष्टिगत फायदा या किसी व्यक्ति को लाभ के आश्वासन में वह आश्वासन भी शामिल है जो उस व्यक्ति स्वयं को लाभ के लिए, अथवा किसी उस व्यक्ति जिसमें वह हितबद्ध हो, को लाभ के लिए दिया जाए।

Li"Vhdj.k& III& (1) राज्य सरकार ऐसे चुनाव के सम्बन्ध में संशयों अथवा विवादों के बारे में सुनवाई करने और निर्णय देने की प्रक्रिया विहित कर सकती है और ऐसे चुनावों से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के बारे में प्रावधान बना सकती है जिसके लिए इस अधिनियम में अथवा सोसाईटी के नियमों में अपर्याप्त उपबन्ध विद्यमान हैं।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा, कोई चुनाव अपास्त कर दिया जाता है अथवा किसी प्राधिकारीका हक अपने पद पर बने रहने के लिए नहीं रह जाता है अथवा जहाँ रजिस्ट्रार यह सन्तुष्ट हो जाता है कि किसी सोसाइटी के पदाधिकारियों का कोई चुनाव उस सोसाइटी के नियमों में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर नहीं कराया गया है, तो वह ऐसे पदाधिकारी अथवा पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए ऐसी सोसाइटी के साधारण निकाय की एक बैठक बुला सकता है और ऐसी बैठक का रजिस्ट्रार अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सभापतित्व किया जाएगा और उसे संचालित किया जाएगा, और बैठकों और चुनावों से संबंधित सोसाइटी के नियमों में विद्यमान उपबन्ध आवश्यक उपान्तरों के साथ ऐसी बैठक और चुनाव पर लागू होंगे।

(3) जहाँ उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा कोई बैठक बुलाई जाती है, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो सोसाइटी का पदाधिकारी होने का दावा करता हो, चुनाव के प्रयोजन लिए कोई अन्य बैठक नहीं बुलाई जाएगी।

Li"Vhdj.k& इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''विहित प्राधिकारी'' अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है कोई अधिकारी अथवा न्यायालय जिसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित करके अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए।

26- vuqikyu fd;k tkus okyk nku dk fucU/ku& जहाँ कोई सोसाइटी किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति से कोई दान अथवा धन या किसी तरह की सम्पत्ति अधिग्रहीत करती है, तो यह दान में दिए गए या संदान किए गए किसी धन अथवा अन्य सम्पत्ति या उसके किसी भाग का उपयोग रजिस्ट्रार की लिखित सम्मति के बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगी, जो (रजिस्ट्रार) यह सन्तुष्ट हो जाने पर ही कि वह प्रयोजन जिसके लिए दान दिया गया था सोसाइटी द्वारा निष्पादन किए जाने के लिए अशक्य है, पर ही सम्मति देगा अन्यथा उसे देने से इंकार कर देगा।

27- 'kkfLr;k& कोई व्यक्ति जो–

(क) प्रबन्ध निकाय की सूची या धारा 4 के अधीन अथवा धारा 4–क के अधीन सम्प्रेषित किए जाने के लिए अपेक्षित कोई अन्य सूचना सम्प्रेषित करने में विफल होता है अथवा उक्त धारा 4 अथवा धारा 4–क के अधीन रजिस्ट्रार को भेजी जाने वाली सूची में अथवा उससे, अथवा नियमों के अथवा नियमों के परिवर्तन के किसी विवरण अथवा प्रति अथवा अन्य सूचना में अथवा उससे जान–बूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि अथवा लोपन करता है अथवा करवाता है;

(ख) धारा 23 की उपधारा (1) में सन्दर्भित किसी लेखा अथवा विवरण को जान–बूझकर नहीं भेजता अथवा उक्त धारा का अनुपालन करते हुए ऐसी प्रविष्टियाँ सम्प्रेषित करता है तो मिथ्या है और जिसे वह या तो जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, अथवा यह विश्वास नहीं करता है कि वे सत्य हैं;

(ग) धरा 23 की उपधारा (2) द्वारा यथा–अपेक्षित अपने लेखा अथवा अन्य दस्तावेजों को लेखा–परीक्षा के लिए उपलब्ध करने की अपेक्षा करता है अथवा उसे इंकार करता है;

(घ) धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा यथा–अपेक्षित किसी लेखा–पुस्तिका अथवा अन्य अभिलेखों को जान–बूझकर प्रस्तुत नहीं करता है;

(ड.) रजिस्ट्रार के समक्ष अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति के समक्ष जान–बूझकर उपस्थित नहीं होता अथवा धारा 24 की उपधारा (3) के उपबन्धों का अन्यथा उल्लंघन करता है; वह जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जिसे दो हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है।

28- ifØ;k& इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायालय से अवर किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा और रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा इस निमित्त साधारण अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत किए जाने पर ही ऐसे अपराध का संज्ञान किया जाएगा अन्यथा नहीं।

29- vijk/kksa dk 'keu& (1) रजिस्ट्रार किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने धारा 27 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है अथवा जिसके विरूद्ध उस धारा के अधीन एक अभियोजन संस्थापित किया गया है, उस अपराध के लिए समन फीस के रूप में कोई धनराशि अभिग्रहण कर सकता है जिसके बारे में ऐसे व्यक्ति पर संदेह किया गया है अथवा जिसे उसके द्वारा किए जाने के लिए अभिवाक् किया गया है।

(2) ऐसी समन फीस की अदायगी करने पर, संदिग्ध व्यक्ति यदि वह अभिरक्षा में है, तो उन्मोचित कर दिया जाएगा और उसके विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, और यदि ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अभियोजन संस्थापित किया गया है तो यह समन उसकी दोषमुक्त का प्रभाव रखेगा।

30- Qhl dh vnk;xh dk rjhdk& इस अधिनियम के अधीन संदेय फीस ऐसे तरीके से संदत्त की जाएगी जैसा कि नियमों में विहित किया जाए।

31- {kfriwfrZ& सद्भावपूर्वक किए गए अथवा इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आशयित किए गए कार्य के लिए, राज्य सरकार के विरूद्ध, रजिस्ट्रार अथवा धारा 24 के अधीन निरीक्षण अथवा अन्वेषण के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही ग्रहण नहीं की जाएगी।

32- jftLVªkj }kjk ukfVl vkfn rkehy dju dk <x& (1) रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाने वाला किसी सोसाइटी अथवा उसके शासी निकाय से सम्बन्धित कोई नोटिस, आदेश अथवा अध्यपेक्षा उस सोसाइटी के सचिव को तामील किया जा सकता है, और सचिव को इस प्रकार से तामील किया जाना उसी तरह से प्रभावी होगा मानों उसे, उस सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य अथवा जैसा कि मामला हो, उसके शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य को तामील किया गया हो, जब तक कि रजिस्ट्रार अन्यथा निर्देशित न करे।

(2) ऐसे नोटिस, आदेश अथवा अध्यपेक्षा को सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसके सचिव को प्रेषित किया जाना, उसका सोसाइटी को पर्याप्ततः तामील किए जाने के समान होगा।

33- fu;eksa dk cukus dh 'kfDr& (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना करके इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों को बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, उन्हें बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों में, जब उनका सत्र चल रहा हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए, जो उसके एक अथवा एक से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित हो, रखे जाएँगे और जब तक कि कोई पश्चातवर्ती तिथि नियत न की जाए, और ऐसे उपान्तरण में अथवा बालितीकरणों के अधीन रहते हुए, जैसा कि विधान मण्डल के दोनों सदनों, उक्त अवधि के दौरान करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई ऐसा उपान्तरण अथवा बालितीकरण उसके अधीन पहले किए गए किसी कार्य की वैधता

पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया हो, उन्हें राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तिथि से, प्रभावी होंगे।

&&&0&&&

[The] Societies Registration Act, 1860
[Act 21 of 1860][1]
An Act for the Registration of Literary, Scientific And charitable societies

Preamble- Whereas it is expedient that provision should be made for improving the legal condition of societies established for the promotion of literature, science or the fine arts, or for the diffusion of useful knowledge. [2][the diffusion. of political education] or for the charitable purposes. It is enacted as follows-

1- Societies formed by memorandum of association and registration. - Any seven or more persons associated for any literary, scientific or charitable purpose, or for any such purpose as is described in Section 20 of the Act, may. by subscribing their names to a memorandum of association, and filing the same with the Registrar of Joint Stock Companies [3][***], form themselves into a society under this Act.

State Amendments

[4]**[U.P. -** Substitute the word 'Registrar' for the words "Registrar of Joint Stock Companies" w.e.f. 25-08-1958.

2- Memorandum of association.- the memorandum of association shall contain the following things (that is to say)-

the name of the society;

the objects of the society;

the names, addresses and occupations of governors, council, directors, committee, or other governing body to whom by the rules of the society, the management of its affairs is entrusted.

A copy of the rules and regulations of the society, certified to be a correct copy by not less than three of the members of the governing body, shall be filed with the memorandum of association.

3- Registration and fees.- Upon such memorandum and certified copy being filed, the Registrar shall certify under his hand that the society is registered under this Act there shall be paid to the Registrar for every such registration a fee of fifty rupees, or such smaller fee as the State Government may, from time to time, direct; and all fees so paid shall be accounted for to the State Government.

1- The Indian Short Titles Act, 1897 {Act No. 14 of 1897} has given this short title of this Act.

2- Words added- See Societies Registration {Amendment} Act, 1927 {Act No 22 of 1927}.

3- Words and figures "under Act No. 19 of 1857" were earlier existing at this place- Stand deleted by Section 1 of the Repealing Act, 1874{Act No 16 of 1974}read with Schedule Part I.

4- Section 2 of U.P. Act No 25of 1958.

State Amendments

[1][**U.P.-** (a) Section 3 replaced by new Sections 3 and 3-A w.e.f. 10-10-1975 as under-]

"3. (1) Upon such memorandum and certified copy being filed along with particulars of the address of the society's office which shall be in registered address, by the Secretary of the Society on behalf of the persons subscribing to the memorandum, the Registrar shall certify under his hand that the society is registered under this Act. There shall be paid to the Registrar for every such registrations a fee of [2][one thousand rupees] [or such smaller fee as the State government may notify in respect of any class societies][3]

[4][Provided that the State Government may, by notification in the official Gazette, increase form time to time the fee payable under this sub-section:

Provided further that the Registrar may, in his discretion, issue public notice or issue notices to such persons as he thinks fit inviting objections, if any against the proposed registration and consider all objections that may be received by him before registering the society.]

(2) Notwithstanding anything in sub-section (1) the Registrar shall refuse to register a society, if after giving it an opportunity of showing cause against such refusal, he is satisfied that-

(a) the name of the society is identical with that of any other society previously registered under this Act;

(b) the name of the society sought to be registered uses any of the words, namely, 'Union' , 'State', 'Land Mortgage', 'Land Development', 'Co-operative', Gandhi', ' Reserve Bank' or any words expressing or implying the sanction, approval or patronage of the Central or any State Government, or any word which suggests or is calculated to suggest any connection with any local authority or any corporation or body constituted by or under any law for the time being in force or is such as is otherwise likely to deceive the public or the members of any other society previously registered under this Act;

1- Section 2 of U.P. Act No. 52 of 1975 (w.e.f. 10-18-1975).
2- Subs. By U.P. Act No. 08 of 2000, Section 2 (w.e.f. 25-11-1999) for the words ""five hundred rupees."
3- Section 3 of of U.P. Act No. 13 of 1978(w.e.f. 27-02-1978).
4- Subs. By U.P. Act No. 08 of 2000, Section 3 (w.e.f. 25-11-1999).

(c) any one or more of the objects of the society sought to be registered is not an object mentioned in Sections 1 and 20; or

(d) its objects are contrary to any other law for the time being in force.

Now for the existing Explanation, the following proviso has bees substituted which is deemed always to have been so substituted-

"Provided that the State Government may in exceptional circumstances, for reasons to be recorded permit a society to use the word 'Union' or the word 'Gandhi' in its name, and thereupon, the use of that word in the name of the society shall not be a ground for refusal to register or to renew the certificate of registration of such society."[1]

'3-A *Renewal of certificate of registration,- (1)* Subject to the provisions of sub-section (2), a certificate of registration issued under Section 3 shall remain in force for a period of two years from the date of issue:

Provided that a certificate issued before the commencement of the Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1984 (hereinafter in this Section referred to as the said Act), shall remain in force for a period of five years from the date of such commencement of the difference of the fees specified under sub-section (3) and the fees already paid.][2]

(2) A Society registered under Section 3, whether before or after the commencement of the said Act, shall on application made to the Registrar within one month of the expiration of the period referred to in sub-section (1) and on payment of the fee specified in sub-section (2), be entitled to have its certificate of registration renewed for [3][five years] at a time:

Provided that in the case of a society registered before the commencement of the said Act, the Registrar shall refuse to renew the certificate of registration if after giving it an opportunity of showing cause against such refusal, he is satisfied that any of the grounds mentioned in sub-section(2) of Section 3 exist in respect thereof.

(3) There shall be paid to the Registrar with every application for renewal of the certificate of registration.-

(a) [4][a fee equal to the registration fee payable under Section 3 or rupees two hundred, whichever is less, if such application is filed within the period specified in sub-section(2);

Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, increase from time to time the fee payable under this clause subject to the condition that the fee so increased shall not exceed the registration fee payable under-section 3;

1- Section 2 of U.P. Act No. 26 of 1979 (w.e.f. 16-07-1979).
2- Section 3 of U.P. Act No. 11 of 1984 (w.e.f. 30-04-1984).
3- Section 2 of U.P. Act No. 20 of 1979.
4- Subs. By U.P. Act No. 08 of 2000 (w.e.f. 25-11-1999)

(b) an additional fee of forty rupees or such higher fee not exceeding one fifth of the fee payable under clause (a) as may be notified by the State Government, if such application is filed within one month of the date of expiration of the period specified in sub-section (2); and

(c) an additional fee at the rate of twenty rupees per month or part therefore, or such higher additional fee per month not exceeding half of the additional fee payable under clause (b) as may be notified by the State Government, if such application is filed beyond one month of the expiration of the period specified in sub-section(2).]

[(4) Every application for renewal of the certificate shall be accompanied by a list of members of the managing body elected after the registration of the society or after the renewal of certificate of registration and also the certificate sought to be renewed unless dispensed with by the Registrar on the ground of its loss or destruction or other sufficient cause].

(5) A society which fails to get it was certificate of registration renewed in accordance with this section within one year from the expiration of the period for which the certificate was operative shall become an unregistered society:

Provided that the Registrar may, for sufficient cause allow an application for renewal more then one year after the expiration of the period for which the certificate was operative on payment of a fee of 1[four hundred rupees or such higher fee not exceeding ten times of the additional fee payable under clause (b) of sub-section (3), as may be notified by the State Government from time to time:]

(6) Where a certificate of registration is renewed in accordance with sub-section (2) or sub-section (5) such renewal shall operate from the date of expiration of the period for which the certificate was operative."

(b) New Section 3-B. added w.e.f. 16-07-1979 as under -

"3-B *Reference to the State Government*- If any question arises whether any society is entitled to get itself registered in accordance with Section 3 or to get its certificate of registration renewed in accordance with Section 3-A, the matter shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government there on shall be final".

4- Annual list of managing body to be filed. - Once in every year, on or before the fourteenth day succeeding the day on which according the rules of the society, the annual general meeting of the society is held, or, if the rules do not provide for an annual general meeting, in the month of January, a list shall be filed with the Registrar of Joint- stock Companies, of the names, addresses, or other governing body then entrusted with the management of the affairs of the society.

1- Subs. By U.P. Act No. 08 of 2000, Section 3 (w.e.f. 25-11-1999) for the words (two hundred rupees).

State Amendments

1[**U.P.-** In 1958, the word "Regular" was substituted, for the words "Registrar of Joint Stock Companies" w.e.f. 25-08-1958.

In 1975, the main Section 4 was renumbered as sub-section (1) and after this renumbering a new sub-section (2) and Section 4-A were added,2 w.e.f. 10-10-1975

"(2) Together with list mentioned in sub-section (1) there shall be sent to the registrar a copy of the memorandum of association including any alteration, extension, or abridgment of purposes made under Section 12, and the rules of the society corrected up to date and certified by not less than three of the members of the said governing body to be a correct copy and also a copy of the balance sheet for the proceeding year of account"

"Section 4-A, Changes etc. in rules to be intimated to Registrar- A copy of every change if made in rules of the society and intimation of every change of address of the society certified by not less than three of the members of the governing body shall be sent to the registrar within thirty days of the change."

In 1984, a Proviso to sub-section(1) was added w.e.f. 30-04-1984.3.

5- Property of society how vested,- The Property, movable and immovable, belonging to a society registered under this Act, if not vested in trustees, shall be deemed to be vested, for the time being, in the governing body of such society, and in all proceeding, civil and criminal, may be described as the property of the governing body of such society by their proper title.

1- Section 2 of U.P. Act No. 25 of 1958.
2- Section 4 of U.P. Act No. 52 of 1975 (w.e.f. 10-10-1975).
3- Section 4 of U.P. Act No. 11 of 1984 Section 4.(w.e.f. 30-04-1984).

State Amendments

1[**U.P.**- Add new section 5-A w.e.f. 6-7-1979 as under:-

"5-A Restriction on transfer of Property- (1) notwithstanding anything contained in any law, contract or other instrument to the contrary, it shall not be lawful for the governing body of a society registered under this Act or any of its members to transfer, without the previous approval of the court, any immovable property belonging to such society.

(2) Every transfer made in contravention of sub-section (1) shall be void."

Explanation I,- The word 'Court" shall have the meaning assigned to it in Section 13.

Explanation II,- The expression 'transfer' shall for the purposes of this section mean-

(a) a mortgage, charge, sale, gift, or exchange;

(b) Lease for term exceeding five years; or

(c) "Irrevocable license." - U.P. Act No. 26 of 1979, section 4 (16-07-1979)

6- Suits by and against societies.- Every society registered under this Act may sue or be sued in the name of the president chairman, or principal secretary, or trustees, as shall be determined by the rules regulations of the society, and, in default of such determination, in the name of such person as shall be appointed by the governing body for the occasion :

provided that it shall be competent for any person, having a claim or demand against the society, to sue the president or chairman, or principal, secretary or the trustees thereof, if on application to the governing body some other officer or person be not nominated to be the defendant.

7- Suit not to abate.- No suit or proceeding in any Civil Court shall abate or discontinue by reason of the person, by or against whom such suit or proceedings shall have been brought or continued, dying or ceasing to fill the character in the name whereof he shall have sued or been sued, but the same suit or proceeding shall be continued in the name of or against the successor of such person.

8- Enforcement of judgment against society.- If judgment shall be recovered against the person or officer named on behalf the society, such judgment shall not be put in force against the property movable or immovable, or against the body of such person or officer, but against the property of the society.

The application for execution shall set forth the judgment, the fact of the party against whom it shall have been recovered having sued or having been sued, as the case may be, on behalf of the society only and shall require to have the judgment enforced against the property of the society.

1- Section 4 of U.P. Act No. 26 of 1979 section 4 (16-07-1979).

State Amendments

9- Recovery of penalty accruing under bye-law- Whenever by any bye-law duly made in accordance with the rules and regulations of the society, or, if the rules do not provide for the making of bye-law, by any bye-law made at a general meeting of the members of the society convened for the purpose (for the making of which the concurrent votes of three -fifths of the members present at such meeting shall be necessary), any pecuniary penalty is imposed for the breach of any rule or bye-law of the society such penalty, when accrued, may be recovered in any Court having jurisdiction where the defendant shall reside, or the society shall be situate, as the governing body thereof shall deem expedient.

10- Members liable to be sued as strangers. - Any member who may be in arrear of a subscription which according to the rule of the society he is bound to pay, or who shall possess himself of or detain any property of the society in a manner or for a time contrary ot such rules, or shall injure or destroy any

property of the society, may be sued for such arrear or for the damage accruing from such dete3ntion injury, or destruction of the property, in the manner hereinbefore provided.

Recovery by Successful defendant of costs adjudged.

But if the defendant shall be successful in any suit or other proceeding brought against him at the instance of the society, and shall be adjudged to recover his costs, he may elect to proceed to recover the same from the officer in whose name the suit shall be brought, or from the society, and in the latter case shall have process against the property of the said society in the manner above described.

11- Members guilty of offences punishable as strangers.- Any member of the society who shall steal, purloin or embezzle any money or other property, or willfully and maliciously destroy or injure any property of such society, or shall forge any deed, bond, security for money, receipt, or other instrument, whereby the funds of the society may be exposed to loss, shall be subject to the same prosecution, and if convicted , shall be liable to be punished in like manner, as any person not a member would be subject and liable to in respect of the like offence.

12- Societies enabled to alter, extend, or abridge their purpose,- Whenever it shall appear to the governing body of any registered under this Act, which has been established for any particular purpose of proposes, that it is advisable to alter, extend, or abridge such purpose to or for other purposes within the meaning of this Act, or to amalgamate such society either wholly or partially with any other society, such governing body may submit the proposition to the members of the society in a written or printed report, and may convene a special meeting for the consideration thereof according to the regulations of the society; but no such proposition shall be carried into effect unless such report shall have been delivered or sent by post to every member or the society ten days previous to the special meeting convened by the governing body for the consideration thereof, nor unless such proposition shall have been agreed to by the votes of three-fifths of the members delivered in person or by votes of three-fifths of the members delivered in person or by proxy, and confirmed by the votes of three-fifths of the members present at a second special meeting convened by the governing body at an interval of one month after the former meeting.

U.P.- in U.P. the following new section 12-A, 12-B, 12-C and 12-D have been inserted by Section 6 of U.P. Act 52 of 1975, w.e.f. 10-10-1975:

"Section 12-A. Change of name,- Any society registered under this Act, may with the consent of not less than two thirds of the total number of its members, [and with the previous approval of the Registrar in writing] 1 Change its name by resolution passed at a general meeting convened for the purpose.

***12-B,* Notice of change of name or objects,** - (1) Notice in writing of every change of objects made under Section 12 or of name made under Section 12-A signed by the secretary and any three other members of the society be sent to the Registrar.

(2) Where the registrar is satisfied that the provisions of this act in respect of objects or name of society and in respect of change of objects or of name , as the case may be, have been complied with, he may subject to the provisions of Section 12-C register the change of name which shall have effect from the date of such registration.

12-C Effect of change of name or objects. - The change on the objects or name of a society shall not affect any rights or obligations of the society nor render defective any legal proceedings by or against the society, and any legal proceeding which might have been continued or commenced by or against AIR by its former name may be continued or commenced by or against it by its new name.

12-D Registrar's power to cancel registration in certain circumstance.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the registrar may, by order in writing cancel the registration of any society on any of the following grounds :

(a) that the registration of the society or of its name [is]2 contrary to the provisions of this Act or any other law for the time being in force;

(b) that its activities or proposed activities have been or are or will be subversive of the objects of the society or opposed to public policy;

3[(c) that the registration or the certificate of renewal has been obtained by misrepresentation or fraud] 4

Provided that no order of cancellation of registration any society shall be passed until the society has been given a reasonable opportunity of altering its name or object or of showing cause against the action opposed to be taken in regard to it.

5[(2) An appeal against an order made under sub-section (1) may be preferred to the Commissioner of the Division in whose jurisdiction the Headquarter of the Society lies, within one month from the date of communication of such order.

6[(3) The decision of the Commissioner under sub-section (2) shall be final and shall not be called in question in any court.]

13- Provision for dissolution of societies and adjustment of their affairs.- any number not less than three-fifths of the members of any society may determine that it shall be dissolved, and thereupon it shall be dissolved forthwith, or at the time then agreed upon, and all necessary steps shall be taken for the disposal and settlement of the property of the society, its claims and liabilities according to the rules of the said society applicable thereto, if any, and if not, then as the governing body shall find expedient, provided that, in the event of any dispute arising among the said governing body or the society, the adjustment of its agarics shall be referred to the principal Court of original civil Jurisdiction or the district in whi9ch the chief building of the society is situate ; and the Court shall make such order in the matter as it shall deem requisite :

Provided that no society shall be dissolved unless three-fifths of the members shall have expressed a wish for such dissolution by their vote delivered in person or by proxy, at a general meeting convened for the purpose.

Provided that 6[Whenever any Government] is a member of, or a contributor to, or otherwise interested in any society registered under this Act, such society shall not be dissolved. 7[Without the consent of Government of the State of registration]

1- Inserted by U.P. Act 26 of 1979 (w.e.f. 16-07-1979)
2- Substituted for the word "was" by of U.P. Act No. 26 of 1979, (w.e.f. 16-07-1979).
3- Added by U.P. Act 11 of 1984 (w.e.f. 30-04-1984)
4- Inserted by U.P. Act 11 of 1984 (w.e.f. 30-04-1984)
5- Inserted by U.P. Act 11 of 1984 (w.e.f. 30-04-1984)
6- Words "Whenever any Government" earlier existing here stand substituted by the present words (w.e.f. 01-04-1937) -see A.O. 1937.
7- Words "Without the consent of Government" earlier existing here stand substituted by the present words (w.e.f. 01-04-1937) - see A.O. 1937.

State Amendments

1[**U.P**. - (a) substitutes "registered office of the society" in place of "Chief building of the society" w.e.f. 10-10-1975.

(b) Add now Sections 13-A and 13-B w.e.f. 10-10-1975 as under.-

"13-A . Power of registration to apply for dissolution. - (1) Where in the opinion of Registrar, there are reasonable grounds to believe the respect of a society registered under this Act that any of the grounds mentioned in clauses (a0 to (e) of sub-section (10 of Section 13-B exists he shall send to the society, a notice calling upon it to show cause within such time as may be specified in this notice why the society be not dissolved.

(2) If on or before the date specified in the notice or within such extended period as the Registrar may allow, the society fails to show any cause or if the cause shown is considered by the Registrar to be unsatisfactory, the Registrar may move the Court referred to in Section 13 of making an order for the dissolution of the society.

13-B. ***Dissolution by Court.-*** (1) On the application of the Registrar under Section 13-A or under Section 24 or on an application made buy not less than one-tenth of the members of a society registered under this Act, the Court referred to in section 13 may make an order for the dissolution of the society on any of the following grounds, namely-

(a) that the society has contravened any provision of this Act or of any other law for the time being in force and it is just and equitable that the society should be dissolved;

(b) that the number of the members of the society is reduced below seven;
(c) that the society has ceased to function for more than three years proceeding the date of such application;
(d) that the society is unable to pay its debts or meet its liabilities ; or
(e) that the registration of the society has been cancelled under Section 12-D on the ground that its activities or proposed activities have been or are or will be opposed to public policy.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1) or of Section 12-D the court may, on an application of the District Magistrate in this behalf, make an order for the dissolution of a society on the ground that the activities of the society constitute a public nuisance of are otherwise opposed to public policy.

(3) When an order for the dissolution of a society is made under sub-section (1) or sub-section (2) all necessary steps for the disposal and the settlement of the property of the society, its claims and liabilities and any other adjustment of its affairs shall take place in manner as the Court may direct"

14- Upon a dissolution no member to receive profit.- If upon the dissolution of any society registered under this act there shall remain after the satisfaction of all its debts and liabilities any property whatsoever, the same shall not be paid to or distributed among the members of the said society or any of them nut shall be given to some other society, to be determined by the votes of not less than three-fifths of the members present personally or by proxy at the time of the dissolution, or in default thereof, buy such Court as aforesaid.

Clause not to apply to Joint-stock Companies.

Provided, however, that this clause shall not apply to any society which shall have been founded or established by the contribution of share-holders in the nature of, a Joint-Stock Companies.

1- Section 7 and 8 respectively of U.P.Act no. 52 of 1975.

1[U.P.- New Section 14-A added w.e.f. 08-02-1975]

14-a , *Disposal of property of a dissolved society,* - Notwithstanding anything contained in Section 14 It shall be lawful or the members of any society dissolved under Section 13 to determine by a majority of the vortex sot the members present personally or by proxy at the time of the dissolution of such society that any property whatsoever remaining after satisfaction of all the debts and liabilities wall be given to the government ot be utilized for any of the purposed referred to in Section i' UP Act 52 of 1975 . Section 9, (10-10-1975)

15- Member defined, Disqualified members- For the purpose of this Act a member of a society shall be a person who, having been admitted therein according the to rules and regulation, thereof ,members but in all proceedings under his Act no person shall be entitled to vote or be counted as a members whose subscription at the time shall have been in arrear for a period exceeding three months.

State Amendments

1[**U.P. -** Add new sub-section (2) after renumbering the original section as sub-section (1) w.e.f. 30-04-1984).

"(2) Every Society shall maintain a register of members giving such particulars as may be prescribed."

1- Section 6 of the U.P. Act No. 11 of 1984 (w.e.f. 30-04-1984).

16-Governing body defined, - The governing body of the society shall be the governors council, directors, committee, trustees, or other body to whom by the rules and regulations of the society the management of its affairs is entrusted.

State Amendments

1[**U.P. -** Add new section 16-A w.e.f. 10-10-1973 as under-

"16-A, Disqualification for holding office in society, A person who is an undercharged insolvent or who has been convicted of any offence in connection with the formation, promotion, management or conduct of the affairs of a society or of body corporate, or of an offence involving moral turpitude shall be disqualified for being chosen as, and for being member of the governing body or the President, Secretary, or any other officer- bearer of a society "

17- Registration of societies formed before Act. - Any company or society established for a literary, scientific or charitable purpose, and registered under the Act 43 of 1950, [2] or any such society established and constituted previously to the passing of this Act but not registered under the said Act 43 of 1850, may at any time her after be registered as a society under this Act; subject to the proviso that no such its being so registered has been given by three-fifths the members present personally, or by proxy, at some general meeting convened for that purpose by the governing body,

In the case of a company or society registered under Act 43 of 1850, the directors shall be deemed to be such governing body,/

In the case of a society not so registered, if no such body shall have been constituted on the establishment of the society, it shall be competent for the members thereof, upon due notice, to create for itself a governing body to act for the society thenceforth.

1- Section 10 of the U.P. Act NO. 52 of 1975.

2- Act 43 of 1850 namely the Joint Stock Companies Act 1850 - /stands replaced by Section 219 if the Indian Companies Act, 1866,- Latter Act of 1856 also stands replaced by the present Companies Act, 1956 (Act No. 1 of 1956.

Provided that no such company or society shall be registered under this Act unless an assent to its being so registered has been given by three-fifths meeting convened for the purpose by governing body.

In case of a company or society registered under the Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913), or the Companies Act, 1956(1 of 1958), the directors of the said company or society, as the case may, shall be deemed to be such governing body.

In the case of a society not so Registered, if no such body shall have been constituted on the establishment of the society, it shall be competent for the members thereof, upon due notice, to create for if self a governing body to act for the society thenceforth.

18- Such societies to file memorandum, etc., with Registrar of Joint Stock Companies,- In order to any such society as is mentioned in the last preceding section obtaining registry under this Act, it shall be sufficient that the governing body file with the Registrar of Joint Stock Companies [1][***] a memorandum showing the name of the society, the objects of the society, and the names, addressed and occupations of the governing body, together with a copy of the rules an registration of the society certified as provided in Section 1, and a copy of the report of the proceeding of the general meeting at which the registered was resolved on.

State Amendments

[2][U.P. - Words "Registration: substituted in place of "Registrar of joint Stock Companies " w.e.f. 25-08-1958.

19- Inspection of documents, Certified copies, - Any person may inspect all document files with the Registered under this Act on payment of a fee or one rupee for each inspection ; and any person may require a copy or extract of any documents or any part of any documents to be certified by the registrar on payment of two annas for every hundred words of such copy or extract and such certified copy shall be *prima facie* evidence of the matters therein contained in all legal proceedings whatever.

1- Words and figures "under Act 19 of 1857" earlier existing here- Stand deleted.

2- Section2 of the U.P. Act No. 25 of 1958.

State Amendments

1**[U.P. -** Words ' on payment of such fee as the State Government may, by notification in the official Gazette, fix' be substituted at two places, one for ' on payment of a fee of one rupee for each inspection; and at other place for 'or payment of two annas for every hundred words of such copy or extract, w.e.f. 06-10-1975.

20- To what societies to Act shall apply, - The following societies may be registered under this Act-

Charitable societies, the military orphan funds or societies established as the several presidencies of India, societies established for the promotion of science, literature or the fine arts, for instruction the diffusion or useful knowledge, 2[the diffusion of political education], the foundation or maintenance of libraries or reading- rooms for general use among he members or open to the public or public museums and galleries of paintings and other works of art, collection of natural hi9story, mechanical and philosophical inventions, instruments, or designs.

State Amendments

3[**U.P.-** Add words. "Khadi and village industry, Panchayat Industry, rural Development between "promotion of" and "science" w.e.f. 30-04-1984.

1- Section 11 of the U.P. Act NO. 52 of 1975.
2- Words Add- See Section 2 of the Societies Registration (Amendment) Act, 1927(Act no of 1927)
3- Section 07 of the U.P. Act NO. 11 of 1984.(w.e.f. 30-04-1984.)

Uttar Pradesh. - (A) New Section 21 added[1] w.e.f. 25-8-1958, but later the present Section 21 was substituted w.e.f. 16-7-1979.

"21. In this Act, the word 'Registrar' means a person appointed as such by the State Government, and includes an Additional Registrar, a Joint Registrar, Deputy Registrar, or Assistant Registrar, on whom all or any of the power of the Registrar under this Act are conferred by general or special order of the State Government.

(B) Later Sections 22 to 23 added[2] w.e.f 10-10-1975 as under-

"22. ***Power of Registrar to call for information.-*** (1) The Registrar may by written order, require any society to furnish in writing such information or document within such time, being ordinarily not less than two weeks from the date of receipt of the order by the society, as he may specify in the order in connection with the 'affairs of the society or any documents filed by the society under this Act.

(2) On receipt by the society of an order under sub-section (1), it shall be the duty of the President, Secretary or any other person authorized in this behalf to furnish such information or documents."

"23. ***Audit-*** Without prejudice to the provisions of sub-section (2) of the Section 4 or of Section 22, where the Registrar is of opinion that

1. Section 12 of U.P. Act 52 of 1975.
(a) Amended by Section 8 of U.P. Act no.11 of 1984 w.e.f. 30-4-1984
(b) Amended by Section 4 of U.P. Act No. 13 of 1978 w.e.f. 27-2-1978.
2. Section 3 of U.P. Act No. 25 of 1958 but later that added Section 21 was substituted by the present Section 21 vide Section 7 of U.P. Act No. 26 of 1979.

It is necessary or expedient so to do, he may, by written order, require any society to furnish its accounts or a copy of a statement of receipts and expenditure for any particular year duly audited by a Chartered Accountant:

Provided that the Registrar may, at the request of society permit it to have such accounts and statement audited by the other person approved by him.

(2) If the society fails to furnish the documents referred to in sub-section (1) within the period specified in the order or within such extended period as the Registrar may from time to time allow, the Registrar may cause the accounts of such society audited for the said year and may recover the cost of such audit from that society.

(3) If the society neglects or refuses to make its accounts or other documents available for audit under sub-section (2) or, in the opinion of the Registrar, otherwise fails to provide requisite facilities it have the audit made with due expedition, Registrar may proceed to take action under Section 2.4."

24. ***Investigation of affairs of a society.-*** (1) Where on information received under Section 22 or other wise, or in circumstances referred to sub-section (3) of Section 23, the registrar is of opinion that there is apprehension that the affairs of a society registered under this Act are being so conducted a to defeat the objects of the society or that the society or its governing body by whatever name called, or any officer thereof in actual effective control of the society is guilty of mismanaging its affairs or of any breach of fiduciary or other like obligations the Registrar may, either himself or by any person appointed by him in that behalf, inspect or investigate into the affairs of the society or inspect any institution managed by the society.

(2) It shall be the duty of every officer of the society when so required by the Registrar or other person appointed under sub-section (1) to produce any books of account and other records of or relating to the society which are in his custody and to give him all assistance in connection with such inspection or investigation.

(3) The registrar or other person appointed under sub-section (1) may call upon and examine on oath any officer, member or employee of the society in relation to the affairs of the society and it shall be duty of every officer, member or employee, when called upon, to appear before him of such examination.

[1][(3-A) The Registrar or other person appointed under sub-section (1) may, if in his opinion it is necessary for the purpose of inspection or investigation, seize any or all the records including account books of the society :

---

1. Amended by Section 8 of U.P. Act No. 11 of 1984 w.e.f 30-4-1984.

Provided that any person form whose custody such records are seized shall be entitled to make copies there of in the presence of the person having the custody of such records.]

(4) On the conclusion of the inspection or investigation, as the case may be, the person, if any, appointed by the registrar to inspect or investigate shall make a report to the registrar on the result of his inspection or investigation.

(5) The Registrar may, after such inspection or investigation, give such directions to the society or to its governing body or any officer thereof a she may think fit for the removal of any defects or irregularities within such time as may be specified an in the event of default in taking action according to such directions, the Registrar may proceed to take action under Section 12-D or Section 13-B , as the case may be."

25. ***Disputes regarding election of office-bearers.-*** The prescribed authority may on a reference made to it by the Registrar or by at least one-fourth of the members of a society registered in Uttar Pradesh, hear and decide in a summary manner any doubt or dispute in respect of the election or

continuance in office of an office bearer of such, society, and may pass such orders in respect thereof as it deems fit :

[1][Provided that the election of an office-bearer shall be set aside where the prescribed authority is satisfied-

(a) that any corrupt practice has been committed by such officer-bearer ; or

(b) that the nomination of any candidate has been improperly rejected; or

(c) that the result of the election in so far it concerns such office-bearer has been materially affected by the improper acceptance of any nomination by the improper reception, refusal or rejection of any vote or the reception of any vote which is void or by any non-compliance with the provisions of any rules of the society.

Explanation I.- A Person shall be deemed to have committed a corrupt practice who directly or indirectly, by himself or by any other person-

(i) includes, or attempts to induce, by fraud, intetional misrepresentation, coercion or threat of injury any elector to give or to refrain from giving a vote in favour of any candidate, or any person to stand or not to stand as, or to withdraw or not to withdraw from being a candidate at the election:

(ii) with a view to inducing any elector to give or to refrain from giving a vote in favour of any candidate, or to inducing any person to stand or not to stand as, or to withdraw or not to withdraw from being, a candidate at the election, officers or gives any money, or valuable consideration, or any place of employment, or holds out any promise of individual advantage or profit to any person ;

(iii)abets (within the meaning of the Indian Penal Code)the doing of any of the acts specified in clauses (i) and (ii) ;

(iv)induces or attempts to induce a candidate or elector to believe that he, or any person in whom he is interested will become or will be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure ;

(v) canvasses on ground of caste, community, sect or religion ;

(vi)commits such other practice as the State Government may prescribes to be corrupt practice.

Explanation II. – A promise of individual advantage or profit to a person includes a promise for the benefit of the person himself. or of any whom he is interested.

Explanation III. – The State Government may prescribe the procedure for hearing and decision of doubt or disputes in respect of such elections and make provision in respect of any other mater relating to such elections for which insufficient provision exists in this Act or in the rules of the society.]

(2) Where by an order made under sub-section (1) an election is set aside or at officer-bearer is held no longer entitled to continue in office or where the Registrar is satisfied that any election of office-bearer of a society has not been held within the time specified in the rules of that society he any call a meeting of the general body of such society for electing such office-bearer or office-bearers, and such meeting shall be presided over and be conducted by the Registrar or by any officer authorized by him in this behalf, and the provision in the rules of the society relating to meetings and elections shall apply to such meeting and election with necessary modifications.

(3) Where a meeting is called by the Registrar under sub-section (2) no other meeting shall be called for the purpose of election by any other authority or by any person claiming to be an office bearer of the society.

Explanation.- For the purposes of this section, the expression prescribed authority, means an officer or Court authorized in this behalf by the State Government by notification published in the Official Gazette.

26. Term of gift to be observed.- Where a society accepts a gift or of money or property of any other kind from any person for a specific purpose. it shall not use the money or other property gifted or donated or any part thereof for any other purpose without the written consent of the registrar who shall refuse such consent except when he

1. Amended by Section 4 of U.P. Act No. 13 of 1978 w.e.f 27-2-1978.

is satisfied that the purpose for which the gift was made in incapable of execution by the society.

27 .- Penalties.- Any person who --

[{a} fails to furnish the list of managing body or other information required to be furnished under section 4 or 4-A or wilfully makes or causes to be made a false entry in, or any omission from the list or any statement or copy of rules or of alternation in rules or other information sent to the register under the said section 4 or section 4-A.]

{b} wilfully fails to furnish any account or statement referred to in sub-section {1} of section 23 or furnish in compliance with the said sub-section particular which are false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true;

{c} neglects or refuses to make its accounts or other documents available for audit as required by sub-section {2} of section 23;

{d} wilfully fails to produce any books of accounts or other records as required by sub-section {3} of section 24;

{e} wilfully fails to appear before the register or other person appointed by him or otherwise contravenes the provisions of sub-section {3} of section 24 shall be punishable with fine which may extend to two thousands rupees.

28. Procedure- No court inferior to that of a Magistrate of the first class shall try an office punishable under this Act nor shall cognizance of any such offence be taken except on a complaint made by the Registrar or any other person authorised in writing by him by general or special order in that behalf.

29- Compounding of offences- {1} The Registrar may accept from any person against whom a reasonable suspicion exists that he was committed any offence punishable under section 27 of against whom a prosecution under that section has been instituted, a sum of money by way of composition fee for the offence which such person is suspected or accused to have committed.

{2} On the payment of such composition fee the suspected person if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him and if prosecution of such person had been instituted, the composition shall have the effect of his acquittal.

30- Manner of payment of fees- Fees payable under the provisions of this Act shall be paid in such manner as may be prescribed by rules.

1. Amended by section 8 of U.P.Act No 11 of 1984 w.e.f. 30-4-1984.

31- Indemnity- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie in any Court against the State Government. The Registrar or against any person appointed for inspection or investigation under Section 24, for anything in good faith done or intended to be done under this Act or the rule made thereunder.

32- Mode of service of notice, etc by Registrar:- (1) Any notice, order or requisition meant for a society or for the governing body thereof to be issued by the Registrar may be served on the Secretary of the society, and service on the Secretary by an effectual as if the same had been served on every member of the society or as the case may be, on every member of the governing body thereof, unless the Registrar otherwise directs.

{2} The sending of such notice, order or requisition to the Secretary of the society be registered post at its registered office shall amount to sufficient service thereof on the society.

33- Power to make rules- {1} The State Government may, by notification in the Official Gazette, makes rules for carrying out the purpose of this Act.

{2} All rules made under this Act shall as soon as may be, after they are made, be laid before each house of the State Legislature while it is in session, for a total period of thirty days extending in its one session or more than one successive sessions and shall unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Official Gazette, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to validity of anything previously done thereunder.

Additional Section Added in Societies Registration Act by various States

[21. In this Act, the word "Registrar" means a persons appointed as such by the State Government, and include as Additional Register, a Joint Register, Deputy Register, or Assistant Register, on whom all or any of the power of the Registrar under this Act are conferred by general or special order of the State Government.

1 Subs by U.P.Act 26 of 1979.

COMMENTS

The Assistant Registrar has an authority to exercise all the delegated powers of the Registrar but when there is a courts direction in favour of registrar to finalise the voter"s list it cannot be delegated to Assistant Registrar.

NOTIFICATION

In exercise of the powers under Section 21 of the Societies Registration Act, 1860 {Act No. XXI of 1890}, the Governor is pleased to confer on all the Deputy Registrar of Firms and Societies, Uttar Pradesh, all the powers of Registrar under the aforesaid Act to be exercised within the are to their respective jurisdiction Noti. No. Audit 4902/X-605 {46}-79, DATED JANUARY, 7, 1982, published in U.P.Gazette Extra, dated 7 January, 1982, p.2.

[22. Power of Registrar to call for information -{1} The Registrar may, by written order, require society to furnish in writing such information or documents within such time, being ordinarily not less then two weeks from the date of receipt of the order by the society, as he may specify in the order in connection with the affairs of the society or any documents filed by the society under this Act.

{2} On receipt by the society of an order under sub-section {1}, it shall be the duty of the President, Secretary or any other person authorised in this behalf to furnish such information or documents.

_____--

1. Subs. by U.P. ALLD 26 of 1979.
2. Section 22 {U.P.} to 33{U.P.}.

U.P Amendments-

This section confers another power on the registrar which was not so far expressly conferred on him under the Central Act. In absence of this power, register could not collect substantial and reliable information’s in respect of a society or a documents which the Register required in connection with the affairs of the society, however, the Register can ask a society to furnish only such documents which the REGISTER may require in connection with any documents field by the society or its affairs.

At least 2 weeks time, from the date of service of the requisition by the Registrar, shall be allowed. On the service of such requisition, the President, Secretary or any other authorized person shall become duty bound to furnish the required information or documents.

[23. Audit--{1} **W**ithout prejudice to the provisions of sub-section {2} of Section 4 or of Section 22 where the Register is of opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by, written order, require any society to furnish it accounts or a copy of a statement of receipts and expenditure for any particular year duly audited by a chartered Accountant-

Provided that the Register may, at the request of society permit to have such accounts and statement audited by any other person approved by him.

{2} If the society fails to furnish the documents referred to in sub-section {1} within the period specified in the order or with such extended period as the Register may from time to time allow. the Registrar may cause the accounts of such society audited for the said year and may recover the cost of such audit from that society.

{3} If the society neglects or refuses to make its accounts or other documents available for audit under sub-section {2} or, in the opinion of the Registrar, otherwise fails to provide requisite facilities to have the audit made with due expedition, the Registrar may proceed to take action under section 24.

_____-
Inserted by U.P. Act 52 fo 1975.

U.P. Amendment - This section confers additional powers on the Registrar of requiring a society to furnish its accounts or a copy of a statement of receipts and expenses duly audited by a chartered accountant in certain circumstances. In case the society fails in furnishing duly audited account to the Register within the time allowed by him, the register can himself get the account audited, an action under Section 24 of this Act {U.P. Amendment}, that is investigation into the affairs of the society, culminating action under Section 12-D{U.P. Amendment}, that is, cancellation of registration of the society or getting dissolution of the Society by a competent court of law under Section 13-B {U.P.Amendment}.

24. Investigation of affairs of a society-- {1} Where on information received under Section 22 or otherwise, or in circumstances referred to in sub-section {3} of Section 23, Registrar is of opinion that there is apprehension that the affairs or a Society registered under this Act are being so conducted as to defeat the objects of the society or that the society or its governing body by whatever name called or any officer therefore in actual effective control of the society is guilty of mismanaging its affairs or of any breach of fiduciary or other like obligations, the Registrar may, either himself or by any person appointed by him in that behalf inspect or investigate in to the affairs of the Society or inspect any institution managed by the society.

{2} It shall be the duty of every officer of the society when so required by the register or the other person appointed under sub-section {1} to produce any books of account and other records of relation to the society which are in his custody and to give him all assistance in connection with such inspection or investigation.

{3} The Register or other person appointed under sub-section {1} may call upon and examine on oath any officer, member or employee of the society in relation to the affairs of the society and it shall be the duty of every officer, members or employee, when called upon, to appear before him for such examination.

{3-A} The Registrar or other person appointed under sub-section {1} may, if in his opinion it is necessary for the purpose of inspection or investigation, seize any or all the records including account books of the society :

Provided that any person from whose custody of such records are seized shall be entitled to make copies thereof or to take extracts therefrom in the presence of the person having the custody of such records.

{4} On the conclusion of the inspection or investigation, as the cases may be, the persons, if any, appointed by the Registrar to inspect or the investigate shall make a report to the Registrar on the result of his inspection or investigation.

{5} The Registrar may, after may, after such inspection or investigation give such direction to the society or to its governing body or any officer thereof as he may think fit, for the removal of any defects or irregularities within such time as may be specified and in the event of default in taking action according to such directions, the Registrar may proceed to take action under Section 12-D, or Section 13-B, as the case may be.

U.P.Amendment

24. Investigation of affairs of a society-- {1} Where on information received under Section (22) or otherwise, or in circumstances referred to in sub-section {3} of Section 23, Register is of opinion that there is apprehension that the affairs of a Society registered under this Act are being so conducted as to defeat the objects of the society or that the society or its government body by whatever name called of any officer therefore in actual effective control of the society is guilty of mismanaging its affairs or a of any breach of fiduciary or other like obligations, the Registrar may, either himself or by any person appointed by him in that behalf inspect or investigate in to the affairs of the Society or inspect any institution managed by the society.

{2} It shall be the duty of every officer of the society when so required by the Registrar or the other person appointed under sub-section {1} to produce any books of account and other records of relation to the society which are in his custody and to give him all assistance in connection with such inspection or investigation.

{3} The Registrar or other person appointed under sub-section {1} may call upon and examine on oath any officer, member or employee of the society in relation to the affair of the society and it shall be appear before him for such examination.

{3-A} The Registrar or other person appointed under sub-section {1} may, if in his opinion it is necessary for the purpose of inspection or investigation, seize any or all the records including account books of the society

Provided that any person from whose custody of such records are seized shall be entitled to make copies therefore or to take extracts therefrom in the presence of the person having the custody of such records.

{4} On the conclusion of the inspection or investigation, as the cases may be, the persons, if any, appointed by the Registrar to inspect or the investigate shall make a report to the Registrar on the result of his inspection or investigation.

{5} The Registrar may, after may, after such inspection or investigation give such directions to the society or to its governing body or any officer therefore as he may think fit, for the removal of any defects or irregularities within such time as may be specified and in the event of default in taking action according to such directions, the Registrar may proceed to take action under Section 12-D, or Section 13-B, as the case may be.

U.P. Amendment-- Where society is--

-So conducted as to defeat the objects of the Society, or
-Mismanaged, or
-Caused loss by-
{1} fiduciary breach, or
{2} Like obligation by any officer of the Society the Registrar has been empowered to-
-Investigate,
-into the affairs of the society, or
-Inspect-
-any institution of the Society,
-Call upon,
-examine on oath
-any officer, member or employee of the Society.
-Seize
-any or all the records including account books of the Society.
-give any direction for removal of any defect or irregularity failing which the Registrar may take action under Section 12-D or 13-B

[1]**[25. Disputes regarding election of office-bearers- {1}** The prescribed authority may, on a reference made to it by the Registrar or by least one-fourth of the members of a society registered in Utter Pradesh, hear and decide in the summary manner any doubt or dispute in respect of the election or continuance in office of an office bearer of such, society, and may pass such orders in respect therefore as it deems fit -

[2]{Provide that the election of an office-bearer shall be set aside where the prescribed authority is satisfied-

{a} that any corrupt practice has been committed by such officer bearer ; or

{b} that the nomination of any candidate has been improperly rejected ; or

{c} that the result of the election in so far it concepts such office-bearer has been materially affected by the improper acceptance of any nomination or by the improper reception, refused or rejection of any vote or the reception of any vote which is void or by any non-compliance with the provision of any rules of the society.

Explanation I- A persons shall be deemed to have committed a corrupt practice who, directly or indirectly by himself or by any other person -

(i) includes or attempts to include, by fraud intetional misrepresentation, coercion or threat of injury, any elector to give to retrain from giving any vote in favour of any person to stand or not to stand as, or to withdraw or not to withdraw from being, a candidate at the election;

(ii) with a view to inducing any electors to give or to refrain from giving a vote in favour of any candidate or to inducing any person to stand or not to stand as or to withdraw or not to withdraw from being, a candidate at the election; officers or gives any money, or valuable consideration, or any place of employment, or holds out any promise of individual advantage or profit to any person ;

(iii) abets (within the meaning of the Indian Penal Code)the doing of any of the acts specified in clauses (i) and (ii) ;

(iv) induces or attempts to induce a candidate or elector to believe that he, or any person in whom he is interested will become or will be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure ;

(v) canvasses on ground of caste, community, sect or religion ;

(vi) commits such other practice as the State Government may prescribes to be corrupt practice.

Explanation II. – A promise of individual advantage or profit to a person includes a promise for the benefit of the person himself. or of any whom he is interested.

Explanation III. – The State Government may prescribe the procedure for hearing and decision of doubt or disputes in respect of such election and make provision in respect of any other mater relating to such elections for which insufficient provision exists in this Act or in the rules of the society.]

(2) Where by an order made under sub-section (1) an election is set aside or at officer-bearer is held no longer entitled to continue in office or where the Registrar is satisfied that any election of office-bearer of a society has not been held within the time specified in the rules of that society he any call a meeting of the general body of such society for electing such office-bearer or office-bearers, and such meeting shall be presided over and be conducted by the Registrar or by any officer authorized by him in this behalf, and the provision in the rules of the society relating to meetings and elections shall apply to such meeting and election with necessary modifications.

(3) Where a meeting is called by the Registrar under sub-section (2) no other meeting shall be called for the purpose of election by any other authority or by any person claiming to be an office bearer of the society.

Explanation.- For the purposes of this section, the expression prescribed authority, means an officer or Court authorized in this behalf by the State Government by notification published in the Official Gazette.

26. Term of gift to be observed.- Where a society accepts a gift or of money or property of any other kind from any person for a specific purpose. it shall not use the money or other property gifted or donated or

any part thereof for any other purpose without the written consent of the registrar who shall refuse such consent except when he
is satisfied that the purpose for which the gift was made in incapable of execution by the society.

27. Penalties- Any persons who -

[{a} fails to furnish the list of managing body or other information required to be furnished under section 4 or 4-A or wilfully makes or causes to be made a false entry in, or any omission from the list or any statement or copy of rules or of alternation in rules or other information sent to the Registrar under the said section 4 or section 4-A.]

{b} wilfully fails to furnish any account or statement referred to in sub-section {3} of Section 23 or furnishes in compliance with the said sub-section particulars which are false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true;

{c} Neglects or refuse to make its accounts or other documents available for audit as required by sub-section {3} of section 23;

{d} wilfully fails to produce any books of accounts or other records as required by sub-section {2} of section 24;

{e} wilfully fails to appear before the Registrar or other person appointed by him or otherwise contravenes the provisions of sub-section {3} of section 24;

Shall be punishable with fine which may extend to thousands rupees

28. **Procedure**- No court inferior to that of a Magistrate of the first class shall try an office punishable under this Act nor shall cognizance of any such offence be taken except on a complaint made by the Registrar or any other person authorised in writing by him by general or special order in that behalf.

29- Compounding of offence- {1} the Registrar may accept from any person against whom a reasonable suspicious exists that he was committed any offence punishable under section 27 or against whom a prosecution under that section has been instituted, a sum of money by way of composition fee for the offence which such person is suspected or accused to have committed.

{2} On the payment of such composition fee the suspected person if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him and if prosecution of such person had been instituted, the composition shall have the effect of his acquittal.

30- Manner of payment of fees- Fees payable under the provisions of this Act shall be paid in such manner as may be prescribed by rules

31- Indemnity- No suit, prosecution or other legl proceeding shall any person appointed for inspection or investigation under Section 24, for anything in good faith done or intended to be done under this Act or the rule made there under.

32- Mode of service of notices, etc., by Registrar – (1) Any notice, order or requisition meant for a society or for the governing body thereof to be issued by the Registrar may be served on the Secretary of the society, and service on the Secretary be as effectual as is the same had been served on every member of the society or, as the case may be, on every member of the governing body thereof, unless the Registrar otherwise directs.

(2) The sending of such notice, order or requisition to the Secretary of the society by registered post at its registered office shall amount to sufficient service thereof on the society.

33- Power to make rules-(1) The State Government may by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall, as soon as may be, after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session, for a total period of thirty days

extending in its one session or more than one successive sessions and shall unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Official Gazette, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to validity of anything previously done there-under.

lkslkbVh jftLVsª'ku ,DV 1860 rFkk mRrjkapy lkslkbVh fu;e ds vUrxZr lfefr;ksa ds iathdj.k ds lEcU/k esa vko';d i=ksa dh lwph

1. संस्था के अध्यक्ष/सचिव की ओर से आवेदन–पत्र (प्रारूप संलग्न) ।

2. संस्था का नाम पूर्व में पंजीकृत किसी संस्था जैसा सा उससे मिलते जुलते नाम जैसा नहीं होना चाहिए। सस्था के नाम के साथः– यूनियन, स्टेट, लैण्ड मार्गेज, लैण्ड डेवलपमैन्ट, कोआपरेटिव, गांधी, रिजर्व बैक, उत्तराखण्ड/ उत्तरांचल अथवा कोई ऐसे भी शब्द जिनसे संस्था के प्रति केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य स्थानीय प्राधिकरण आदि की स्वीकृति अथवा संरक्षण का बोध होता हो, का प्रयोग नहीं होना चाहिए (धारा 3 (2))।

3. lLFkk dk Lefr&i= (Memorandum of Association) – दो प्रतियों में – प्रारूप संलग्न। (स्मृति–पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर सभी पदाधिकारियों/सदस्यो के हस्ताक्षर होने चाहिए (धारा 3 नियम 4 व 5)। स्मृति पत्र में कहीं पर भी कोई भी संशोधन/परिवर्तन एक हस्ताक्षर से प्रमाणित होना चाहिए। (नियम 5 (2))।

   संलग्न किये गये स्मृति पत्र में उल्लिखित उददेश्यों में से संस्था जिन उददेश्यों हेतु कार्य करना चाहती है केवल उन्हीं उददेश्यों को दर्शायें, अन्य को हटा दें।

4. lLFkk dh fu;ekoyh (Rules and Regulations) – दो प्रतियों में – प्रारूप संलग्न। (नियमावली के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रबन्धकारिणी समिति के कम से कम तीन पदाधिकारियों/सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। (धारा 2))। नियमावली में कहीं पर भी कोई भी संशोधन/परिवर्तन एक हस्ताक्षर से प्रमाणित होना चाहिए। (नियम 5 (2))।

   सोसाइटी के उददेश्यों में परिवर्तन (धारा–12), सोसाइटी का विघटन (धारा–13) तथा सदस्य की अनर्हता (धारा–15) के अन्तर्गत गणपूर्ति 3/5 होनी चाहिये।

5. cSBd dk iLrko (Resolution) – प्रारूप संलग्न। प्रस्ताव में कहीं पर भी कोई भी संशोधन/परिवर्तन एक पदाधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणित होना चाहिए। (नियम 5 (2))

6. 'kiFk i= (Affidavit) – प्रारूप संलग्न। – संस्था के अध्यक्ष अथवा सचिव में से किसी एक की ओर से 10 रूपये का नान जुडीशियल, स्टाम्प पेपर पर दिया जाये, जो नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिये। यह स्पष्ट करना है कि सोसाइटी रजि0 अधिनियम 1860 की धारा 12 डी के अनुसार व्यपदेशन (Misrepresentation) अथवा कपटपूर्ण (Fraud) ढ़ग से प्राप्त किया गया पंजीकरण निरस्त करना रजिस्टार का अधिकार है।

7. iathdj.k 'kqYd (Registration Fee) – रू0 5000/– ट्रेजरी चालान/बैक ड्राफ्ट द्वारा (बैंक ड्राप्ट सहायक रजिस्ट्रार फर्म, सोसाइटीज एवं चिट्स, देहरादून के नाम होना चाहिए। (नियम–9)।

8. डाक से भेजने पर उक्त प्रपत्र केवल रजिस्टर्ड डाक से ही भेजे जाने चाहिए। (नियम 5)

9. निबन्धन कार्यालय में मात्र उक्त पत्रों को प्रस्तुत करने अथवा भेजे जाने से ही संस्था पंजीकृत नहीं मानी जायेगी बल्कि पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी कर दिये जाने पर ही संस्था पंजीकृत मानी जायेगी।(धारा 3)।

10. पंजीकृत संस्थाओं को प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक धारा–4 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रपत्र उप निबन्धक कार्यालय में प्रेषित करना आवश्यक है:–
(क) संस्था के आय–व्यय लेखे। (ख) प्रबन्धकारिणी समिति की सूची।
(ग) चुनाव कार्यवाही – यदि वांछित हो।

प्रेषक,
राधा रतूडी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स,
उत्तरांचल, देहरादून।

वित्त अनुभाग–6 देहरादून : दिनांक 29 दिसम्बर, 2006

विषय: lkslkbVh iathdj.k vf/kfu;e& 1860 ds vUrxZr fu/kkZfjr 'kqYd dk iqujhf{k.k djkus ds lEcU/k esa

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 3552/अ0स0वि0 /06, दिनांक 31 अक्टूबर 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेष हुआ है कि राज्यपाल महोदय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम–1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं के विभिन्न शुल्कों में निम्नवत संषोधन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

Ø0la0	fooj.k	#0
d & iathdj.k		
1.	सोसाइटी पंजीकरण	5000
2.	सोसाइटी पंजीकरण युवक/महिला मंगल दल/महिला	30

	समूह/सामुदायिक	
[k & uohuhdj.k		
1.	सोसाइटी नवीनीकरण	500
2.	सोसाइटी नवीनीकरण युवक/महिला मंगल दल/महिला समूह/सामुदायिक	30
3.	विलम्ब शुल्क माह में प्रतिमाह	50
4.	नवीनीकरण अनुमति शुल्क	600
Xk & izfr fyfi		
1.	सोसाइटी प्रतिलिपि (प्रमाण पत्र) सामान्य	100
2.	सोसाइटी प्रतिलिपि (प्रमाण पत्र) आवष्यक (अर्जेन्ट)	200
3.	अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि सामान्य	60 प्रति पृष्ठ
4.	अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि आवष्यक (अर्जेन्ट)	20 प्रति पृष्ठ
?k & fujh{k.k		
1.	पत्रावली निरीक्षण धारा– 4 (1) के प्रपत्र दाखिला शुल्क उक्त धारा के अर्न्तगत जो प्रपत्र (प्रबन्धकारिणी समिति की सूची तथा आय व्यय लेखे आदि) रजिस्ट्रार कार्यालय को दाखिल किए जाने अनिवार्य है उनकी देय तिथि से एक माह के पष्चात दाखिल करने पर निम्नवत शुल्क प्रस्तावित है।	200
1.	तीन माह तक	–
2.	3 माह से अधिक किन्तु 6 माह तक	–
3.	6 माह से अधिक किन्तु 9 माह तक	–
4.	9 माह से अधिक किन्तु 12 माह तक	–
5.	एक वर्ष बाद वार्षिक देय शुल्क वर्ष के किसी अंष पर	–
Pk & la'kks/ku 'kqYd		
1.	स्मृति –पत्र	500 प्रत्येक अवसर पर
2.	नियमावली	250 प्रत्येक अवसर पर
N & nLrkost izfrdj.k 'kqYd		
1.	सदस्यता सूची	100 प्रत्येक अवसर पर

Tk &lkslkbVh jftLVªhdj.k funsf'kdk vkonui= lfgr	50 प्रति

उपरोक्त दरें शासनादेष के जारी होने की दिनांक से लागू मानी जायेगी।

इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद धारा–4 संबन्धी विलम्ब शुल्क के प्रकरण जिनमें विलम्ब शुल्क पूर्व में जमा कराया जा चुका है पुनराउद्धाटित नहीं किये जायेंगे।

कृपया उपर्युक्त आदेषों का कडाई से पालन सुनिष्चित किया जाय तथा उक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ मण्डल कार्यालयों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूडी)
सचिव, वित्त।

l[;k % 462@foRr vu0&6@06 rnfnukad

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी देहरादून / नैनीताल।
2. निदेषक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
3. समस्त उप निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून / नैनीताल।

आज्ञा से,

(एन0एन0थपलियाल)
अपर सचिव, वित्त।

ithdj.k gsrq vkosnu i=

ithdj.k gsrq i= izLrqr djus gsrq vf/kd`r inkf/kdkjh }kjk Hkjk tkus okyk ikFkuk&i=@ dEI;Vj MkVk “khV

1. संस्था का नाम

2. संस्था का पता

3. प्रस्ताव की तिथि
(संलग्न प्रारूप के अनुसार)

4. कार्यक्षेत्र – क्षेत्रीय / जनपदीय / राज्य स्तरीय / अखिल भारतीय

5. फीस – नकद / ड्राफ्ट / चालान

6. बैंक ड्राफ्ट / चालान संख्या तथा दिनांक

7. जारी करने वाले बैंक का नाम / चालान जमा करने का स्थान

8. देय बैंक का नाम

9. प्रबन्धकारिणी समिति के मुख्य पदाधिकारी (स्मृति पत्र के बिन्दु सं0 5 के अनुसार)

d0l	uke	firk dk uke	irk	0;olk	in
1.					
2.					
3.					

4.					
5.					
6.					
7.					

10. आवेदन कर्ता का नाम व पद नाम

11. सदस्यता का वर्ग – सामान्य / विंशिष्ट / आजीवन / संरक्षक / पदेन सदस्य

12. गणपूर्ति – नियमावली के अनुसार

13. खाते का (पदनाम) .....
संचालन 1.
2.
3.

14. सदस्यता की समाप्ति – मृत्यु, दिवालिया होने पर पागल होने पर, त्याग पत्र देने पर, शुल्क न देने पर , संस्था विरोधी कार्य करने पर।

15. कार्य समिति का कार्यकाल

16. lLFkk dk प्रकार– धर्मार्थ / वैज्ञानिक / साहित्यिक / ललित कला / षैक्षिक / उपयोगी जानकारी के प्रसार / राजनीतिक षिक्षा के प्रसार / क्लब / सांस्कृतिक / राजकीय / जलागम / सामान्य / ऐतिहासिक / ग्रामीण विकास / मंगल दल आदि

17. अगले चुनाव की तिथि

उपरोक्त विवरणानुसार सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण कराने हेतु निम्न संलग्नक सहित प्रपत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं यह भी प्रमाणित किया जाता कि उपरोक्त तथ्य / सूचना मेरी जानकारी में सत्य व सही है।

दिनांक

आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर
नाम व पदनाम

lyXud&

1. स्मृति पत्र – दो प्रतियां
2. नियमावली – दो प्रतियां
3. नोटरी प्रपत्र – एक प्रति
4. शुल्क (नकद / ड्राफ्ट / चालान) – नम्बर, दिनांक एवं धनराशि
5. प्रस्ताव की संलग्न प्रतिया की संख्या – दो प्रतियां

dk;kZy; mi;ksx gsrq

1- ithdj.k l0& ____ 2- i=koyh l0 & ____

3- Qhl jlhn@cSd MkQV@pkyku l0& ____

'kiFk i=

समक्ष –mi fucU/kd] QElZ] lkslkbVht ,o fpV~l] 8&,] cxkyh ekgYyk] djuiqj] nsgjknwuA

1. यह कि मेरा नाम .... पुत्र श्री..पता –... संस्था .... का अध्यक्ष / सचिव हूॅं।
2. मेरी जानकारी में इस नाम की संस्था पूर्व में पंजीकृत नहीं है अगर पंजीकृत पायी जाती है तो मैं इस संस्था के नाम परिवर्तन की कार्यवाही करूंगा।
3. स्मृति पत्र तथा नियमावली में दिये गये विवरण एवं किये गये हस्ताक्षर सभी सही हैं।
4. स्मृति पत्र तथा नियमावली मूल रजिस्टर की ही सत्यप्रतिलिपि है।
5. स्मृति पत्र तथा नियमावली की सभी पदाधिकारियों / सदस्यों को जानकारी है।
6. समिति में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है।
7. स्मृति पत्र तथा नियमावली में कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।
8. स्मृति पत्र तथा नियमावली में किये गये संशोधनों की सभी पदाधिकारियों / सदस्यों को जानकारी है।
9. संस्था के समस्त उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 1 व 20 के अनुसार पूर्ण रूप से चैरिटेबल एवं अव्यवसायिक होगें।
10. संस्था धारा 1 व 20 में वर्णित .... प्रयोजनार्थ पंजीकृत की जा रही है।
11. संस्था द्वारा लाभ के उददेश्य से कार्य नहीं किया जायेगा। संस्था द्वारा स्मृति पत्र में वर्णित उददेश्यों के अनुसार साहित्यिक, वैज्ञानिक या धमार्थ कार्य किये जायेगें।

शपथकर्ता

lR;kiu

इस शपथ पत्र की कम संख्या 1 से लेकर 8 तक मेरी जानकारी में सत्य एवं सही हैं। कोई भी बात छुपाई नहीं गयी है। ईश्वर मेरी मदद करे।

शपथकर्ता

ukV :– शपथ पत्र अध्यक्ष अथवा सचिव में से किसी एक के द्वारा दिया जाना चाहिये तथा नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिये।

Lefr&i=

1. संस्था का नाम –
2. संस्था का पूरा पता –
3. संस्था का कार्यक्षेत्र – क्षेत्रीय/समस्त उत्तरांचल/भारत।
4. lLFkk dk mnns'; –

(I) पूर्त (Charitable) प्रयोजन के लिये कार्य करेगी।
(क) ....
(ख) ....
(ग) ....

(II) विज्ञान, साहित्य या ललित कलाओं की प्रोन्निति के लिये शिक्षण के लिये कार्य करेगी।
(क) ....
(ख) ....
(ग) ....

(III) उपयोगी जानकारी के प्रसार, राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिये कार्य करेगी।
(क) ....
(ख) ....
(ग) ....

(IV) सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिए खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण के लिये कार्य करेगी।
(क) ....
(ख) ....
(ग) ....

¼lHkh inkf/kdkfj;ksa@lnL;ksa ds gLrk{kj½

(V) रंग चित्रों और कला कृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिये कार्य करेगी।

(क) .....

(ख) .....

(ग) .....

(VI) नैसर्गिक (Natural) इतिहास के संकलन के लिये कार्य करेगी।

(क) .....

(ख) .....

(ग) .....

(VII) यांत्रिक (Mechanical) तथा दार्शनिक (Philosophical) अविष्कारों, दस्तावेजों या अभिकल्पनाओं के लिये कार्य करेगी।

(क) .....

(ख) .....

(ग) .....

(VIII) संस्था खादी एवं ग्रामोद्योग, पंचायत उद्योग एवं ग्राम्य विकास के लिये कार्य करेगी।

(क) .....

(ख) .....

(ग) .....

संस्था के उपरोक्त सभी उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 1 व 20 के अनुसार पूर्ण रूप से चैरिटेबल एवं अव्यवसायिक होगें।

¼lHkh inkf/kdkfj;k@lnL;k dh gLrk{kj½

5. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते, पद, तथा व्यवसाय जिनको संस्था के इस स्मृति–पत्र तथा नियमावली के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है।

d-l-	uke rFkk firk@ifr dk uke	irk	in	0;olk;
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

6.				
7.				

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि हमने इस स्मृति–पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

<u>lR; izfrfyfi</u>

fnukad ------------------------ ¼lHkh inkf/kdkfj;ksa@lnL;ksa ds gLrk{kj] uke lfgr½

ukV %& izcU/kdkfj.kh esa de ls de 07 inkf/kdkfj;ksa@lnL;ksa dk gksuk vko ;d gSA

fu;ekoyh

1. lLFkk dk uke –
2. lLFkk dk ijk irk –
3. lLFkk dk dk;{k= – क्षेत्रीय/समस्त उत्तरांचल/भारत।
4. lLFkk dh lnL;rk rFkk lnL;k d ox :–

(क) vkthou lnL; – .....
.....
.....आजीवन सदस्य कहलायेगा।

(ख) fof k'V lnL; – .....
..... विशिष्ठ सदस्य कहलायेगा।

(ग) lkekU; lnL;– .....
..... सामान्य सदस्य कहलायेगा।

5. lnL;rk dh lekfIr :– निम्नलिखित दशाओं में सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
   (क) मृत्यु हो जाने पर ।
   (ख) पागलपन हो जाने पर।
   (ग) न्यायलय द्वारा दंण्डित होने पर।
   (घ) दिवालिया होने पर।
   (ड़) सदस्यता शुल्क न देने पर।
   (च) संस्था विरोधी कार्य करने पर ।

6. lLFkk d vx :– (क) साधारण सभा (ख) प्रबन्धकारिणी समिति

(क) lk/kkj.k lHkk :–

(अ) xBu :– सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा को गठन होगा।

(ब) cBd :– सामान्य बैठक वर्ष में ..... बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पडने पर ....बार/कभी भी बुलाई जा सकती है।

(स) lpuk vof/k:– सामान्य बैठक हेतु ..... दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा बिशेष बैठक हेतु ..... दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

(द) x.kifr :– बैठक हेतु ..... सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी।

(य) fo k'k@okf'kd vf/ko ku dh frfFk :– विशेष/वार्षिक अधिवेशन की तिथि साधारण सभा की बैठक में ..... बहुमत से तय की जायेगी।

¼lfpo rFkk de l de rhu vU; inkf/kdkfj;k dk gLrk{kj½

(र) lk/kkj.k lHkk d drO; ,o vf/kdkj :– साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। संस्था की नीतियों का निर्धारण करना तथा वार्षिक आय–व्यय का अनुमोदन करना।

(ख) icU/kdkfj.kh lfefr :–

(अ) xBu :–साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा .... सदस्य होंगे।

(ब) cBd :– सामान्य बैठक वर्ष में .... बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पडने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

(स) lpuk vof/k:– सामान्य बैठक हेतु .... दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा बिशेष बैठक हेतु .... दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

(द) x.kifr :– बैठक की गणपूर्ति हेतु .... पदाधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(य) fjDr LFkkuk dh iifr :– .... पदाधिकारियों के बहुमत से शेष अवधि के लिये साधारण सभा के सदस्यों में से रिक्त हुये स्थानो की पूर्ति कर सकेगी।

(र) icU/kdkfj.kh lfefr d drO; ,o vf/kdkj :– संस्था के सभी कार्यक्रमों का कियान्वयन करना तथा वित्तीय व्यवस्था को देखना। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वार्षिक बजट बनाना तथा साधारण सभा में बजट पास करवाना, योजनायें तैयार करना, कार्यकर्ताओं की नियुक्ति व मुक्ति, दान–अनुदान स्वीकार करना।

(ल) dk;dky :– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल ....वर्ष होगा।

7. icU/kdkfj.kh lfefr d inkf/kdkfj;k d vf/kdkj o drO; :–

(क) v/;{k@ :– प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना, संस्था की चल/ अचल सम्पत्ति की देखभाल करना, संस्था के हितार्थ कार्य जो आम सभा से स्वीकृत हो करवाना आदि।

(ख) mik/;{k@ :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्य देखना।

¼lfpo rFkk de l de rhu vU; inkf/kdkfj;k d gLrk{kj½

(ग) lfpo@ :– कार्यकारिणी समिति की बैठकों की कार्यवाही लिखना, आगामी बैठक में पिछली कार्यवाही की पुष्टि करवाना, वार्षिक बजट बनाना, संस्था के आय–व्यय सम्बन्धी समस्त प्रपत्र तैयार करवाना, चार्टड एकाउन्टेन्ट से आडिट करवाना, आडिट रिपोर्ट प्रबन्धकारिणी के समक्ष पेश करना, संस्था की ओर से पत्राचार करना, कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना तथा संस्था के हितार्थ ऐसे समस्त कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों के विरूद्ध न हो।

(घ) dk'kk/;{k@ :– संस्था के कोष का रखरखाव तथा खाते का संचालन करना।

(ङ) lnL; :– प्रबन्धकारिणी में .... सदस्य होंगे जो कोरम की पूर्ति करेगें व पदाधिकारियों को संस्था के कार्यो में सहायोग करेगें।

8. lLFkk d fu;e@fofu;ek e l kk?ku dh ifd;k:– संस्था के विधान में परिर्वतन, करने हेतु प्रबन्धकारिणी समिति में विधान परिर्वतन का प्रस्ताव पारित करके तथा उसे साधारण सभा द्वारा अनुमोदित करवाकर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 4ए तथा नियम 5 के अनुसार संस्था के नियमों में परिवर्तन की कार्यवाही के प्रस्ताव की प्रति के साथ 30 दिन के अन्दर ही उन्हें पंजीकरण करने के अनुरोध के साथ निबन्धक कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। नियमों में परिवर्तन की स्थिति में संस्था की संशोधित नियमावली प्रस्तुत की जायेगी। कार्यालय द्वारा उक्त परिवर्तनों के पंजीकरण किये जाने की सूचना जारी किये जाने पर ही परिवर्तन मान्य होंगे।

9. lLFkk dk dk'k ¼y[kk 0;oLFkk½ :– संस्था को कोष किसी बैक अथवा डाकघर में रखा जायेगा। खाते से धन का आहरण अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/कोषाध्यक्ष/सचिव अथवा प्रबन्धकारिणी द्वारा नामित व्यक्तियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जा सकेगा।

10. icU/kdkfj.kh lfefr dh okf'kd lph rFkk lrqyu i= – प्रत्येक वर्ष प्रबन्धकारिणी समिति की सूची तथा आय–व्यय लेखे व संतुलन पत्र नियमानुसार उप निबन्धक कार्यालय में जमा किया जायेगा।

11. lLFkk d vk;&0;; dk y[kk ijh{k.k@vkfMV :– आय–व्यय का लेखा परीक्षण नियमानुसार किसी मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टैन्ट से करवाया जायेगा।

12. संस्था द्वारा अथवा संस्था के विरूद्ध सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा–6 के अनुसार अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के .... का होगा।

¼lfpo rFkk de l de rhu vU; inkf/kdkfj;k d gLrk{kj½

13. <u>lLFkk d vfHkys[k</u> :–

(क) सदस्यता रजिस्टर।

(ख) कार्यवाही रजिस्टर।

(ग) स्टाक रजिस्टर।

(घ) कैश बुक।

(ड) रसीद बुक।

(च) ऐजेन्डा रजिस्टर आदि

14. संस्था के विघटन और विघटित सम्पति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 13 व धारा 14 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

fnukd ------------------------- ¼lfpo rFkk de ls de rhu vU; inkf/kdkfj;ksa ds gLrk{kj½

<u>iLrko dh lR;ifrfyfi</u>

आज दिनांक .... को ....(स्थान), में अधोहस्ताक्षरित व्यक्तियों ने ....(संस्था का नाम) नामक समिति के गठन का संकल्प (Resolve) निम्नलिखित उददेश्यों की पूर्ति हेतु किया गया:–

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

7. ....

उक्त बैठक की अध्यक्षता श्री .... द्वारा की गयी।

सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया गया कि उपरोक्त संस्था का सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत, उप निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, में पंजीकरण कराया जाये।

d- l-	uke rFkk firk@ifr dk uke	irk	gLrk{kj
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005 d vUrxr ukfer ikf/kdkjh

--¼lLFkk dk uke½

de l[;k	ukfer ikf/kdkjh	ikf/kdkjh dk uke	fVIi.kh
1.	सहायक लोक सूचना अधिकारी		
2.	लोक सूचना अधिकारी		

3.	अपीलीय अधिकारी		

दिनांक :

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव सदस्य

¼euqvy l[;k&6½

,l nLrkostksa ds tks yksd izkf/kdkjh }kjk /kkfjr ;k mlds fu;a=.kk/khu gS] izoxksZ ¼Categories) dk vuqlkj fooj.k :&

(A statement of categories of documents that are held by it or under its control).

- इस संगठन द्वारा सोसाइटियों से सम्बन्धित निम्न लिखित दस्तावेज रखे जाते हैं–
  - सोसाइटियों का रजिस्टर।
  - नवीनीकरणों का रजिस्टर।
  - दैनिक प्राप्तियों का रजिस्टर।
  - रसीद बही।
  - निरीक्षण रजिस्टर।
  - जारी की गयी प्रतियों का रजिस्टर।
  - सोसाइटियों एवं फर्मों की पत्रावलियां।

dk;kZy; esa iz;ksx nks Jsf.k;ksa ds vfHkys[k j[ks tkrs gSa&

- दिन प्रतिदिन प्रयोग होने वाले अभिलेख (फाइल, सोसाइटी पंजीकरण, नवीनीकरण, सोसाइटी प्रतिलिपि रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर, फर्म पंजीकरण, चिट फण्ड पंजीकरण, विवाद, कम्प्यूटर पर उपलब्ध अभिलेख, गार्ड फाइल, कार्य विवरण चार्ट इत्यादि)
- अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेख जैसे संस्थाओं की मूल पत्रावलियां, सोसाइटी व फर्म के पंजीकृत अभिलेख आदि।

dk;kZy; esa j[ks tkus okys vU; vfHkys[k@ iaftdk;sa vkfn fuEufyf[kr gSa–

- पंजिकाओं की पंजिका।
- उपस्थिति पंजिका।

- आकस्मिक अवकाष पंजिका।
- डाक प्राप्ति एवं प्रेषण पंजिका।
- स्थानीय डाक वही पंजिका।
- पत्रावलियों की पंजिका।
- नवीनीकरण पत्रावली अनुक्रमाणिका पंजिका।
- भण्डारण अनुक्रमाणिका पंजिका।
- अधिष्ठान आदेष पंजिका।
- डैड स्टाक पंजिका।
- लेखन सामग्री पंजिका।
- सरकारी वाहन हेतु लाग पंजिका।
- आडिट आपत्ति पंजिका।
- वेतन बिल पंजिका।
- कोषागार पंजिका।
- फार्म दो (सी) पंजिका।
- कैष बुक।
- खर्चो पर नियन्त्रण के लिए फार्म बी0एम0–8 पंजिका।
- जी0पी0एफ0 लेजर एवं पास बुक।

➢ कागज का अपना जीवन काल होता है अतः स्थायी अभिलेखों की भी अधिकतम अवधि 35 वर्ष निर्धारित है । शषनादेष संख्या 244/XXXI(2)G/2005 दिनाांक 23 अप्रेल 2005 द्वारा अभिलेखों को अभिलेखन (रिकार्डिंग) करने एवं उन्हें नष्ट करने के संबंध में निर्धारित अवधि का विवरण दिया गया है। इस विभाग से सम्बन्धित मुख्य अभिलेखों का विवरण निम्नानुसार हैः–

➢

d- l-	vfHkys[kk dk uke@fo'k;	le;@vof/k tc rd lqjf{kr j[kk tk;@u'V fd;k tk;
¼1½	¼2½	¼3½
d-	lkekU; i= O;ogkj lEcU/kh i=kofy;k	
1.	उपस्थिति पंजी	एक वर्ष
2.	आकस्मिक अवकाश पंजी	समाप्त होने के एक वर्ष बाद
3.	आडिट/महालेखाकार द्वारा की गयी आडिट पत्रावलियां	आपत्तियों के अंतिम समाधान के बाद अगले आडिट होने तक
4.	आय–व्ययक अनुमान की पत्रावलियां	दस वर्ष
5.	सरकारी धन, भण्डार का आहरण, निष्प्रयोज्य वस्तुओं के निस्तारण आदि संबंधी पत्रावलियां	अंतिम निर्णय व वसूली, राइट आफ के पष्चात तीन वर्ष
6.	डेड स्टाक, क्षय शील/उपभोग वस्तुओं एवं पुस्तकालय हेतु क्रय की गई पुस्तिकों आदि के पत्र व्यवहार सम्बन्धी पत्रावलियां	स्टाक बुक में प्रविष्टि, विभिन्नताओं के समाधान एवं तत्संबंधी आडिट आपत्तियों के समाधान के पश्चात एक वर्ष
7.	निरीक्षण टिप्पणी एवं उनके अनुपालन संबंधी पत्र–व्यवहार की पत्रावलियां	उठाये गये बिन्दुओं, दिये गये सुझावों के कार्यान्वयन के बाद अगले निरीक्षण तक
8.	अधिकारों के प्रतिनिधायन (डेलीगेशन आफ पावर्स) के आदेशों से संबंधित पत्रावलियां	स्थायी रूप से
9.	प्रपत्रों के मुद्रण सम्बन्धी पत्रावलियां	आडिट आपत्तियों के अन्तिम निस्तारण के पष्चात एक वर्ष
10.	लेखन सामग्रियों/प्रपत्रों के मांग–पत्र (इन्डेन्ट)	तीन वर्ष तक

11.	दौरों के कार्यक्रम तथा टूअर डायरी, यदि कोई निर्धारित हो	एक वर्ष बाद या गोपनीय चरित्रावली में प्रविष्टियां पूर्ण होने के बाद, जो भी पहले हो, किन्तु यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टियों से सम्बन्ध हो तो उसे प्रत्यावेदनों के अन्तिम निस्तारण के एक वर्ष बाद
12.	विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट	वर्षवार एक प्रति स्थायी रूप से सुरक्षित रखी जायेगी । शेष प्रतियां पांच वर्ष तक
13.	वार्षिक प्रतिवेदन के संकलन हेतु एकत्रित/प्राप्त सामग्रियां तथा उनकी पत्रावली	प्रतिवेदन छपने/प्रकाषित हो जाने के एक वर्ष
15.	विधान सभा/लोक सभा व राज्य सभा के प्रश्नों की पत्रावलियां	पांच वर्ष, किन्तु आष्वासन समितियों को दिये आष्वासनों की पूर्ति के पांच वर्ष बाद
16.	नियमावलियों, नियम, विनियम, अधिनियम, प्रक्रिया पद्धति तथा उनकी व्याख्या तथा नियमों में संशोधन संबंधी पत्रावलियां	स्थायी रूप से
17.	कार्य के मानक/स्टैन्डर्ड/नार्म निर्धारण संबंधी शासकीय एवं विभागीय आदेश	स्थायी रूप से
¼1½	¼2½	¼3½
18.	वीडिंग शेडयूल/अभिलेख नियंत्रण नियम/सूची	पुर्नसंषोधन/रिवीजन/परिवर्तन की एक प्रति स्थायी रूप से तथा शेष तीन वर्ष तक
19.	शासनादेषों/विभागीय आदेषों की गार्ड फाईलें	स्थायी रूप से
20.	प्राप्त एवं प्रेषण पंजी (प्रान्तीय फार्म नं. 19)	पच्चीस वर्ष तक
21.	पत्रावली पंजी/फाइल रजिस्टर/ इन्डेक्स रजिस्टर (प्रान्तीय प्रपत्र 20, 21, 26 आदि)	रजिस्टर में दर्ज अस्थाई रूप से सुरक्षित पत्रावलियों को नष्ट कर दिये जाने तथा स्थायी रूप से सुरक्षित रखे जाने वाली पत्रावलियों के रजिस्टर पर उतार दिये जाने के बाद
22.	स्थायी पत्रावलियों का रजिस्टर	स्थायी रूप से
23.	पीयून बुक (प्रान्तीय फार्म नं.51)	समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक
24.	आवधिक/सामयिक विवरण–पत्रों का रजिस्टर सूची (लिस्ट आफ पीरियाडिकल रिर्पोटस एण्ड रिटर्नस)	समाप्त होने के दो वर्ष बाद तक
25.	सरकारी डाक टिकट पंजी (प्रान्तीय फार्म नं. 52)	समाप्त होने के तीन वर्ष बाद तक अथवा उसमें अंकित अवधि की आडिट आपत्तियों के समाधान के पष्चात एक वर्ष
26.	सरकारी गजट	डिवीजनल कमिश्नर एवं जिला जज के कार्यालयों को छोड़कर, जहां गजट स्थायी रूप से रखा जाता है, शेष कार्यालयों में बीस वर्ष तक
27.	सरकारी वाहनों की लाग–बुक तथा रनिंग रजिस्टर	वाहन के निष्प्रयोज्य घोषित होकर नीलाम द्वारा निस्तारण के बाद तथा आडिट हो जाने के पष्चात एक वर्ष बाद तक, यदि कोई आडिट या निरीक्षण की आपत्ति निस्तारण हेतु शेष न हो ।
28.	गार्ड फाइल्स	स्थायी रूप से
[k- LFkkiuk@vf/k'Bku lEcU/kh i=kofy;k ,oa jftLVj		
1.	कर्मचारियों/अधिकारियों की निजी पत्रावलियां (व्यक्तिगत पत्रावलियां)	पेंषन की अन्तिम स्वीकृति के पष्चात् पांच वर्ष तक
2.	अस्थायी/स्थानापन्न नियुक्तियों हेतु मांगे गये प्रार्थनापत्रों/प्राप्त आवेदन–पत्रों की पत्रावलियां	पांच वर्ष (चुने गये/नियुक्त किये गये व्यक्तियों के प्रार्थना–पत्रों को छोड़कर जो स्थायी रूप से वैयक्तिक पत्रावली में रखे जायेंगे)

3.	वाहन, साइकिल, गृह निर्माण, सामान्य भविष्य निर्वाह निधि आदि या इसी प्रकार के अन्य अग्रिमों से सम्बन्धित पत्रावलियां	अग्रिम की राषि ब्याज सहित, यदि कोई हो, तो उसके भुगतान के पष्चात एक वर्ष ।
4.	कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति सम्बन्धी पत्रावलियां	पेंषन, ग्रेच्युटी, आदि की स्वीकृति के पांच वर्ष बाद ।
5.	सेवा पुस्तिकायें/सेवा नामावलियां	वित्तीय नियम–संग्रह, खण्ड दो, भाग 2 से 4 के सहायक नियम 136–ए के अनुसार
6.	स्थापना आदेष पंजी	स्थायी रूप से
7.	गोपनीय चरित्र पंजिकायें/गोपनीय आख्यायें	सेवा निवृत्ति/पद त्याग या समाप्ति के तीन वर्ष बाद
8.	अनुषासनिक कार्यवाही रजिस्टर	सभी दर्ज मामलों का अंतिम निस्तारण हो जाने व रजिस्टर समाप्त हो जाने के पांच वर्ष तक
¼1½	¼2½	¼3½
9.	भविष्य निर्वाह निधि के रजिस्टर (1) लेजर (2) ब्राडषीट (3) इन्डेक्स (4) पासबुकें	सभी दर्ज कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के पांच वर्ष बाद, यदि कोई भुगतान के मामले अवषेष न रह गये हों । तदैव तदैव तदैव (सेवा निवृत्ति के बाद संबंधित कर्मचारी को उसकी प्रार्थना पर दे दी जाय)
10	सेवाओं में आरक्षण (1) विभिन्न संवर्गों के रोस्टर्स	स्थायी रूप से
x-	<u>ctV ,o y[kk lc/kh i=kofy;k@jftLVj</u>	
1.	यात्रा भत्ता प्रकरण	आडिट हो जाने के एक वर्ष बाद
2.	टी0ए0 बिल तथा टी0ए0 चैक रजिस्टर	आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद
3.	बजट प्राविधान के समक्ष व्यय की राषियों की पत्रावली	महालेखाकार से अन्तिम सत्यापन व समायोजन हो जाने के एक वर्ष बाद
4.	प्रासंगिक व्यय पंजी	आडिट के पांच वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति का निस्तारण अवषेष न हो
5.	वेतन बिल पंजी तथा भुगतान पंजी (एक्वीटेन्स रोल) (वित्तीय नियम–संग्रह, खण्ड पांच, भाग–एक का पैरा 138, फार्म, 11 बी)	पैंतीस वर्ष । वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पांच भाग एक का पैरा 85, परिषिष्ट 16 के अनुसार
6.	बिल रजिस्टर 11 सी वित्तीय नियम–संग्रह, खण्ड पांच, भाग–एक का पैरा 139	आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद
7.	कैष बुक	आडिट हो जाने के बारह वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति निस्तारण हेतु अवषेष न हो
8.	ट्रेजरी बिल रजिस्टर (राजाज्ञा संख्या 2158/सोलह(71)/68 डी.टी. दिनांक 7–5–1970 द्वारा निर्धारित)	पूर्ण होने तथा आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति शेष न हो
9.	टेलीफोन ट्रंककाल रजिस्टर	पूर्ण होने तथा आडिट आपत्ति न होने तथा कोई बिल भुगतान हेतु शेष न होने की दषा में एक वर्ष
10	मासिक व्यय पंजी/पत्रावली	व्यय के महालेखाकार के सत्यापन तथा अन्तिम समायोजन के पष्चात दो वर्ष
11	बिल इनकेषमेन्ट पंजी वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पांच भाग एक का पैरा 47 ए	समाप्त होने के तीन वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति निस्तारण हेतु अवषेष न हो और किसी

		धनराषि के अपहरण, चोरी, डकैती आदि की घटना घटी हो
12	टी0ए0 कन्ट्रोल रजिस्टर	समाप्त होने पर तीन वर्ष बाद, यदि निर्धारित एलाटमेंट से अधिक व्यय किये जाने का मामला विभागाध्यक्ष/शासन के विचाराधीन न हो
13	रसीद बुक, ईषू रजिस्टर (ट्रेजरी फार्म नं. 385 वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड पांच भाग एक का पैरा 26)	दस वर्ष, यदि किसी रसीद बुक के खो जाने या धन के गबन के मामले अनिस्तारित न हों तथा महालेखाकार का आडिट हो चुका हो

v/;k;&1

tu&lkekU; rd lpukvk ,o vfHkys[kk dh igp

lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e]2005 ¼ifjf'k"V&6½

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्य करण में पारदर्षिता और उत्तर दायित्व के संवर्धन के लिये, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुॅच के लिये नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक षासन पद्धति स्थापित करने के उद्देष्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, दिनांक 12 अक्टूबर,2005 से अस्तित्व में है।

ykd lpuk vf/kdkjh] ,o vihyh; vf/kdkjh ¼eukuvy l0&16½

2. निबन्धक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स में अधिनियम की धारा 5(1), धारा 5(2) एवं धारा 19(1) के अन्तर्गत क्रमषः लोक सूचना अधिकारियों, एवं अपीलीय अधिकारी का नामांकन किया गया है।

3. नागरिको से प्राप्त सूचना के अनुरोधों का पंजीकरण यथास्थिति पार्ष्वाकित षासनादेष में दिये गये किसी एक प्रारुप में किया जायेगा

lpuk gsrq izkIr vuqjks/k i=k dk iathdj.k ,o fuLrkj.k

निबन्धक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट स्तर पर सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है जिसमें विभिन्न लोक प्राधिकारियों से सम्बन्धित सूचना के अनुरोध को प्राप्त करने की स्थिति में, उसे लोक सूचना अधिकारी को षीध्रताषीघ्र परन्तु विलम्बतः 5 दिन के अंदर निर्धारित प्रारुप में अग्रेषित किया जाता है।

'kklukns'k l 146@l0@ **XXXI(3)G-/2006** fnukd 22 ekp]

3.1 अनुरोध कर्ता को सूचना का अनुरोध का प्राप्ति पत्र आवेदन षुल्क की रसीद सहित दिया जाता है यदि अनुरोध कर्ता गरीबी रेखा से निम्न आय वर्ग का हो तो उससे किसी प्रकार का षुल्क नहीं लिया जाता है।

3.2 अधिनियम की धारा 6 के अधीन सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी यथा सम्भव षीध्रता से, और किसी भी दषा में अनुरोध प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाये या तो सूचना उपलब्ध करायेगा या धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा. यदि लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अविधि के भीतर सूचना के लिये अनुरोध पर विनिष्चय करने में असफल रहता है तो, यह समझा जायेगा कि अनुरोध को नामंजूर कर दिया है.

lpuk dk vf/kdkj¼Qhl ,o ykxr dk fofu;eu½ fu;e] 2005

4. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ देय फीस एवं अभिलेखों की छाया प्रतियां अनुरोध कर्ता को उपलब्ध कराने हेतु पार्ष्वांकित अधिसूचना के अनुसार षुल्क देय होगा.

vf/klpuk ,0&266@

XXII@205&9¼31½
fnukd 13 vDVcj 2005
¼ifjf'k"V&7½
,o
l'kkf/kr vf/klpuk
l0165@e@**XXXI**
¼13½**G**&2¼2½@2006
fnukd 31 ekp] 2006
¼ifjf'k"V&8½

6. यदि लोक सूचना अधिकारी के पास किसी ऐसी सूचना दिये जाने का अनुरोध प्राप्त होता है जो तीसरे पक्षकार से सम्बधित है और तीसरे पक्ष कार द्वारा उसे गोपनीय माना गया है. तो ऐसी दषा में लाक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिनों के भीतर, ऐसे तीसरे पक्षकार को इस तथ्य की लिखित रुप से सूचना देगा और इस बारे में सूचना प्रकट की जानी चाहिये या नही, लिखित रुप में या मौखिक रुप में निवेदन करने के लिये तीसरे पक्ष कार को आमंत्रित करेगा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई निर्णय करते समय तीसरे पक्षकार के उत्तर को ध्यान में रखेगा.

ij 0;fDr lpuk

5.1 तीसरे पक्ष कार को ऐसी सूचना के प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जायेगा. लोक सूचना अधिकारी द्वारा तीसरे पक्ष कार से सम्बंधित सूचना के अनुरोध प्राप्त होने के पष्चात 40 दिन के भीतर इस बारे में निर्णय लिया जायेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किये जायें या नहीं और अपने निर्णय की सूचना लिखित में तीसरे पक्ष कार को भी देगा. लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्षकार को यह भी सूचित करेगा कि उसे निर्णय से असंतुष्ट होने पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहां 30 दिन के अन्दर अपील करने का अधिकार है.

iFke vihy
/kkjk 19¼1½

6. अपील करने वाला व्यक्ति सूचना प्राप्ति के लिये निर्धारित समय सीमा की समाप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर अथवा लोक सूचनाअधिकारी के आदेष की प्राप्ति की तिथिसे 30 दिनों अंदर विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है.सम्बंधित अपीलीय अधिकारी को यदि यह विष्वास हो जाता है कि किन्ही अपरिहार्य कारणों से अपील कर्ता अपनी याचिका निर्धारित समय में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो वह उक्त समय सीमा के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है.

6.1 सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत यदि तीसरे पक्ष से सम्बंधित सूचना अनुरोधकर्ता को देने के सम्बन्ध में निर्णय दिया गया है तो इस आदेष से प्रभावित तीसरा पक्ष, आदेष की तिथि से 30 दिनों के अंदर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहॉ अपील कर सकता है।

6.3 निबन्धक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स के विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील का निस्तारण, याचिका की तिथि से 30 दिनों के अन्दर किया जायेगा.

lpukvk dk
LofPNd idVu
¼QEl lkslkbVh ,o fpVl

8. अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अधीन विभाग फर्म्स सोसाइटी एवं चिट जो लोक प्राधिकारी घोषित हैं, के द्वारा 17 बिन्दुओं पर सूचनायें संकलित कर प्रत्येक बिन्दु पर मैनुअल बनाये जायेंगे. उक्त सभी मैनुअल पर सी. डी. तैयार कर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को उपलब्ध कराई जायेगी. विभाग के प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर उक्त मैनुअल की हार्ड प्रति एवं

lfjji= l065@m-l-vk @e-l-vk-@2005 fnukd 6 fnlEcj] 2005½

साफ्टप्रति उपलब्ध रहेगी.

7.1 उक्त मैनुअल यथास्थिति प्रत्येक वर्ष के अन्त में अघावधिक किये जायेंगे तथा मैनुअल सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जन साधारण के अवलोकनार्थ बराबर उपलब्ध रहेंगे.

8. सूचना के अधिकार अधिनिमय की धारा 25(3) के अधीन उपबन्ध(क) से (ड.) के सम्बन्ध में 5 बिन्दुओं पर विभाग की प्रत्येक लोक प्राधिकारी मासिक प्रगति प्रतिवेदन अपने उच्च लोक प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे.

ekfld izxfr izfrosnu

विभाग के निदेषालय स्तर से ऐसे प्राप्त प्रतिवेदन को संकलित कर फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स को प्रत्येक माह दसवीं तारीख तक प्रेषित किया जाना होगा.

8.1 फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स इन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का उपयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में करेंगा.

9. जन सामान्य की सुविधा हेतु प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर अपने प्रमुख स्थान पर नामित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नाम पद नाम तथा दूरभाष नम्बर प्रदर्षित करते हुये सूचना पटट लगाये जायेंगे. lpuk iVV dk iznf'kZr djuk

10. आयोग में धारा 18(1) के अधीन प्राप्त षिकायतों एवं धारा 19(3) के अन्तर्गत प्राप्त दूसरी अपील पर लोक प्राधिकारी को जारी नोटिस को प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर एक पृथक पंजिका में दर्ज किया जायेगा. इस पंजिका में प्राप्त षिकायतों एवं अपीलों पर लोक प्राधिकारी स्तर पर समय–समय पर की गई कार्यवाही का दिनांक सहित अंकन किया जायेगा.

ykd izkf/kdkfj;ksa }kjk vk;ksx LRkj ls izkIr f'kdk;rks ,oa vihyks ij dk;Zokgh

f}rh; vihy jkT; lpuk vk;ksx izfdz;k½ fu;e 2005

11. अधिनियम की धारा 19(3) में राज्य सूचना आयोग को द्विवितीय अपील दायर करने हेतु राज्य सूचना आयोग(अपील प्रक्रिया) नियम 2005 का पालन किया जायेगा. (अपील

vf/klpuk l0305@ **XXII** @2005&9¼33½ 2005 fnukad 13 fnlEcj] 2005 ¼ifjf'k"V&10½

¼eSuqvy la[;k&7½

fdlh O;oLFkk dh fof'kf"V;k¡ tks mldh uhfr dh lajpuk ;k mlds dk;kZUo;u ds lEcU/k esa turk ds lnL;ksa ls ijke'kZ ds fy, ;k muds }kjk vH;kosnu ds fy, fo|eku gS&

'kwU;

¼euvy l[;k&8½

,l ckMk ifj"knk] lfefr;k vkj vU; fudk;k d fooj.k ftue nk ;k vf/kd 0;fDr g ftudk mld Hkkx#i ;k bl ckj e lykg nu d i;ktu d fy, xBu fd;k x;k g fd D;k mu ckMk] ifj"knk] lfefr;k vkj vU; fudk;k dh cBd turk d fy, [kyh gkxh ;k ,lh cBdk d dk;oRr rd turk dh igp gkxhA

इस संगठन में इस प्रकार के बोर्ड, परिषद, समिति अथवा निकाय का कोई गठन नहीं किया गया है।

¼euvy l[;k&9½

vf/kdkfj;ks vkSj deZpkfj;ksa dh funsf'kdk
(The directory of its officers and employees)

- कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनायी गयी है। यह नियमावली शासन द्वारा अनुमोदित है तथा कार्यालय में उपलब्ध है।

{k=h; dk;kZy; ngjknu d vf/kdkfj;ks rFkk deZpkfj;ks d uke] inuke rFkk irk&

uke@inuke	irk	Qksu ua0		
		dk;kZy;	vkokl	ekckby
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
श्री एन0एन0 थपलियाल निबन्धक	बी0–20, टिहरी हाउस, देहरादून	0135–2713532		9411393808
श्रीमती प्रतिमा पैन्यूली उप निबन्धक	26, नेहरू इन्क्लेव, बल्लूपुर, देहरादून	0135–2744021	–	–
श्री दिगम्बर सिंह कार्यालय सहायक	83, करनपुर, देहरादून	0135–2744021	–	–
श्री चिरकुट लाल फोटो मशीन आपरेटर	नालापानी रोड, सहस्रधारा, दे0दून	0135–2744021	–	–
श्री ओम प्रकाश अनुसेवक	31 जाखन, राजपुर, देहरादून।	0135–2744021	–	–
श्रीमती गैन्दा देवी अनुसेवक	02 जाखन, जोहडी रोड, दे0 दून	0135–2744021	–	–
श्री रामकुमार सिंह कार्यालय सहायक	लेन डी, लाडपुर, रायपुर रोड, देहरादून	0135–2744021	–	–
श्री सुनील कुमार कार्यालय सहायक	ऋषि नगर वार्ड न0 2, नालापानी रोड, देहरादून	0135–2744021	–	–
श्री नारायण गिरि अनुसेवक	ऋषि नगर वार्ड न0 2, नालापानी रोड, देहरादून	0135–2744021	–	–
श्री दान सिंह अनुसेवक	ऋषि नगर वार्ड न0 2, नालापानी रोड, देहरादून	0135–2744021		
श्री भगत सिंह वाहन चालक	ग्राम – दौडवाला, पो0–मोथरोवाला देहरादून	0135–2744021	3092465	–
श्री रणवीर सिंह वाहन चालक	शिव कलोनी, प्रेमनगर, देहरादून	0135–2744021	–	–

{ks=h; dk;kZy; gY}kuh ds vf/kdkfj;ksa rFkk deZpkfj;ksa ds uke] inuke rFkk irk%&

uke@inuke	irk	Qksu ua0		
		dk;kZy;	vkokl	eksckby
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
श्री मोहन चन्द जोषी	C/O ए0के0 पाण्डे, हीरानगर, हल्द्वानी	09546254301	–	9412907906
श्री शंकर सिंह गर्ब्याल	भोटिया पडाव, हल्द्वानी	09546254301		
श्री दीनानाथ पाण्डे	बजरंग बिहार, हल्द्वानी	09546254301		
श्री त्रिलोक सिंह बिष्ट	राजपुरा, हल्द्वानी	09546254301		

Eku vy l[;k& 3

fofu'p; dju dh ifØ;k e ikyu dh tku okyh ifØ;k ftle i;o{k.k vkj mRrj nkf;Ro d ek/;e lfEefyr g%&

- इस संगठन में सोसाइटी रजिस्ट्रेषन एक्ट, 1860, इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 तथा चिट फण्ड एक्ट, 1982 के अन्तर्गत संस्थाओं का पंजीकरण तथा नवीनीकरण किया जाता है। संस्थाओं के पंजीकरण, नवीनीकरण तथा उनसे सम्बन्धित सभी विवादों की सुनवायी तथा निस्तारण के विषय में सहायक/उप निबंधकों द्वारा एक्ट्स के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया जाता है। महत्वपूर्ण प्रकरणों में निबन्धक स्तर से भी निर्णय लिये जाते हैं।

- नीतिगत प्रकरणों, विधान सभा प्रषन, लेखा परीक्षा के ड्राफ्ट पैरा, शासन को भेजे जाने वाले प्रस्ताव, नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रदेश या देश से बाहर जाने की अनुमति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निबन्धक स्तर से ही आवश्यक कार्यवाही की जाती है। निबन्धक (विभागाध्यक्ष) के मुख्यालय से बाहर होने की दशा में तथा कार्य का लोकहित में अनिवार्य होने की दशा में ही कार्यालयाध्यक्ष नियमानुसार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर सकते है।

- निर्णय सम्बन्धी प्रकरण में अधीनस्थ कर्मचारी किसी को गलत सूचनायें या आश्वासन नहीं दे सकता है बल्कि उच्च अधिकारी को निर्णय हेतु उस प्रकरण को भेज सकता है।

¼euqvy l[;k&10½

viu: iR;:d vf/kdkjh vkSj deZpkjh }kjk izkIr ekfld ikfjJfed vkSj mlds fu/kkZj.k dh i}fr

(The monthly remunerations received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulation)

(क) dk;kZy; fucU/kd rFkk dk;kZy; mi&fucU/kd {ks=h; dk;kZy; ngjknwu ds vf/kdkfj;ks@deZpkfj;ks }kjk izkIr osrueku rFkk dqy osru dk fooj.k %&

uke	Inkuke	osrueku	dqy osru
श्री एन0एन0 थपलियाल	निबन्धक	18400—22400	37571/—
श्रीमती प्रतिमा पैन्यूली	उप—निबन्धक	12000—16500	28000/—
श्री रामकुमार सिंह	कार्यालय सहायक	4500—7000	14784/—
श्री सुनील कुमार	कार्यालय सहायक	4000—7000	11470/—
श्री दिगम्बर सिंह	कार्यालय सहा0	3050—4950	8906/—
श्री चिरकुट लाल	फोटो मशीन आपरेटर	2650—3200	6300/—
श्री ओम प्रकाश	अनुसेवक	2550—3200	6150/—
श्रीमती गैन्दा देवी	अनुसेवक	2550—3200	5400/—
श्री नारायण गिरि	अनुसेवक	2550—3200	7950/—
श्री दान सिंह	अनुसेवक	2550—3200	7475/—
श्री रणवीर सिंह	वाहन चालक	5400 नियत	उपसुल से संविदा पर
श्री आनन्द सिंह	अनुसेवक	4700 नियत	उपसुल से संविदा पर

शासनादेष के प्राविधानों के अनुसार उत्तरांचल पूर्व सैनिक उद्यम लि0 के माध्यम से दो लिपिक टंकक, एक अनुसेवक/चौकीदार तथा दो वाहन चालक अनुबन्ध पर रखे गये हैं। इनके वेतन का भुगतान उपसुल के माध्यम से किया जाता है। ये सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक हैं तथा कार्यालय की तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से संविदा पर लिये गये हैं।

(ख) dk;kZy; mi&fucU/kd {ks=h; dk;kZy; gY}kuh ds vf/kdkfj;ks@ deZpkfj;ks }kjk izkIr osrueku rFkk dqy osru dk fooj.k %&

Ukke	Inkuke	osrueku	dqy osru
श्री मोहन चन्द्र जोशी	उप—निबन्धक	12000.—16500	26000/—
श्री शंकर सिंह गर्ब्याल	प्रवर सहायक	4000—6000	9500/—
श्री दीनानाथ पाण्डे	फोटो मशीन आपरेटर	2650—3200	6350/—
श्री त्रिलोक सिंह बिष्ट	अनुसेवक	2550—3200	6200/—

¼euvy l[;k&11½

iR;sd vfHkdj.k ¼Agency) dks vkcafVr ctV ¼lHkh ;kstukvksa]0;; iLrkoksa rFkk /ku forj.k dh lwpuk lfgr½ %&

¼The Budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made)

i=i= ¼d½

संख्या– ／फ0सो0चि0／2006.2007 दिनांक मार्च 2007

ान संख्या–07

ा शीर्षक 2047–अन्य राजकोषीय सेवायें,आयोजनेत्त 800–अन्य कारबार उपक्रमों का विनिमय,03–भारतीय अधिनियम , सोसाइटीज,चिट फण्डस अधिनियम क्रियान्वयन अधिनियम ।

(रूपये हजार में)

क्र0सं0.	मानक मद का नाम एवं कोड	बजट प्राविधान 2006–2007	0k"kZ 2006&2007 esa ctV vkoaVu								महायोग	पूर्व में पुर्न विनियोग	वर्तमान में पुर्नविनियोग	अवशेष बजट
			मुख्यालय पूर्व में आवंटन	क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून				क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी						
				पूर्व में आंवटन	वर्तमान आंवटन	समर्पित धनराषि	योग	पूर्व में आंवटन	वर्तमान आंवटन	योग				
1	01 वेतन	2200	–	400	–	–	400	1000	–	1000	1400	–250	–140	410
2	02 मजदूरी	72	–	40	–	–	40	–	–	–	40			32
3	03 मंहगाई भत्ता	924	–	450	–	–	450	450	–	450	900			24
4	04 यात्रा भत्ता	50	10	10	–	–	10	15	–	15	35			15
5	05 स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–			25
6	06 अन्य भत्ते	224	–	100	–	–	100	100	–	100	200			24
7	07 मानदेय	20	–	–	15	–	15	–	5	5	20			–
8	08 कार्यालय व्यय	200	–	425	–	–	425	165	–	165	590	+250	+140	–
9	09 विद्यत व्यय	50	–	–	–	–	–	25	–	25	25			25
10	10 जलकर／जल प्रभार	50	–	–	–	–	–	35	–	35	35			15
11	11 लेखन सामग्री	100	10	60	–	–	60	25	–	25	95			5
12	12 कार्यालय फर्नीचर	100	20	50	–	–	50	20	–	20	90			10
13	13 टेलीफोन व्यय	100	–	45	–	–	45	25	–	25	70			30
14	14 कार्यालय प्रयोगार्थस्टाफ कार का क्रय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–
15	15 गाड़ियों का अनु0 व पेट्रोल	200	–	150	–	–	150	50	–	50	200			–
16	17 किराया उपषुल्क	100	–	–	–	–	–	70	–	70	70			30
17	26 मषीने और साज सज्जा	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–			100
18	27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	75	–	6		–	6	30	–	30	36			39
19	42 अन्य व्यय	30	–	10	–	–	10	–	–	–	10			20
20	45 अवकाष यात्रा व्यय	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–			50
21	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर	200	–	50	–	–	50	50	–	50	100			100
22	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण	100	–	30	–	–	30	5	–	5	35			65
23	48 मंहगाई वेतन	1100	–	500	–	–	500	500	–	500	1000			100
	;ksx	6070	40	2326	15	600	2341	2565	5	2570	4951			1119

निबन्धक,
उत्तराखण्ड,देहरादून

¼euqvy l[;k& 12½

vunku@jkt lgk;rk dk;de ¼Subsidy Programmes½ d fØ;kUOk;u dh jhfr] ftle vkofVr jkf k vkj ,l dk;dek d ykHkkfFk;k d C;kj lfEefyr g

(The manner of execution of subsidy programmes including the amount allocated and the details of beneficiaries of such programmes.)

- इस संगठन द्वारा अनुदान/राज सहायता से सम्बन्धित कायक्रमों का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। विभाग द्वारा कोई भी योजनायें क्रियान्वित नहीं की जाती हैं।

¼euvy l[;k&13½

fj;k;rk] vuKki=k rFkk ikf/kdkjk d ikfIrdrkvk d lEcU/k e fooj.k%

(Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by it)

- इस संगठन द्वारा किसी प्रकार की रियायतें अनुज्ञापन तथा प्राधिकार प्रदान नहीं किये जाते हैं। सभी कार्य–कलाप अधिनियमों के अन्तर्गत किये जाते हैं। कार्यालय द्वारा किसी प्रकार की छूट या परमिट निर्गत करने का कार्य नहीं किया जाता है।

¼euvy l[;k&14½

fdlh bYkDVkfud #i e lpuk d lEcU/k e C;kj] tk mldk miyC/k gk ;k mld }kjk /kkfjr gkA

,lk dkb ikfo/kku ugh gA

¼euvy l[;k&16½

ykd lpuk vf/kdkfj;k d uke] inuke vkj vU; fof'kf"V;k

The names, designations and other particulars of the Public Information Officers:-

Ø-l	vf/kdkjh dk uke	in uke	Dk;ky; dk irk
1.	श्री एन0 एन0 थपलियाल	निबंधक (विभागाध्यक्ष) प्रथम अपील अधिकारी	8–ए, बंगाली मोहल्ला करनपुर, देहरादून।
2.	श्रीमती प्रतिमा पैन्यूली	उपनिबंधक (कार्यालयाध्यक्ष) लोक सूचना अधिकारी	8–ए, बंगाली मोहल्ला करनपुर, देहरादून
3.	श्री मोहन चन्द्र जोषी	उपनिबंधक (कार्यालयाध्यक्ष) लोक सूचना अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी, नैनीताल

¼eSuqvy la[;k&15½

lwpuk vfHkizkIr djus ds fy, ukxfjdksa dks miyC/k lqfo/kkvksa dk fooj.k fdlh iqLrdky; ;k okpu d{k dh ;fn yksd mi;ksx ds fy;s O;oLFkk dh xbZ gks] rks mldk Hkh fooj.k

(The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of the Library or reading room, if maintained for public use)

- संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में नागरिकों की जानकारी हेतु सोसाइटी आदि के पंजीकरण के लिये आवश्यक औपचारिकतायें तथा नियमों को सूचना–पटों पर प्रमुख रूप से लिखकर उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त सोसाइटी, फर्म, चिट से सम्बन्धित अधिनियमों की प्रतियां भी हमेषा कार्यालय में उपलब्ध रहती है। इन्हें कोई भी नागरिक कार्यालय अवधि के दौरान देख सकता है।
- सभी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि वे नागरिकों तथा आगन्तुकों को वांछित सूचनायें जो उनके पास उपलब्ध हैं उन्हें सहज रुप से दे दें तथा नागरिकों से मधुर व्यवहार करें।
- कोई भी नागरिक अधिनियमेां के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करके पत्रावलियों का निरीक्षण कर सकता है तथा अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त कर सकता है।
- विभाग के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत सभी मैनुअल तैयार किये गये हैं। इनका संकलन कार्यालय में उपलब्ध है तथा इन्हें विभाग की वेबसाइट gov.ua.nic\society पर भी उपलब्ध कराया गया है।
- इसके अतिरिक्त विभाग में पंजीकृत संस्थाओं, फर्मों आदि का विवरण भी विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
- वर्तमान समय में कार्यालय भवन में जगह की कमी की वजह से पुस्तकालय अथवा वाचन कक्ष की ब्यवस्था अलग से नहीं की गयी है। परन्तु नागरिकों को नियमानुसार सभी सूचनायें उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- सूचना प्राप्त करनेके लिये आवेदन पत्र का प्रारूप “संलग्नक–3” पर दिया गया है। इसी प्रकार आवेदन पत्र की पावती हेतु प्रारूप “संलग्नक–4”, सक्षम प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर होने की दशा में प्रारूप “संलग्नक–5”, अस्वीकृति आदेष का प्रारूप प्रारूप “संलग्नक–6”, आवेदक को सूचना देने का प्रपत्र “संलग्नक–7”, तथा अपील का प्रारूप “संलग्नक–8” में दिया गया है।
- उत्तरांचल षासन द्वारा सूचना के अधिकार के अर्न्तगत जारी अधिसूचना संलग्नक–9 तथा शुल्क जमा करने सम्बन्धी अधिसूचना संलग्नक–10 पर उपलब्ध की जा रही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अधीन
लोक प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित सूचना।

कार्यालय निबंधक फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

mRrjkpy

8ए, बंगाली मोहल्ला, करनपुर,देहरादून–248001

oc lkbV **gov.ua.nic.in\society**

lyXud&12 egRoi.k 'kklukns'kk dh ifr;k

mRrj ins'k 'kklu
foRr ¼y[k&ijh{kk½ vuqHkkx
l{;k&vkfMV&157@nl&99&607181@66
y[kuÅ fnukad&1& tuojh] 1999

vf/klpuk@'kf) i=

अधिसूचना संक्ष्या–अडिट– 2050/दस–98–607181/66, दिनांक 14 जुलाई, 1998 जो उत्तर प्रदेष भारतीय भागीदारी(चतुर्थ संषोधन नियमावली, 1998 से सम्बन्धित है, के हिन्दी संस्करण के स्तम्भ–2 में उल्लिखित नियम–14151 के सम्मुख अंकित 'एक सौ रुपये' के स्थान पर "एक सौ पचास रुपये" पढ़ा जाय।

2– उरोल्लिखित अधिसूचना को एकतदद्वारा उक्त सीमा तक शुद्ध समझा जाय।

सुषील चन्द्र त्रिपाठी
प्रमुख सचित, वित्त।

l[;k& vkfMV 157 111@99& fnukfdrA

उपरोक्त अधिसूचना की अंकित प्रति 12 प्रतियों मे। निदेषक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेष, इलाहाबाद को प्रषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देष हुआ है कि कृप्या इस अधिसूचना/षुद्धि पत्र को आगामी असाधारण गजट के विधायी परिषिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाषित कराकर, इसकी 25 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2– उपरोक्त अधिसूचना/षुद्धि पत्र की प्रति रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेष, लखनऊ को आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(e/k ekFkj½
अनु सचिव।

mRrj izns'k 'kklu
la[;k&vkfMV&157@nl&99&607181@66
y[kuÅ% fnukad 1] tuojh] 1999

vf/klwpuk@'kqf) i=

अधिसूचना संख्या–आडिट–2050/दस–98–607181/66, दिनांक 14 जुलाई, 1998, जो उत्तर प्रदेष भारतीय भागीदारी (चतुर्थ संषोधन) नियमावली, 1998 से सम्बधित है, के हिन्दी संस्करण के स्तम्भ 2 में उल्लिखित नियम– 14151 के सम्मुख अंकित ,d lkS #i;k के स्थान पर ,d lkS ipkl #i;k पढ़ा जाय।

2– उपरोल्लिखित अधिसूचना को एतदद्वारा उक्त सीमा तक शुद्ध समझा जाय।

lq'khy pUnz f=ikBh
izeq[k lfpo] foRrA

la[;k& vkfMV& 157 111@99& fnukafdrA

III उपरोक्त अधिसूचना की टंकित प्रति 12 प्रतियों मे। निदेषक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेष, इलाहाबाद को प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देष हुआ है कि कृप्या इस अधिसूचना/षुद्धि पत्र को आगामी असाधारण गजट के विधायी परिषिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाषित कराकर, इसकी 25 प्रतियां षासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– उपरोक्त अधिसूचना/षुद्धि पत्र की प्रति रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेष, लखनऊ को आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

¼e/kq ekFkqj½
vuq lfpoA

mRrj izns'k ljdkj
foRr¼ys[kk&ijh{kk½ vuqHkkx
la[;k] vkfMV 5035@nl 2001&607¼8½@2001
y[kuÅ] fnukad& 27 vDVwcj]2001

vf/klwpuk
izdh.kZ

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 (अधिनियम संख्या 9, सन 1932) की धारा 71 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोगकर के राज्यपाल, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, जिसे उक्तधारा कमी उपधारा(3) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या–आडिट–2050/दस–98–607(8)/66 दिनांक 14 जुलाई, 1998 में पहले प्रकाशित किया जा चुका हो।

mRrj izns'k Hkkjrh; Hkkxhnkjh ¼prqFkZ la'kks/ku½
fu;ekoyh&2001

laf{kIr uke vkSj izkjEHk — 1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेष भारतीय भागीदारी(चतुर्थ संषोधन) नियमावली – 2001

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाषित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

fu;e 14 dk la'kks/ku — 2. उत्तर प्रदेश भारतीय भागीदारी नियमावली, 1932 में नीचे स्तम्भ में दिये गये विधमान नियम 14 के स्थान पर स्तमी–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा

lrEHk&1		lrEHk&2	
fo/keku fu;e		,rn~}kjk izfrLFkkfir fu;e	
14–अधिनियम की धारा 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66 और 67 के उपबन्धों अधीन दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए निम्नलिखित फीस उद्गृहीत की जाएगीः–		14–अधिनियम की धारा 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, और 67 के उपबन्धों के अधीन दस्तावेजों के निरीक्षण ओर प्रमाणित प्रतियां देने के लिये निम्नलिखित फीस उद्गृहीत की जाएगीः–	
1- fu;e 12 ds v/khu izR;sd fujh{k.k ds fy,A	फर्म से सम्बन्धित रजिस्टर के एक जिल्द या समस्त दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए चार रुपये।	1- fu;e 12 ds v/khu izR;sd fujh{k.k ds fy;A	फर्म से संबंधित रजिस्टर के एक जिल्द या समस्त दस्तावेजों के लिये 20.00 रुपये।

2- fu;e 13 ds v/khu fdlh nLrkost dh izekf.kr izfr ds fy;sA	प्रति सौ षब्द या उसेक भाग के लिए चार रुपयें।	2- fu;e 13 ds v/khu fdlh nLrkost dh izekf.kr izfr ds fy;sA	प्रति सौ शब्द या उसके भाग के लिये बीस रुपये।
3- jftLVhdj.k ds izek.k pkj #i;s i= dh izekf.kr izfr ds fy;sA	चार रुपये	3- jftLVhdj.k ds izek.k i= dh izekf.kr izfr ds fy;sA	बीस रुपये।
4- /kkjk 58 ds v/khu dFku	एक सौ रुपये।	4- /kkjk 58 ds v/khu dFku	पांच सौ रुपये।

प्रेषक,

रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उपनिबन्धक/सहायक निबन्धक
फैजाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी,
गेरखपुर, बरेली, हल्द्वानी, देहरादून, मुरादाबाद,
ठलाहाबाद, झांसी एवं आजमगढ़।

पत्रांक– 1279–9216 लखनऊः दिनांकः25/07/1996

विषय– उत्तर प्रदेष चिटफण्ड (तृतीय संषोधन) नियमावली–1996

महोदय,

उत्तर प्रदेष चिट फण्ड नियमावली 1988 में किया गया तृतीय संषोधन 1996 की अधिसूचना संख्या आडिट– 1917/दस–96–605(22)/77 दिनोक 20–06–1996 की प्रति संलग्न कर के अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(मोती लाल)
रजिस्ट्रार

mRrj izns'k ljdkj
foRr¼y[kk ijh{kk½ vuqHkkx
la[;k&vkfMV&1917@n l&96&605¼22½@77
y[kuÅ%% fnukad 20 tu] 1996

vf/klwpuk

चिट् फण्ड अधिनियम, 1982 (अधिानियम संख्या 40 सन् 1982) की धारा 89 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्ष से उत्तर प्रदेष चिट् फण्ड नियमावली, 1988 में संषोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः—

उत्तर प्रदेष चिट फण्ड(तृतीय संषोधन) नियमावली 1996

नाम प्रारम्भ	1(1)	1.यह नियमावली उत्तर प्रदेष चिट् फण्ड (तृतीय संषोधन) नियमावली1996 कही जायेगी। 2. यह सरकारी गजट में प्रकाषित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगीं।
25 क	2.	उत्तर प्रदेष चिट् एण्ड नियमावली, 1988 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 25 में, खण्ड(8) के पष्चात निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः— (9) प्रधान द्वारा संचालित सभी चिटों के सम्बन्ध में अनुमोदित बैंकों में जमा रकमों को दर्षातें हुये प्रपत्र बाईस में एक रजिस्टर होगा।
67 क	3.	उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये वर्तमान नियम 57 के स्थान पर स्तम्भः— 2में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः—

	LrEHk&1		LrEHk&2
	वर्तमान नियम		एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
	57(1) यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उसका नाम निर्देषित किसी विवाद के संबंध में पत्रावली में तभी कार्यवाही करेगा जब प्रपत्र सत्रह में ऐसे विवाद के लिए निर्देष संबंधी आवेदन पत्र पर निम्नलिखित मानकम के अनुसार न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाया गया हो, अर्थात—	रजिस्ट्रार को किसी विवाद के निर्देष के लिए फीस का उदग्रहण	57(1) उप नियम (2) में यथा उपबन्धित के सिचाय, यथा स्थिति, रजिस्ट्रार या उसका नाम— निर्देषिती प्रपत्र सत्रह में आवेदन पत्र प्प्राप्त होने और इस अध्याय के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों के लिए परिषिष्ट— दो में विहित फीस का भुगतान हो जाने पर किसी विवाद को पत्रावली पर ग्रहण करेगा।

(1) <u>lefpr U;k;ky; Qhl</u> #0iSlk

¼,d½ lk/kkj.k /kujkf'k dk nkok

(क) जब विवाद में दावेंग की रकम 1000 रु0 से अधिक न हों — 25.00

(ख) जब ऐसी रकम 1000रु0 से अधिक किन्तु 5000 रु0 से अधिक न हो। — 50.00

(ख) जब ऐसी रकम 5000 रु0से अधिक हो। — 75.00

¼nks½ tfVy /ku dk nkok

(क) जब विवाद में दावा की रकम 1000 रु0 से अधिक न हो। — 50.00

(ख) जब ऐसी रकम 1000रु0 से अधिक किन्तु 5000 रु0 से अधिक न हो। — 75.00

(ग) जब ऐसी रकम 5000 रु0 से अधिक हो। — 100.00

¼rhu½ leLr vU; fookn — 100-00

<u>Li"Vhdj.k</u>& bl vifu;e ds i;kstu ds fy,

Lkk/kkj.k /ku dk nkok का तात्पर्य ऐसे प्रधान के दावों से है जिसके कारबार में चिटों के संचालन हो जिसके अन्तर्गत ऋण बन्धपत्रों, वचन–पत्रों, प्रवेषो या अभिस्वीकृतियों पर आधारित इनामी रकम का संवितरण भी है, और tfVy /ku dk nkok का तात्पर्य साधरण धन के दावा से भिन्न समस्त धन के दावों से है। इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए किसी विवाद का विनिष्चय करने वाले रजिस्ट्रार या उसके नाम–निर्देषिती द्वारा किया जायेगा और यथास्थिति रजिस्ट्रार या उसके नाम–निर्देषिती का विनिष्चय अन्तिम होगा।

(2) नीचे विनिदिष्ट किसी भी प्रकार का का कोई दस्तावेज रजिस्ट्रार या उसके नाम निर्देषिती के समक्ष तब तक कि उस पर समुचित न्यायालय फीस स्टाम्प जैसा कि उसके सामने विनिर्टिष्ट है, न चिपका दिया जाय:–

(2) नीचे विनिर्दिष्ट किसी प्रकार का कोई दस्तावेज रजिस्ट्रार या उनके नाम–निर्देषिती के समक्ष तय तक दाखिल नहीं किया जायेगा जब तक कि उस समुचित न्यायालय फीस स्टाम्प जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट है, न चिपका दिया जाय:–

lefpr U;k;ky; Qhl

		#0 i0
¼d½	वकालतनामा	2.00
(दो)	स्थगन के लिए आवेदन	10.00
(तीन)	अन्तरिम स्थान या अनुतोष के लिए आवेदन पत्र	25.00

(3) क. किसी विवाद का विनिष्यच करने वाला रजिस्ट्रार का उसका नाम–निर्देषिती विवाद के पक्षकार या पक्षकारों से ऐसी राषि जो उसकी राय में व्यय को जिसके अन्तर्गत, यथा स्थिति, रजिस्ट्रार या उसके नाम निर्देषिती को फीस का भुगतान भी है, पूरा करने के लिए आवष्यक हो, जमा करने की अपेक्षा कर सकता है।

ख. रजिस्ट्रार या उसके नाम–निर्देषिती को उपर्युक्त जमा की गई रकम को ध्यान में रखने के पष्चात रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित मानक्रम के अनुसार विवाद का अवधारण करने की फीस और व्यय का प्रधान द्वारा अपनी निधि से या विवाद के ऐस पक्षकार या पक्षकारों द्वारा जिसे/जिन्हे वह उचित समझें, भुगतान किये जाने का आदेष देने की शक्ति होगी।

ग. रजिस्ट्रार सामान्य या विषेष आदेष द्वारा ऐसी फीस और व्यय का मानक्रम

lefpr U;k;ky; Qhl

		#0 i0
¼d½	वकालतनामा	2.00
(दो)	स्थगन के लिए आवेदन पत्र	10.00
(तीन)	अन्तरिम स्थगन या अनुतोष के लिए आवेदन पत्र	25.00

(3) क. किसी विवाद का विनिष्यच करने वाला रजिस्ट्रार या उसका नाम–निर्देषिती विवाद के पक्षकार या पक्षकारों से ऐसी राषि जो उसकी राय में व्यय को जिसके अन्तर्गत यथा–स्थिति, रजिस्ट्रार या उसके नाम निर्देषिती का फीस का भुगतान भी है, पूरा करने के लिए आवष्यक हो, जमा करने की अपेक्षा कर सकता है।

ख. रजिस्ट्रार, सामान्य या विषेष आदेष द्वारा ऐसी फीस ओर व्यय का मानक्रम विनिर्टिष्ट कर सकता है जिसका भुगतान उसको या उसके नाम–निर्दे–षिती को किया जायेगा।